मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2017–18

रूपांकन
श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर
2018

भोपाल
शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, भोपाल
2018

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2017–18

श्रमायुक्त संगठन
श्रम न्यायपालिका
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

विभाग	.	श्रम विभाग
मंत्री	.	माननीय श्री ओमप्रकाश धुर्वे
राज्य मंत्री	.	माननीय श्री दीपक जोशी
प्रमुख सचिव	.	श्री अश्विनी कुमार राय
श्रम आयुक्त	.	श्री शोभित जैन
अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय	.	न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सोलंकी
उप सचिव	.	श्री अमर पाल सिंह
संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	.	डॉ. बी.एल. बंगेरिया

***

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2017–18

विषय सूची

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
		वर्ष 2017–18 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां	**1-6**
1		**श्रम विभाग की भूमिका**	7
	1.1	प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या	7
	1.2	संविधान के सुसंगत प्रावधान	7
	1.3	महत्वपूर्ण श्रम कानून	8
	1.4	विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी	10
	1.5	प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी	10
2.		**विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन**	**11-18**
	2.1	श्रमायुक्त संगठन	11
	2.2	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	12
	2.3	कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवायें	13
	2.4	औद्योगिक न्यायालय	13
	2.5	संविधिक मण्डल	14
	2.5.1	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल	14
	2.5.2	मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण, मंडल	14
	2.5.3	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	14
	2.5.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल	15
	2.6	ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य	15
	2.7	कम्प्यूटरीकरण	15
	2.8	बजट प्रावधान	18
3.		**औद्योगिक संबंध**	**19-24**

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
	3.1	सामान्य	19
	3.2	औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्रवाई	19
	3.3	ले–आफ, छंटनी और बन्दीकरण हेतु अनुमति	20
	3.4	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन	20
	3.5	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन	21
	3.6	व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन	22
4.		**औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा**	**25-33**
	4.1	सामान्य	25
	4.2	कारखाना अधिनियम, 1948	25
	4.3	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का कार्यान्वयन	29
	4.4	''अति खतरनाक'' स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन	29
	4.4.1	संक्षिप्त विवरण	29
	4.4.2	''अति खतरनाक'' श्रेणी के कारखाने	31
	4.4.3	ऑन साईट आपात योजनाएं	31
	4.4.4	ऑफ साईट आपात योजनाएं	31
	4.4.5	सुरक्षा आडिट	31
	4.5	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर	32
5.		**मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन**	**34-37**
	5.1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	34
	5.2	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	36
	5.3	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	36
	5.4	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	37

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
6.		**बाल श्रमिक**	**39-43**
	6.1	बाल श्रमिक	38
	6.2	बाल श्रम संबंधी कानून का प्रवर्तन	41
	6.3	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	42
7.		**बीड़ी श्रमिक**	**44-46**
	7.1	प्रारंभिक	44
	7.2	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन	44
	7.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण	44
	7.3.1	बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976	44
	7.3.2	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	44
	7.4	बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना	45
	7.5	घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा का निर्धारण	45
	7.6	बीड़ी श्रमिको को वेतन पर्ची	46
8.		**असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक**	**47-50**
	8.1	प्रारंभिक	47
	8.2	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यदल	47
	8.3	भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक	48
	8.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल,	50
9.		**बंधक श्रमिक**	**51-56**
	9.1	प्रारंभिक	51
	9.2	बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले	51
	9.3	जिला एवं उपखंड–स्तरीय निगरानी समितियां	52
	9.4	विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास	53

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
10.		**कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन**	**57-60**
	10.1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	57
	10.2	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	57
	10.3	मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	57
	10.4	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	59
	10.5	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्तें) अधिनियम,1979	60
11.		**कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें**	**61-66**
	11.1	प्रारंभिक	61
	11.2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पॅटर्न	61
	11.3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या	63
	11.4	चिकित्सा हितलाभ	63
	11.5	परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाएं	64
	11.6	श्रमिको के बच्चो की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओ के विस्तार संबंधी कार्य–योजना	65
	11.7	एच.आई.वी./एड्स प्रकोष्ठ	65
	11.8	विभागीय अमले की स्थिति	66
	11.9	विभागीय पदोन्नितियों की स्थिति	66
	11.10	विभागीय जांच की स्थिति	66
	11.11	नियुक्तियों की स्थिति	66
	11.12	स्थानांतरण की स्थिति	66
12.		**श्रम न्यायपालिका**	**67-68**
	12.1	संवैधानिक व्यवस्था	67
	12.2	औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन	67-68

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
13.		**राज्य–स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां**	**69**
	13.1	प्रारंभिक	66
	13.2	राज्य श्रम सलाहकार परिषद	69
	13.2.1	राज्य श्रम सलाहकार परिषद द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट पर विचार	69
	13.3	न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड	69
	13.4	राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड	69
	13.5	समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति	69
14.		**सांविधिक मंडल**	**70-83**
	14.1	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल	70-76
	14.2	मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल	77
	14.3	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	79
	14.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल	82-83
15.		**महिला श्रमिक**	**84-88**
	15.1	महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं	84
	15.2	महिलाओं के लिये विशेष अधिनियम	85
	15.3	महिला नीति एवं उनके हितों की सुरक्षा	86
	15.4	यौन उत्पीडन के लिये विशेष सुरक्षा	87
	15.5	अन्य सुविधाएं	88

* * *

परिशिष्ट

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ
1.1	भारत के संविघान के भाग 3 (''मूल आधिकार'') और भाग 4 (''राज्य की नीति के निदेशक तत्व'') के ''श्रम'' संबंधी प्रावधान	**89-90**
1.2	महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व	91
2.1	प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय तथा उनसे संबद्ध जिले	92-93
2.2	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्य क्षेत्र	94-95
2.3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संभाग एंव जिले–वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं	96-98
2.4	श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंर्तगत आने वाले जिले	99
2.5	गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एंव व्यय	100-101
3.1	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 की धारा 1(3) के अंतर्गत अनुसूचित उद्योग	102
3.2	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंर्तगत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई	103
3.3	औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 34 के अंर्तगत स्वीकृत अभियोजन	104
3.4	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33–सी(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किए वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि	105
3.5	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–एम, 25–एन तथा 25–ओ के अंर्तगत क्रमशः ले–ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई	106-107
3.6	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम ,1960 के अंर्तगत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई	108
3.7	म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 के अंर्तगत संपादित निरीक्षण/अभियोजन	109
3.8	औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई	110
3.9	व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत श्रम संगठनों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाई	111
3.10	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव/समझौते	112
4.1	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की संभाग एवं जिले–वार जानकारी	113
4.2	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी	114
4.3	मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिले–वार सूचीं	115-117

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ
4.4	ऑफ साईट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास	118
4.5	अति खतरनाक स्थापनाओं, जिनका सुरक्षा आडिट एम.एस.आई.एच.सी. नियम, 1989 के तहत अनिवार्य है, के सुरक्षा आडिट की स्थिति	119
4.6	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण भाग –एकः हानिकारक पदाथों की जांच	120
4.7	स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एवं उनका परिणाम	121
4.8	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण भाग –दोः स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबधी जांच	122
5.1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन	123-124
5.2	न्यूनतम मजदूरी की दरें	125
7.1	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिले–वार संख्या	126
7.2	बीड़ी श्रमिकों हेतु आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से स्वीकृत आवास	127
7.3	परिपत्र दिनांक 05.10.2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिले–वार निर्धारित वाजिब मात्रा	128
7.4	बीड़ी श्रमिकों को वेतन पर्ची वितरण की जानकारी	129
8.1	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नि. एवं सेवाशर्तो का वि.) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की कार्यालय–वार जानकारी	130-131
9.1	बंधक श्रमिकों का पुनर्वास	132-137
10.1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय–वार जानकारी	138-139
10.2	नगर / कस्बे जहां म. प्र. दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है	140-149
10.3	दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की जिले–वार जानकारी	150-151
10.4	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय–वार जानकारी	152-153
10.5	अंर्तराज्यि प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय–वार जानकारी	154-155
11.1	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों / औषधालयों में उपचारित मरीज	156

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ
11.2	परिवार कल्याण कार्यक्रम	156
11.3	टीकाकरण	157
11.4	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण	158
12.1	वर्ष 2014 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण	159
12.2	विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2014 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण	160

टीप : इस प्रतिवेदन में कतिपय श्रम कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं सांखिकी के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। परंतु विशिष्ट, पूर्ण और अद्यतन जानकारी के लिए मूल अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं एवं जानकारी आदि को ही देखा जाना चाहिए।

***

वर्ष 2017–18 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं

सुशासन की पहल

1. मुख्यालय एवं मैदानों कार्यालयों में कर्मचारियों के रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहयोग से श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षकों तथा लिपिकीय पदों पर भर्ती सुनिश्चित की गयी। समुचित प्रशिक्षण पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयो में नियुक्ति की गयी।

2. पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति संबंधी विभागीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को विभागीय कार्यालयों में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। समस्त विभागीय सेवाओं, योजनाओं एवं समस्त पंजीयन/लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया।

3. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एक कार्य दिवस में जारी किया जा रहा है। माह अगस्त से दिसंबर 2017 तक 10894 पंजीयन एक दिवस में जारी किये गए।

4. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन के पूर्व निरीक्षण/भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त। मात्र खतरनाक प्रकृति के संस्थानों में पंजीयन प्रक्रिया पश्चात् (पूर्व सूचना के साथ) भौतिक सत्यापन की व्यवस्था।

5. श्रम कानूनों में संस्थानों के निरीक्षण पश्चात् 24 से 48 घंटे की समय सीमा में निरीक्षण टीप पोर्टल पर अपलोड। संस्थानों/कारखानों हेतु ऑनलाइन निरीक्षण टीप देखने एवं ऑनलाइन अनुपालन प्रस्तुत करने की व्यवस्था।

6. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय सेवाओ को लोक सेवाओं के रूप में भी सम्मिलित कर समय–सीमा में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया गया । कुल 32 सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं।

7. सुक्ष्म, लघु एवं माध्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाईयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में विभिन्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जाना का निर्णय।

8. स्टार्ट–अप इकाईयों की स्थापना के प्रथम पांच वर्ष में विभिन्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जाने का निर्णय ।

9. बंधक श्रमिको को चिन्हांकित कर उनके उन्मूलन एवं पुनर्वास योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु राज्य के सभी बड़े जिलो में कार्य–शालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यकर्मो का आयोजन/बंधक श्रमिको की पहचान व विमुक्ति एवं पूनर्वास हेतु लिबर्टी पोर्टल का प्रारंभ। देश मे अग्रणी स्थान पर ।

10. बाल श्रम प्रथा की समाप्ति हेतु यूनिसेफ के साथ राज्य स्तरीय क्षमता वर्धन कार्यशाला। पेंसिल पोर्टल द्वारा बाल श्रमिकों व उनके पुनर्वास की ट्रेकिंग प्रारंभ।

11. अधिनियमों में सरलीकरण के दृष्टिगत सभी पंजीयनो एवं लाइसेंसो में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के कमी की गयी। विशेषतः कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति में अनिवार्य दस्तावेजो की संख्या 18 से कम कर 5 एवं अति–खतरनाक एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानो में यह संख्या 21 से कम कर 13 की गयी ।

12. कारखाना अधिनियम में अंतर्गत दुर्घटना दर 0.74 प्रति हजार से कम हो कर मात्र 0.45 रही ।

13. वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत कारखाना श्रमिकों एवं कारखाना के ठेका श्रमिकों को वेतन भुगतान चेक या बैंक द्वारा करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी ।

14. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओ में लाभ वितरण करने में राज्य देश में दूसरे नंबर पर अग्रणी ।

सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वव्यापीकरण

'डिजिटल इंडिया' मिशन के अंतर्गत किये गए कार्य :

1. श्रम विभागीय सभी सेवाओ को केन्द्रीयकृत पोर्टल (www.labour.mp.gov.in) के माध्यम से सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है ।

2. सभी श्रम कानूनों में पंजीयन एवं लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑन–लाईन जैसे मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, भवन संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीयन लायसेंस के नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण को पूर्णतः ऑनलाइन की गयी।

3. डुप्लिकेशन से बचने हेतु आवेदनों में आवेदक के आधार की अनिवार्यता ।

4. पोर्टल द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्रों का पब्लिक डोमेन में सत्यापन की सुविधा
5. ऑन लाइन जारी लाइसेंस पंजीयन पर निर्धारित शुल्क तथा प्रतिभूति की राशि अंकित ताकि मध्यस्थों द्वारा अवैधानिक रूप से राशि वसूल ना की जा सके ।
6. SMS/ ईमेल के माध्यम से स्टेटस अपडेट उपलब्ध।
7. प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण तथा डिजिटल/कम्प्यूटराईज्ड संधारण की अनुमति।
8. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन के साथ सक्षम व्यक्तियों का पंजीयन/संस्थानों एवं खतरनाक कारखानों हेतु ऑन–साईट इमरजेंसी प्लान्स को भी ऑन लाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
9. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में उपकर जमा की सुविधा वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ।
10. भारत सरकार द्वारा बाल श्रम हेतु निर्मित "पेंसिल पोर्टल" का क्रियान्वयन कर सभी जिलो में नोडल अधिकारी नामांकित करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बना।

12. मध्य प्रदेश में व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत संघो का पंजीयन एवं रिटर्न्स फाइल करने की सुविधा ऑनलाइन।

14. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत श्रम विभागीय पोर्टल– 'श्रम–सेवा' ((www.labour.mp.gov.in) पर सिंगल विन्डो के माध्यम से सभी सेवाओं के प्रदाय एवं हितलाभ वितरण ।

15. कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखानों के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष को अधिकृत किया गया ।

निरीक्षणों का विनियमन एवं ऑन लाइन संचालन

1. रिस्क आधारित ऑन–लाईन निरीक्षण प्रणाली तथा शिकायत आधारित निरीक्षण की अनुमति ऑन–लाईन /पारदर्शिता हेतु निरीक्षको का चयन रैंडम आधारित प्रणाली से करने की व्यवस्था की गई।

2. शिकायत/ अनुमति आधारित निरीक्षणों को ऑन लाइन जारी किया जाना ।

3. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत स्थापना में जहां 10 से कम श्रमिक हो वहां किसी भी श्रम अधिनियम में निरीक्षण श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर संभव नहीं ।

4. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी निरीक्षणों को अनिवार्यतः संयुक्त रूप से (ओद्योगिक स्वास्थ एवं सुरक्षा के अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक/श्रम अधिकारी द्वारा) संचालित करने के निर्देश जारी ।

5. निरीक्षणों के सतत पर्यवेक्षण की अनवरत व्यवस्था की गई।

आम–जन तक सेवाओं की उपलब्धता

1. ऑनलाइन सेवाओं की श्रम विभागीय पोर्टल के माध्यम से तथा राज्य के लगभग 23 हजार MP-Online किओस्क तथा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी उपलब्धता ।

ऑनलाइन सेवाओं का सफलतम एकीकरण (Integration)

1. प्रथम चरण के अंतर्गत, भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल से दिसम्बर 2017 से सफलतम इंटीग्रेशन किया गया एवं राज्य के सभी कारखानों को यूनिक लेबर इंडेक्स नंबर जारी ।

2. भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को इस तरह की सफलतम इंटीग्रेशन हेतु "तृतीय स्थान" पर रखा गया।

3. श्रम विभाग को मध्यप्रदेश शासन के इन्वेस्ट पोर्टल से जोड़ कर श्रम सेवा पोर्टल की 5 मुख्य सेवाओ को जोड़ा गया।

4. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियमित समीक्षा हेतु विभागीय सभी ऑनलाइन सेवाओ को सीएम डैश बोर्ड से जोड़े जाने का कार्य प्रचालन में ।

नवाचार की पहल

1. नवाचार के दृष्टीगत श्रम अधिनियमों में प्राप्त पंजीयन/लासेंस आवेदनों को 7 कार्य दिवस में निपटारा किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी।

2. बंधक श्रमिको की ट्रैकिंग एवं पुनर्वास हेतु ऑनलाइन (लिबर्टी) पोर्टल से सुविधा उपलब्ध। मोबाइल एप्प के माध्यम से पब्लिक इंटरफेस की व्यवस्था।

3. मध्यप्रदेश "लिबर्टी पोर्टल" आरंभ कर बंधुआ मजदूरों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू करने वाला अग्रणी राज्य बना। लिबर्टी पोर्टल का शुभारंभ भारत सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

विभिन्न मंडलों की पहल

1. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में उपकर जमा की सुविधा वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।

2. श्रमोदय विद्यालयों के अंतर्गत भर्ती किये जाने वाले विद्यार्थी को संपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन।

3. राज्य में जन अभियान परिषद द्वारा सर्वे शुरू कर ज्यादा से ज्यादा पात्र निर्माण श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत करने का कार्य प्रारंभ।

4. वर्ष 2017–18 में अब तक लगभग 1 लाख 5 हजार नवीन निर्माण श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया।

बंधक एवं बाल श्रम पुनर्वास

1. बंधक श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रदेश के समस्त 51 जिले में जिला स्तरीय सतर्कता समितियां का पुनर्गठन कई वर्षो उपरांत किया गया।

2. राज्य में 51 जिलों में से 50 जिलो में बंधक श्रम पुनर्वास निधि समिति का (कार्पसफण्ड) गठन किया गया है। 34 जिलों को रुपये 49.52 लाख की राशि आवंटित की गयी है।

3. बंधक एवं बाल श्रमिको की विमुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में किये गये प्रयास तथा विमुक्ति की कार्यवाही में मानक प्रचलन प्रक्रिया (SOP) का समावेश करते हुए बुकलेट्स जारी की गयी।

4. बंधक श्रम विषय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ भोपाल में कार्यशाला तथा बाल श्रम विषय पर यूनिसेफ के साथ इन्दौर में कार्यशाला का आयोजन।

5. बंधक श्रम एवं बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया गया।

6. राज्य शासन से समन्वय स्थापित कर नयी बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 के क्रियान्वयन हेतु 2 करोड़ 34 लाख का बजट उपलब्ध करवाया गया।

7. भारत सरकार द्वारा 25.90 लाख रुपये 8 जिलो में बंधक सर्वेक्षण हेतु एवं जन–जागरण कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत किये गए।

8. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

औद्योगिक संबंध

1. राज्य में औद्योगिक संबंधों की स्थिति सौहार्दपूर्ण। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत 14 औद्योगिक इकाईयों में उत्पन्न श्रमिक विवाद एवं गतिरोध की स्थिति त्वरित विभागीय हस्तक्षेप से समाप्त कराई गई।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड का परिपालन न होने के कारण श्रमिक हित में 53 प्रकरणों में अभियोजन दायर करने की स्वीकृति दी गई एवं 159 प्रकरणों में श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का परिपालन करवाया गया।

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी–1 के अंतर्गत 45 प्रकरणों में श्रमिकों के हित में रु. 1 करोड़ 31 लाख के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये।

प्रवर्तन

1. राज्ये में विभिन्न श्रम कानूनों में श्रमिक हितैषी प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित कराया गया।

2. निरीक्षण कार्य पूर्णतः अनुमति आधारित ऑन लाइन किया जाकर पारदर्शिता लायी गयी। अनावश्यक निरीक्षणों पर रोक।

3. वर्ष 2017–18 में विभिन्न श्रम कानूनों में 6842 निरीक्षण किये गये तथा उल्लंघन पाये जाने पर 1471 अभियोजन तथा कम भुगतान के प्रकरणों में 234 दावे सक्षम न्यायालयों में दायर।

4. वर्ष 2017–18 में कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि. से 633 निरीक्षण किये गये तथा उल्लंघन पाये जाने पर 99 अभियोजन सक्षम न्यायालयों में दायर।

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, मध्य प्रदेश

1. कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के 793 ऑपरेशन्स किये गये है ।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग कॉरपस फण्ड व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनॉक 31.3.2015 से समाप्त करते हुए, एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 द्वारा भुगतान रहित व्यवस्था दिनॉक 1.4.2015 से प्रारम्भ की गई है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न अनुबंधित चिकित्सालयों में हितग्राहियों के सैकेण्डरी केयर उपचार अन्तर्गत 7,171 प्रकरणों में रूपये 6,05,40,526/– एवं सुपरस्पेशिलिटी उपचार अन्तर्गत 07 प्रकरणों में रूपये 18,81,894/– के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई ।
3. सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0–18 वर्ष आयु के बच्चों का विभागीय औषधालय एवं चिकित्सालय के माध्यम से 123 शिविर आयोजित कर 7855 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है ।
4. कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के हितग्राहियों को सुपरस्पेशिलिटी उपचार हेतु निगम द्वारा सीलिंग से बाहर व्यय के अंतर्गत कैशलेस सुविधा दिनॉक 1.9.2015 से पुनः उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया है, जो निरन्तर है ।
5. कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं द्वारा 8,323 मरीजों को अंतरंग एवं 13,38,734 मरीजों को बाह्य उपचार उपलब्ध कराया गया ।
6. हिपेटाईटिस ''बी'' से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाईटिस–बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाईयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 149 हितग्राहियों को टीकें लगाये गये है ।
7. परिवार कल्याण व टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 403 नसबन्दी शल्य क्रियाऐं सम्पन्न की गई व 7,271 लाभार्थियों को विभिन्न रोगों के रोग निरोधक टीके लगाये गये ।
8. प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार हेतु राज्य शासन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को स्वयं प्रारम्भिक चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके प्रकाश में भारत शासन की अधिसूचना दिनॉक 9.8.2016 द्वारा 22 क्षेत्रों में योजना व्याप्त करते हुए निगम द्वारा 30 स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है एवं अन्य अव्याप्त 29 जिला मुख्यालयों हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।
9. योजना में व्याप्त हितग्राहियों को अस्पताल में भर्ती होने पर पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराने हेतु भोजन दर सामान्य मरीजों हेतु रूपये 30/– से बढ़ाकर रूपये 44/– प्रतिदिन व प्रसूता महिलाओं हेतु रूपये 94/– प्रतिदिन कर दिया गया है ।
10. भोपाल, ग्वालियर के क्षय चिकित्सालय तथा ग्वालियर के 01 व इन्दौर के 03 औषधालयों में विशेष मरम्मत के कार्य प्रारंभ कर दिये गये ।

* * *

अध्याय–1
श्रम विभाग की भूमिका

1.1. प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में मुख्य कार्यशील जनसंख्या, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा कुल श्रमिकों में उनका प्रतिशत, आदि आंकडे इस प्रकार हैं।

तालिका 1.1

म.प्र. की मुख्य कार्यशील जनसंख्या एवं श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत आदि (लाखों में)

श्रमिकों में वर्ग	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	कुल जनसंख्या में प्रतिशत	कुल श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत
कुल जनसंख्या	726.27	100.00	230.02
कुल कर्मी	315.74	43.47	100.00
दीर्घकालिक कर्मी	227.02	31.26	71.90
काश्तकार	82.15	11.31	26.02
खेतीहर मजदूर	66.31	9.13	21.00
पारिवारिक उद्योग कर्मी	6.48	0.89	2.05
अन्य कर्मी	72.09	9.93	22.83
अल्पकालिक कर्मी	88.72	12.22	28.10
काश्तकार	16.29	2.24	5.16
खेतीहर मजदूर	55.61	7.66	17.61
पारिवारिक उद्योग कर्मी	3.12	0.43	0.99
अन्य कर्मी	13.69	1.88	4.34
गैर कर्मी	**410.53**	**56.53**	**130.02**

1.2. संविधान के सुसंगत प्रावधान

भारत के संविधान के ''मूल अधिकार'' और ''राज्य की नीति के निदेशक तत्व'' संबंधी अध्यायों में वे सिद्धांत विहित हैं, जिन पर राज्य की श्रम नीति आधारित होगी। तत्संबंधी उद्धरण **परिशिष्ट–1.1** पर संलग्न है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :–

- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें निर्बाध परंतु शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की स्वतंत्रता शामिल है

- बलात् श्रम का और कारखानों, खदानों तथा जोखिम–युक्त नियोजनों में बाल श्रम का निषेध,

- पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन,

- कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की तथा बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा,
- काम की न्याय–संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध,
- सभी कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन–स्तर, आदि सुनिश्चित किया जाना, और
- उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी।

''श्रम'' संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उद्धरण निम्नानुसार है :–

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशायें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।

समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिये संसद और राज्य के विधान–मंडल दोनों सक्षम हैं।

1.3. महत्वपूर्ण श्रम कानून

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के लिये प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लिखित जिन कानूनों के नाम ''मध्य प्रदेश'' से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं, तथा शेष केंद्रीय अधिनियम हैं) :–

1. औद्योगिक संबंध विषयक कानून

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
2. मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
3. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
4. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961

2. मजदूरी (पारिश्रमिक) संबंधी कानून

6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
8. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

3. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून

9. कारखाना अधिनियम, 1948
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986–विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम :

(क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
(ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996

11. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983

4. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून

12. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
13. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
14. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

15. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
16. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
17. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
18. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976
19. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955
20. सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981

5. <u>महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून</u>

22. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
23. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

6. <u>श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून</u>

24. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
25. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
26. बाल (श्रम–गिरवीकरण) अधिनियम, 1933
27. मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003

7. <u>सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून</u>

28. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
29. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
30. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
31. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

8. <u>श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून</u>

32. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996
33. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 } तथा संबंधित
34. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान } उपकर कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 } अधिनियम
35. चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972
36. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982
37. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982

9. <u>विविध</u>

38. श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988

उपर्युक्त में से कुछ अधिनियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह केन्द्र सरकार की और कुछ की पूरी तरह राज्य सरकार की है, जबकि कतिपय अधिनियमों के क्रियान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका है। इस संबंध में अधिनियम–वार जानकारी **<u>परिशिष्ट–1.2</u>** में दी गई है।

1.4. विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी :–

राज्य के श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। इसके आधार पर प्रदेश को एक सक्षम श्रम शक्ति प्राप्त होती है जो कि औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान देती है।

विभाग श्रमायुक्त संगठन के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा–शर्तो का विनियमन करता है जिससे श्रमिकों के वेतन एवं कार्यदशाएं समुचित रहती हैं तथा औद्योगिक विवाद का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। इसके साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है जिससे आकस्मिक रूप से श्रमिक दुर्घटना के शिकार न हों, एवं उन्हें समुचित कार्यदशा कार्य करने के लिये उपलब्ध हो सके।

श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिये विभाग कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के माध्यम से श्रमिकों को स्वास्थ सुरक्षा उपलब्ध कराता है। असंतोष एवं अनिर्णय की स्थिति में अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत श्रम न्यायपालिका के माध्यम से श्रमिकों को सुलभ न्याय प्राप्त होता है।

1.5. प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी

प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एवं अन्य अधिनियमों पंजीकृत कारखानों तथा श्रमिकों की नियोजन क्षमता की जानकारी की जानकारी 31.12.2017 की स्थिति में निम्नानुसार हैः–

तालिका 1.2

क.	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की संख्या, जो अनुज्ञप्ति / पंजीयन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित है
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	15881	–	885175
2.	म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	1149126	–	637927
3.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन अधिनियम, 1970)	3266	11260	143166
4	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	4349	–	31825
5	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966	254	–	197063
6	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो विनियमन) अधिनियम, 1996	6261	–	300205
7	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ते), 1979	119	293	15908

(उपर्युक्त आंकड़ों का संभाग एवं जिले–वार विवरण परिशिष्ट– 4.1, 7.1, 8.1, 10.1, 10.3 एवं 10.4, 10.5 में देखा जा सकता है।)

* * *

अध्याय–2

विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन

श्रम विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार तीन विभागाध्यक्ष संगठन और पांच सांविधिक मंडल कार्यरत हैं :–

विभागाध्यक्ष

1. श्रमायुक्त (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सहित)
2. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
3. पंजीयक, औद्योगिक न्यायालय

उपर्युक्त तीनों विभागाध्यक्षों का मुख्यालय, इंदौर में है।

सांविधिक मंडल

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल
2. मध्य प्रदेश स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
3. मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
4. म.प्र.शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

उक्त विभागाध्यक्ष संगठनों और सांविधिक मंडलों के बारे में संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

2.1 श्रमायुक्त संगठन

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिये आवश्यक संख्या में उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी आदि नियुक्त करेगा। तद्नुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत ''मुख्य संराधक'' भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इन्दौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो संगठन कार्यरत हैं एक संगठन श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करता है, तथा दूसरा संगठन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संचालनालय के माध्यम से संपादित करता है।

मुख्यालय में उक्त प्रथम संगठन के अंतर्गत वर्तमान में **एक** अपर श्रमायुक्त, दो उप श्रमायुक्त, एक सहायक श्रमायुक्त, छः श्रम पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी पदस्थ हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये अपर श्रमायुक्त का एक पद श्रम विभागीय आदेश दिनांक 15.6.2011 द्वारा सृजित किया गया है, जो वर्तमान में रिक्त हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में अब श्रम कार्यालय स्थापित हैं। सभी कार्यालयों में श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त की पदस्थापना होने तक इन जिलों का प्रभार समीपस्थ जिले अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी स्तर के पदस्थ अधिकारी द्वारा देखा जाता है। दो जिलों (धार एवं भिण्ड) में दो–दो कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें एक–एक जिला मुख्यालय पर तथा दूसरा प्रमुख औद्योगिक केन्द्र (क्रमशः पीथमपुर एवं मालनपुर) पर स्थित है। प्रदेश के कुल 51 जिलों में से 10 संभागीय कार्यालयों (इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, नर्मदापुरम संभाग–होशंगाबाद, शहडोल एवं चंबल संभाग–मुरैना) एवं 01 जिला सिंगरोली में सहायक श्रमायुक्त स्तर के तथा शेष

42 कार्यालय श्रम पदाधिकारी स्तर के हैं। वर्तमान में संभागीय व्यवस्था पुनर्जीवित होने से संभाग स्तर पर पदस्थ सहायक श्रमायुक्त संभागीय स्तर का कार्य भी देख रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रम कार्यालयों की जानकारी **परिशिष्ठ 2.1** में देखी जा सकती है।

2.1.1 श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति, स्थानांतर, विभागीय जांच, सेवानिवृत्ति के साथ ही न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति दर्शाने वाली तालिका के साथ जानकारी निम्नानुसार हैः–

1– **पदोन्नति – वर्ष 2017 में श्रम निरीक्षक से सहायक श्रम पदाधिकारी के पद पर एक पदोन्नति दी गयी है।**

2– **स्थानांतरण** – वर्ष 2017 में प्रशासकीय, स्वैच्छिक आधार एवं कार्यसुविधा की दृष्टि से श्रम आयुक्त संगठन में स्थानांतरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रथम श्रेणी	व्दितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
9	30	75	5

3– **विभागीय जांच** – दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में कुल लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या 15 है।

4– **सेवानिवृत्ति** – वर्ष 2017 में श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत सेवानिवृत्त/स्वै.से.नि. मृत्यु/अन्य कारणों से सेवा से पृथक/सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की श्रेणीवार जानकारी निम्नानुसार है :–

प्रथम श्रेणी	व्दितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	**योग**
02	**07**	**34**	**03**	**46**

2.2 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शाखा संचालक के प्रभार में है। उनके अधीन मुख्यालय में एक संयुक्त संचालक, एक उप संचालक तथा सहायक संचालक के दो पद स्वीकृत हैं। ये सभी तकनीकी पद हैं। इंदौर में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी अभियांत्रिकी स्नातक होते हैं। इनके निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं:–

1. संचालक 01
2. संयुक्त संचालक 03
3. उप संचालक 12
4. सहायक संचालक 25
   (टिप्पणीः– वर्तमान में 10 सहा.संचालक कार्यरत है।)

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्य के लिए तीन झोनल संयुक्त संचालक (1. भोपाल, 2 इंदौर तथा मुख्यालय इंदौर में) तथा ग्यारह (स्वंतत्र) संभागीय उपसंचालक के कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं –

1. इंदौर, 2. उज्जैन, 3. देवास, 4. खण्डवा, 5. भोपाल, 6. जबलपुर, 7. सतना, 8. ग्वालियर, 9. मुख्यालय, इंदौर 10. बीना (जिला सागर), 11. सिंगरौली।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थित हैं, जिसके प्रभारी उप संचालक है। मन्दसौर में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित है, जिसके प्रभारी सहायक सचांलक हैं। विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 2.2** में देखी जा सकती है।

2.3 कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवायें

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संचालित है, जिसका संचालनालय इन्दौर में है तथा संचालक इसके विभागाध्यक्ष है। मुख्यालय में उनके अधीन दो उप संचालक तथा एक सहायक संचालक के पद स्वीकृत है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्तमान में प्रदेश के 20 केन्द्रों पर संचालित है, जो पॉच क्षेत्रीय उप संचालकों के अन्तर्गत कार्य करते है। प्रदेश के 20 जिलों में 20 केन्द्रों पर 42 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, 3 पैनल क्लिनिक, 5 सामान्य चिकित्सालय (उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल देवास एवं नागदा) 1 क्षय चिकित्सालय (इन्दौर) तथा 1 एनेक्सी वार्ड (मन्दसौर) स्थापित है। कार्यरत क.रा.बी.संस्थाओं की संभाग, जिलें एवं केन्द्र–वार सूची **परिशिष्ट– 2.3** में दी गई है। प्रदेश में जिन केन्द्रों पर विभाग के चिकित्सालय कार्यरत नही है वहॉ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 16 चिकित्सालयों में 96 सामान्य तथा 46 क्षय, शैय्याओं का आरक्षण कर अंतरंग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 का पालन करते हुए भुगतान रहित द्वितीयक व सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत हितग्राहियों के द्वितीयक उपचार एवं जॉच हेतु संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं द्वारा निजी क्षेत्र के 60 निजी संस्थानों को अनुबंधित किया गया है। सुपरस्पेशिलिटी उपचार व जॉच हेतु अनुबंध की कार्रवाई वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा की गई है ।

2.4. औद्योगिक न्यायालय

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय स्थापित है। इसका मुख्यालय इन्दौर में है तथा 4 खंडपीठें क्रमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित हैं। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है, जिनमें से 2 मुख्यालय इन्दौर में, एवं 4 खंडपीठों के लिए है। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7–क के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त हैं।

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में 25 श्रम न्यायालय गठित हैं इनके नाम और कार्यक्षेत्र परिशिष्ट 2.4 में देखे जा सकते हैं जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है। खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी हैं।

2.5. सांविधिक मण्डल

श्रम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नलिखित पांच संविधिक मण्डल कार्यरत हैं :–

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल
2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
4. म.प्र. शहरी असंगठित कर्मकार मण्डल
5. म.प्र. ग्रामीण असंगठित कर्मकार मण्डल

2.5.1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982, के अंतर्गत गठित है। म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधान उन्ही स्थापनाओं पर लागू है जहा 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। माइक्रो इंडस्ट्रीज को उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त है। म.प्र. श्रम कल्याण का मंडल का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनायें/गतिविधियाँ संचालित करना है। इसके लिये अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उक्त निधि में एकत्र राशि से मंडल विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। मंडल के संचालक मंडल में धारा 4 तथा नियम 5 के अनुसार नियोजकों के 6 प्रतिनिधि, श्रमिकों के 6 प्रतिनिधि तथा 7 स्वतंत्र सदस्य जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य रखे जाने का प्रावधान है। सदस्यों का कार्यकाल धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार 3 वर्ष होगा। वर्तमान मे माननीय श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे मण्डल के अध्यक्ष है। मंडल के कल्याण आयुक्त उप श्रम आयुक्त है।

2.5.2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत मंदसौर जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना की गई है। इसके संचालन के लिये एक मंडल गठित है, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष होता है। मंडल में अध्यक्ष तथा सचिव के अलावा नियोजकों एवं कर्मकारों के तीन–तीन प्रतिनिधि तथा तीन स्वतंत्र सदस्य होते हैं। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे मंडल के अध्यक्ष हैं। मंडल के सचिव सहायक श्रम आयुक्त है।

2.5.3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमयन) अधिनियम 1996 की धारा 18 सहपठित म0प्र0 नियम 2002 के नियम 251 के अंतर्गत मण्डल का गठन प्रथम बार राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया था। तदुपरांत मण्डल का कार्यकाल (3 वर्ष) पूर्ण होने पर अधिसूचना द्वारा समय समय पर पुनर्गठन किया गया हैं। मण्डल में प्रमुख सचिव, श्रम कल्याण आयुक्त, (भारत सरकार) जबलपुर तथा मुख्य निरीक्षक एवं श्रमायुक्त पदेन सदस्य के अलावा मण्डल में राज्य शासन के विभागो का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य तथा भवन कर्मकारो के नियोजको का प्रतिनिधत्व करने वाले पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते है। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे मण्डल के अध्यक्ष है। मंडल के सचिव उप श्रम आयुक्त है।

2.5.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म. प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया, राज्य शासन द्वारा मा. श्री सुल्तान सिंह शेखावत को म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री शेखावत द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मंडल अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया है, परन्तु मंडलों के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण तथा निधि के संग्रहण तथा मंडल हेतु स्टाफ तथा मंडल के संचालन के लिये निधि/वजट की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलित है। मंडल के सचिव उप श्रमायुक्त है।

2.6. ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य

2.6.1 ग्राम–स्तर पर श्रम विभाग से संबंधित कार्य ग्राम सभा की ''ग्राम विकास समिति'' नामक स्थायी समिति को सौंपे गए हैं। ये कार्य मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं:–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
2. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम,
4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और इस संबंध में अधिक विवरण अध्याय 5, 6 एवं 8 में दिया गया है।

2.7 कम्प्यूटरीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के साथ श्रम विभाग डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण करते हुए समस्त पंजीयन, अनुज्ञप्ति, निरीक्षण प्रक्रिया, बंधक मजदूरी पर नियंत्रण एवं उनके उन्मूलन संबंधित सभी सेवाओं को ऑन–लाईन कर दिया गया है। विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा निरंतर प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु अग्रसर है। इस संबंध में कियें गए उत्कृष्ट प्रयासों एवं कार्यों की प्रशंसा भारत सरकार स्तर पर भी की जा रही है।

"ईज–ऑफ–डूईंग–बिजनेस" की उपलब्धियां :

1. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत श्रम विभागीय पोर्टल–''श्रम–सेवा:'' (www.labour.mp.gov.in) पर सिंगल विन्डो के माध्यम से सभी सेवाओ एवं हित लाभ वितरण की व्यवस्था।
2. कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखानों के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष को अधिकृत किया गया है।
3. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण एक कार्य दिवस में जारी किया जा रहा है ।

निरीक्षणों का नियमित संचालन :

1. रिस्क आधारित ऑन–लाईन निरीक्षण प्रणाली तथा शिकायत आधारित निरीक्षण की अनुमति ऑन–लाईन, पारदर्शिता हेतु निरीक्षको का चयन रैंडम आधारित प्रणाली एवं आस–पास के जिले से करने का प्रावधान।
2. शिकायत/अनुमति आधारित निरीक्षणों को ऑनलाइन जारी किया जाना बाध्य है।

3. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत स्थापना में जहां 10 से कम श्रमिक हो वहां किसी भी श्रम अधिनियम में निरीक्षण श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर संभव नहीं।
4. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी निरीक्षणों को अनिवार्यतः संयुक्त रूप से (ओद्योगिक स्वस्थ्य एवं सुरक्षा के आधिकारी एवं श्रम निरीक्षक द्वारा) संचालित करने के निर्देश जारी।
5. निरीक्षणों के सतत पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है।

जनसामान्य तक सेवाओं की उपलब्धताः

1. ऑनलाइन सेवाओं को पोर्टल के माध्यम से उपलब्धता कराने हेतु राज्य के 23 हजार एमपी–ऑनलाईन किओस्क्स के माध्यम से भी उपलब्ध करायी गयी।
2. सभी कार्यालयो को सरकारी डोमेन (mp.gov.in) पर ई–मेल की उपलब्धता।
3. कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से विभागीय सेवाओं एवं हितलाभों हेतु पोर्टल पर पंजीकृत करने हेतु आयोजन।
4. पोर्टल द्वारा "आप पर लागू श्रम कानूनों" को जानने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी ताकि सभी कानूनों/अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन किया जा सके।
5. विभागीय वेबसाईट को दिव्यांगजन की सुविधा अनुसार विकसित करने का कार्य प्रचालन में ।

ऑनलाइन सेवाओं का सफलतम एकीकरण (इंटीग्रेशन):

1. प्रथम चरण के अंतर्गत, भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल से दिसम्बर 2017 से सफलतम इंटीग्रेशन किया गया एवं राज्य के सभी कारखानों को यूनिक लेबर इंडेक्स नंबर जारी किया गया।
2. भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य इस तरह की सफलतम इंटीग्रेशन हेतु "तृतीय स्थान" पर रखा गया।
3. श्रम विभाग की मुख्य सेवाओ को मध्यप्रदेश शासन के इन्वेस्ट पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है।
4. एमपी इनवेस्ट पोर्टल मे श्रम सेवा पोर्टल की 5 मुख्य सेवाओ को जोड़ा गया।
5. माननीय मुख्यमंत्री जी नियमित समीक्षा हेतु सभी ऑनलाइन सेवाओ का डैश बोर्ड।
6. सेंट्रलाईजड इंन्स्पेक्शन मोड्यूल हेतु मध्यप्रदेश इन्वेस्ट पोर्टल से डाटा साझा कर विभागीय ऑन बोर्डिंग की गयी।

नवाचार की पहलः

1. नवाचार के दृष्टीगत निम्नलिखित अधिनियमों में प्राप्त आवेदनों को 7 कार्य दिवस में निपटारा किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी।
   - ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारो की अनुज्ञपति/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
   - ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन/संशोधन ।
   - भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापनाओं का पंजीयन/संशोधन।
   - मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम,1961 तथा मध्यप्रदेश नियम, 1963 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीयन/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
   - अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों की अनुज्ञपति/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।

– अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन/ संशोधन।

2. बंधक श्रमिको की ट्रैकिंग एवं पुनर्वास हेतु ऑनलाइन (लिबर्टी) पोर्टल से सुविधा उपलब्ध। मोबाइल एप्प के माध्यम से जियो टैगिंग करने की सुविधा उपलब्ध।

विभिन्न मंडलो हेतु सूचना प्रौद्योगिकी पहल :

1. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में उपकर जमा की सुविधा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।
2. श्रमोदय विद्यालयो के अंतर्गत किये जाने वाले विद्यार्थी को संपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने का कार्य प्रचालन में।
3. राज्य में जन अभियान सर्वे शुरू कर ज्यादा से ज्यादा पात्र कर्मकार मजदूरो को पोर्टल पर पंजीकृत करने का कार्य प्रारंभ।
4. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रमिको के पंजियन तथा उन्हें प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के हित लाभ ऑनलाइन किये जाने की प्रक्रिया प्रचालन में।
5. स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा सेस संग्रहण की प्रक्रिया की कार्यवाही प्रचालन में।
6. वर्ष 2017–18 में अब तक लगभग 1 लाख 50 हजार नवीन श्रमिको को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया।

श्रम विभागीय सेवाओ के मोबाइल एप

शासन द्वारा विभिन्न श्रम विभागीय सेवाओ को "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल एप के माध्यम से नागरिको को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। श्रम विभागीय सेवाओ के मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। वर्तमान में "एम–श्रम सेवा एप" के माध्यम से श्रम–विभाग की निम्न महत्वपूर्ण सेवाएँ नागरिकों हेतु उपलब्ध रहेगी

1. दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन एवं नवीनीकरण संबंधी आवेदनों की स्थिति जानने एवं पंजीयन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा।
2. कारखानों के पंजीयन संबंधी आवेदनों की स्थिति जानने एवं लायसेंस डाउनलोड करने की सुविधा।
3. ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख नियोजक के पंजीयन एवं ठेकेदारों के लायसेंस हेतु आवेदन की प्रक्रिया व स्थिति जानने की सुविधा।
4. भवन एवं अन्य संनिर्माण संस्थानों के पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया व स्थिति जानने की सुविधा।
5. "ईज ऑफ डुईंग बिजनेस" के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की जानकारी।
6. महत्वपुर्ण विभागीय आदेश, परिपत्र, प्रपत्र, सूचनाएँ एवं घटनाओं की जानकारी।
7. राज्य में प्रचलित न्यूनतम वेतन की जानकारी।
8. श्रम विभागीय लोक सेवाओं की जानकारी।

विभाग के ई–गवर्नेन्स एवं प्रोसेस री–इंजिनीयरिंग के प्रयासों को विभिन्न स्तरों से सराहना एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनकी संक्षेप में जानकारी निम्नवत है :–

(1) ईज ऑफ डूईग बिजिनेस हेतु विश्व बैंक द्वारा श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा की गई पहल को सराहा गया है।
(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु सरकारी प्रकिया पुनः अभियात्रिकी (जी.पी. आर.) में उत्कृटता हेतु प्रथम पुरस्कार।

विभाग के समस्त शासकीय सेवकों को कार्य करने हेतु कम्प्यूटर उपलब्ध हो, इस हेतु प्रयास किये जा रहे है। मुख्यालय में उपलब्ध समस्त सिस्टम्स को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट एवं ई–मेल सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यालय में स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) स्थापित किया गया है।

मुख्यालय में कम्प्यूटरीकरण कार्य के लिये पृथक से कोई तकनीकी अमला स्वीकृत नहीं होने से कम्प्युटरीकरण तथा इसके विकास कार्यो में कठिनाईयाँ है, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। इस के अतिरिक्त विभाग में उपलब्ध 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर के तकनीकी पदों को शीघ्र भरा जाना होगा। विभागीय कप्यूटरीकरण, हार्डवेयर–साफ्टवेयर के रखरखाव एवं ई–गवर्नेंस पहल हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने की उद्देश्य से मेप–आई.टी. से दो सलाहकार संविदा के आधार पर श्रम आयुक्त कार्यालय में अपनी सेवाएँ दे रहे है, जिन्हें कार्यालय की आई.टी. शाखा के अधीन कार्य करने के लिए निर्देश दिये गये है।

श्रम विभाग की समस्त गतिविधियों से संबंधित जानकारी विभागीय वेब पोर्टल http://labour.mp.gov.in पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

2.8 बजट प्रावधान

श्रम आयुक्त संगठन, श्रम न्याय पालिका एवं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ के लिए विगत तीन वर्षों के बजट प्रावधान तथा उनके विरूद्ध व्यय की जानकारी परिशिष्ट–2.5 में दर्शायी गयी है।

* * *

अध्याय–3
औद्योगिक संबंध

3.1. सामान्य

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून लागू हैंः– मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 प्रदेश की ऐसी समस्त अनुसूचित औद्योगिक इकाइयों पर लागू है, जहां विगत एक वर्ष में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची **परिशिष्ट–3.1** में दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो केंद्रीय अधिनियम है, प्रदेश की शेष ऐसी इकाइयों पर लागू है, जो मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची में नही हैं अथवा जहां 100 से कम संख्या में श्रमिक नियोजित हैं।

जब कभी किसी उद्योग में हड़ताल, तालाबंदी आदि की संभावना होती है या उसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिक और नियोक्ता पक्षों से लगातार चर्चा कर समस्या का सौहार्द्रपूर्ण विधि अनुकूल हल निकालने और औद्योगिक शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

3.2. औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्रवाई

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग में किसी एक बहुसंख्य श्रमिक सदस्यता वाले श्रमिक संघ को, शासन द्वारा नियुक्त पंजीयक, प्रतिनिधि संघ, के द्वारा मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के कारण उद्योगों में विभिन्न पंजीकृत श्रमिक संघों में प्रजातांत्रिक प्रतियोगिता रहती है। उक्त अधिनियम में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में, वरीयता क्रम में मान्यता प्राप्त यूनियन, पंजीयत यूनियन और इन दोनों की अनुपस्थिति में श्रम पदाधिकारी को श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने, ''परिवर्तन'' की सूचना देने तथा विवाद की सूचना देने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में सुलह कार्रवाई को अनिवार्य बनाया गया है ताकि यथासंभव हड़ताल या आंदोलन की स्थिति निर्मित न हो।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, में सभी श्रमिक संघों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। वे अपने सदस्य श्रमिकों के लिये मांगें प्रस्तुत करते हैं, जिन पर श्रम विभाग द्वारा मध्यस्थता कर सुलह के प्रयास किये जाते हैं।

श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों में त्वरित हस्तक्षेप कर जहां औद्योगिक अशांति का वातावरण दूर कर उत्पादन वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर श्रमिक प्रतिनिधियों तथा प्रबंधन के मध्य समझौतों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सहमति कराकर उसका क्रियान्वयन कराया जाता है।

उक्त दोनों अधिनियमों में विवादों के निराकरण की सिलसिले–वार ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें समझौता न हो सकने की स्थिति में भी हड़ताल टाली जा सके और औद्योगिक विवाद पर श्रम/औद्योगिक न्यायालय का अधिनिर्णय प्राप्त किया जा सके।

3.3. ले–ऑफ, छंटनी और बंदीकरण हेतु अनुमति

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, का अध्याय 5–ख विशेष रूप से ले–ऑफ, छंटनी और बंदीकरण के बारे में उन संस्थानों के लिये प्रावधान करता है जहां विगत एक वर्ष में प्रति कार्य दिवस, औसतन, 300 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। इस अध्याय के अंतर्गत नियोक्ता को ले–ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को अनुमति हेतु आवेदन देना आवश्यक है। अनुमति के बिना ले–ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण नहीं किया जा सकता। राज्य शासन ने ले–ऑफ एवं छंटनी के संबंध में अनुमति देने के अधिकार श्रमायुक्त को प्रत्यायोजित किये हैं, जबकि बंदीकरण हेतु अनुमति देने का अधिकार स्वयं शासन में वेष्टित है। बंदीकरण, छंटनी एवं ले–ऑफ की अनुमति के आवेदनों का निराकरण संबंधित पक्षों को सुनने के बाद गुण–दोषों पर किया जाता है। अध्याय 5–ख के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के किया गया ले–ऑफ, छटनी एवं बंदीकरण दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये अभियोजन की स्वीकृति दी जा सकती है ।

3.4 मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन

औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद हस्तगत कर सुलह की कार्रवाई करते हैं। इसके असफल होने पर विवाद को श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। प्रदेश में विगत वर्षो में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी **परिशिष्ट–3.2** में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा समुचित शासन द्वारा प्रस्तुत शिकायत अथवा प्राधिकृत शिकायत पर ही लिया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत स्वीकृत अभियोजन की जानकारी **परिशिष्ट 3.3** में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी(1) के अंतर्गत जहॉ किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या (अध्याय 5 क या अध्याय 5 ख) के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहॉ स्वयं वह कर्मकार या उसके व्दारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका कोई वारिस, उस धन की वसूली के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो वह उस रकम की भू–राजस्व की बकाया की तरह वसूली के लिये कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी करता है। उक्त धारा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर जारी वसूली प्रमाण पत्र तथा उनमें निहित वसूली योग्य राशि की जानकारी **परिशिष्ट 3.4** में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एम, 25 एन तथा 25 ओ के अंतर्गत क्रमशः ले–ऑफ, छंटनी तथा बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी **परिशिष्ट 3.5** में दी गई है।

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31 के अंतर्गत कोई भी नियोजक, अथवा कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि किसी औद्योगिक विषय में परिवर्तन के

संबंध में कोई सूचना/विवाद सुलह अधिकारी को दे सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्रीय सुलह अधिकारी विवाद को हस्तगत कर सुलह की कार्रवाई सम्पादित करता है। सुलह न होने की स्थिति में विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 43 (5) में असफल घोषित कर विवाद को सम्बन्धित श्रम न्यायालय को संदर्भित करने हेतु मुख्य सुलहकार को प्रेषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 51 में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या बोर्ड को संदर्भित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी **परिशिष्ट–3.6** में दर्शाई गयी है।

श्रम विभाग प्रयास करता है कि औद्योगिक स्थापनाओं में हड़तालें तथा उनके कारण होने वाली मानव दिवसों की हानि कम से कम हों। प्रदेश में औद्योगिक स्थापनाओं में विगत वर्षो में हड़ताल के परिणाम के फलस्वरूप मानव दिनों की हानि संबंधी जानकारी तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शाई गई है:–

तालिका 3.1

वर्ष	हडतालों संख्या	मानव दिनों की हानि
2015–16 मार्च	14	53351
अप्रैल 2016 से मार्च 17 तक	13	171430
अप्रैल 2017 से दिसंबर 17 तक	10	30000

3.5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन

यह अधिनियम पूर्व में ऐसे औद्योगिक संस्थानों तथा उपक्रमों पर लागू होता था जहां 20 से अधिक श्रमिक नियोजित हों। मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन(स्थाई आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2014) के अन्तर्गत श्रमिक संख्या'' 20 से अधिक'' के स्थान पर '' 50 से अधिक'' संशोधित कर दी गयी है तथा सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम से मुक्त किया गया है। इस अधिनियम के तहत बने नियमों में '' मानक स्थाई आज्ञाओं'' का प्रावधान किया गया है । इनमें श्रमिकों का नियुक्ति पत्र, सेवा शर्ते, चयन की प्रकिया, कार्य के घन्टे, वर्गीकरण (जैसे स्थाई, अस्थाई, बदली, सीजनल) इत्यादि के बारे में प्रावधान किये गये है।इसके अलावा स्थाई आज्ञाओं के अन्तर्गत श्रमिक को टिकिट, जिसमें उसकी पाली का प्रारंभ होना तथा व्यक्तिगत विवरण अंकित रहता है, प्रदत्त किये जाने तथा अस्थायी श्रमिक को स्थाई होने की पात्रता तथा श्रमिक/कर्मचारी द्वारा अनुशासनहीनता किये जाने पर आरोप पत्र देने, विभागीय जांच करने तथा दण्ड दिये जाने संबंधी प्रावधान भी हैं।

अध्यादेश 2014 में यह भी प्रावधान जोडा गया है कि यदि सरकार मानक स्थाई आदशों में कोई संशोधन करती है तो वह किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम में लागू स्थाई आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्मिलित समझा जायेगा एवं उल्लंधनों के प्रशमन का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप श्रमविभागीय अधिसूचना दिनांक 28.6.2014 द्वारा मानक स्थाई आज्ञाओं में सेवानिवृति आयु 60 वर्ष किये जाने बाबद संशोधन सभी पर लागू होगा। इसके अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं, निरीक्षकों को

नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में संपादित निरीक्षण/अभियोजन की जानकारी **परिशिष्ट–3.7** में दर्शाई गई है।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई उद्योग–विशेष, मानक स्थायी आज्ञाओं में कुछ संशोधन करना चाहता है तो वह अपना आवेदन प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रमाणीकरण अधिकारी, श्रम संगठन एवं नियोजक की सुनवाई करके, अधिनियम की परिधि में, संशोधन किये जाने के आदेश प्रसारित करता है। आदेश से व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी **परिशिष्ट–3.8** में दर्शाई गई है।

3.6 व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 मुख्यतः श्रमिक संगठनों के पंजीयन के लिये निर्मित केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार किसी संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिक अपना संगठन पंजीकृत कराने की पात्रता रखते थे,परन्तु केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 जनवरी,2002 द्वारा उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार किसी संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को,ऐसे संघ की सदस्यता,उस संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक,जो भी कम हो होना अनिवार्य है,किन्तु 70 अथवा इससे कम नियोजन पर न्यूनतम सदस्यता 07 आवश्यक है। पंजीयन का कार्य पंजीयक,व्यावसायिक संघ द्वारा किया जाता है। इसके लिये संगठन को अपने नियम (विधान),रसीद बुक,चंदे की दर तथा अपने प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। पंजीयक गुण–दोष के आधार पर संगठन का पंजीयन करते हैं अथवा आवेदन निरस्त करतें है। आवेदन निरस्त करने पर व्यथित श्रमिक संघ,औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। पंजीयक व्यावसायिक संघ को व्यावसायिक संघ अधिनियम द्वारा पंजीयक के रूप में कार्य करने तथा जांच करने के लिये प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के अधिकार प्रदत्त हैं। यह अधिनियम संगठन के अधिकारों के अलावा उसके दायित्वों को भी निर्धारित करता है। यथा अपना लेखा–जोखा तथा वार्षिक विवरण नियमित रूप से पंजीयक से अनुमोदित कराना इत्यादि। इसका पालन न करने की दशा में संगठन को कारण बताओ सूचना दी जाती है,और समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

2– ऐसे श्रम संगठनों जिनके द्वारा निर्वाचन एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाते उन्हें सुनवाई का अवसर देकर उनके पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। इसके फलस्वरूप ऐसे त्रुटिकर्ता श्रम संगठनों की संख्या अब कम होती जा रही है। 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति में प्रदेश में 2980 पंजीकृत श्रम संगठन हैं। विगत दो वर्ष में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन,उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्तीकरण की जानकारी परिशिष्ट–''अ'' में प्रदर्शित है। अनेक पंजीकृत श्रम संगठन इण्टक,भारतीय मजदूर संघ,हिन्द मजदूर सभा,एटक,सीटू,एच.एम.के.पी. तथा यू.टी.यू.सी. जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों से संबद्ध हैं,परन्तु लगभग 60 प्रतिशत श्रमिक संगठन किसी भी केन्द्रीय श्रम संगठन से संबद्ध नहीं है।

3– व्यावसायिक संघ अधिनियम,1926 (यथा मध्यप्रदेश के लिये संशोधित) के अध्याय तीन–क में 15 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को ''अनुमोदित संघ'' घोषित करने

का अधिकार पंजीयक को है। अनुमोदित संघ,परिसर में चंदा एकत्रित करने,संगठन का नोटिस बोर्ड लगाने एवं कारखाना परिसर में चर्चा करने के लिये अधिकृत रहता है। अनुमोदित श्रम संगठनों की प्रदेश में संख्या 23 है।

4— व्यावसायिक संघ अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अलावा मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 के अन्तर्गत पंजीयक,प्रतिनिधि संघ किसी भी उद्योग में 25 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को'' मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संघ'' घोषित कर सकता है। यदि दो या इससे अधिक श्रम संगठनों की 25 प्रतिशत से अधिक सदस्य संख्या हो,तो अधिकतम सदस्य संख्या के आधार पर प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता दी जाती है। पूर्व में प्रदेश में 62 प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संघ थे। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 14.08.2007 द्वारा टेक्सटाइल,आयरन एण्ड स्टील,विद्युत सामग्री,शुगर,सीमेन्ट,विद्युत उत्पादन एवं वितरण,लोक मोटर परिवहन, इंजीनियरिंग उद्योग,पाटरीज,रसायन तथा चमड़ा उद्योग सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 की धारा 1(3) के अन्तर्गत सूची से पृथक किया गया है। फलस्वरूप अब प्रदेश में प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त 17 व्यावसायिक संघ हैं। मान्यता प्राप्त संघ,मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,के अन्तर्गत नियोजक से औद्योगिक विवाद पर परिवर्तन सूचना तथा विवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत कर वार्ता के माध्यम से समझौता करने हेतु एकमात्र अधिकृत संघ होता है। इससे बहुसंख्यक श्रम संगठनों की परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण औद्योगिक विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती है तथा स्थाई औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा मिलता है।

पंजीयक,प्रतिनिधि संघ,मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 के अन्तर्गत पक्षों के बीच द्विपक्षीय ठहराव एवं त्रिपक्षीय समझौतों का विधि अनुसार परीक्षण कर पंजीयन भी करता है। पंजीयक द्वारा पंजीयन न करने के आदेश दिये जाने पर व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। विगत दो वर्षो में पंजीकृत ठहराव एवं समझौतो की जानकारी तालिका—''अ'' में प्रदर्शित है।

तालिका—''अ''

वर्ष	पूर्व के लम्बित	पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	पंजीकृत श्रम संगठन	अमान्य किये गये आवेदन पत्र	शेष	त्रुटिकर्ता श्रम संगठन जिनका पंजीयन निरस्त किया गया
2016—2017	42	71	48	20	45	26
2017—2018 (31 दिसम्बर,2017 तक)	45	39	38	21	25	05

टीप:— मध्य प्रदेश में वर्ष 2016—17 से व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत संघो का पंजीयन एवं रिटर्न्स फाइल करने की सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है ताकि पंजीयक व्यावसायिक संघ के कार्यो में पारदर्शिता परिलक्षित हो तथा संस्थानों को पंजीयन एवं रिर्टन फाईल करने में सुगमता हो।

मान्य किए गए वार्षिक विवरण/निर्वाचन/विधान संशोधन की स्थिति

2016–2017					2017–2018 (31 दिसम्बर,2017तक)				
श्रम संघो की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघो की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन	श्रम संघो की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघो की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन
165	491	100	201	23	149	447	89	139	25

मध्यप्रदेश औद्यागिक संबंध अधिनियम,1960 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव/समझौते

वर्ष	पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव	पंजीकृत ठहराव	पंजीयन हेतु प्राप्त समझौते	पंजीकृत समझौते
2016–2017	01	01	02	02
2017–2018 (31दिसम्बर,2017तक)	01	01	01	01

***

अध्याय–4
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2017–18

4.1 सामान्य

कारखाना अधिनियम, प्रथमतः वर्ष 1881 में प्रभावशील हुआ था। इसके पूर्व सामाजिक कार्यकर्तागण कारखानों का भ्रमण करते थे और मानवीय दृष्टि से कारखाना प्रबंधन को सलाह दिया करते थे। अधिनियम को प्रभावशील करने का उद्देश्य कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में अत्यंत सीमित अधिकारों के साथ निरीक्षण किये जाते थे। समय के साथ–साथ अधिनियम में संशोधन होते गये और अधिक विस्तृत और सुस्पष्ट प्रावधान किये गये। निरीक्षक को भी अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया। वर्तमान में कारखाना अधिनियम, 1948, लागू है, जो 1.4.49 से प्रभावशील हुआ। दिसम्बर,, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इसमें व्यापक संशोधन किये गये।

श्रमायुक्त के अंतर्गत कार्यरत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम,1948, के अतिरिक्त कारखानों में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम,1936, मातृत्व हितलाभ अधिनियम,1961, परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989, तथा रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत श्रमिकों/उद्योगों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई मुख्यतः आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति, अर्थात् श्रम न्यायालय द्वारा की जाती है। संचालनालय के अधिकारी, सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं।

4.2. कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम, 1948 निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर लागू होता हैंः–

(1) जिसमें दस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से कोई निर्माण (उत्पादन) प्रक्रिया चलाई जा रही हो, या साधारणतः चलाई जाती हो

अथवा

(2) जिसमें बीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों, या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता के बिना कोई निर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या साधारणतः चलाई जाती हो।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत राज्य शासन ने निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर भी यह अधिनियम प्रभावशील किया है, जहां श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने या व्यवसायजन्य बीमारी से पीड़ित होने की संभावना रहती है–

(1) आरा मशीन
(2) चावल मिल
(3) तेल मिल
(4) स्लेट पेन्सिल उद्योग

(5) दाल मिल
(6) रासायनिक प्रक्रिया के ऐसे कारखाने जहॉ खतरनाक रसायन, अति ज्वलनशील, विस्फोटक या विषैले पदार्थ उपयोग में लाये जाते हों अथवा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित होते हों
(7) एस्बेस्टास उपयोग करने वाले कारखाने
(8) चूना भट्टे
(9) स्टोन क्रशर एवं पल्वराइजर

कारखाना अधिनियम, 1948, के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण से संबधित प्रावधान उपर्युक्त परिसरों में लागू होते हैं। वर्ष 1987 के पूर्व, खतरनाक प्रक्रिया चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम की धारा–87 के अंतर्गत नियम–107 में भिन्न–भिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिये विशेष प्रावधान थे, जो वर्तमान में भी हैं। वर्ष 1987 के पश्चात् अधिनियम में धारा–2 (सी.बी.) जोडकर अनुसूची–1 का प्रावधान किया गया, जो खतरनाक प्रक्रियाओं से संबधित है। इन प्रक्रियाओं को चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में एक नया अध्याय ''चार–ए'' जोडा गया, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रावधान किये गये। इसमें जहां एक ओर श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान हैं, वहीं दूसरी ओर ऑन साइट आपात योजना बनाये जाने का प्रावधान भी किया गया है। दंडात्मक प्रावधानों को भी अधिक कठोर बनाया गया है। अधिनियम की धारा 92, 94, 95, 96–ए, 98, एवं 99 में विभिन्न अपराधों के लिये दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं।

4.2.2 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 के साथ पठित धारा 41–ख के अन्तर्गत सितम्बर–2000, में मध्य प्रदेश कट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेन्ट हेजार्ड नियम (CIMAH) अधिसूचित किये गये। ये नियम ''परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम,1989'' के समरूप है जो केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम ,1986, के अन्तर्गत बनाये है। (देखे आगे पद 4.4.1)

4.2.3 वर्ष 2005–06 मे कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने के अधिकार मुख्य कारखाना निरीक्षक को थे तथा 100 श्रमिको तक के कारखानो के लायसेन्स का नवीनीकरण के अधिकार उप मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रदत्त थे ।

शासन व्दारा लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकारो का विकेन्द्रीकरण कर लायसेन्स नवीनीकरण कार्य झोनल/ संभागीय/उप संभागीय स्तर के कार्यालयो को प्रदत्त किया गया है। इसके अर्न्तगत निम्नानुसार अधिकारो का विकेन्द्रीकरण कर नवीनीकरण कार्य के अधिकार प्रत्यायोजित किये गए है :–

1. संचालक– धारा–2 एम के अंतर्गत 250 श्रमिकों से अधिक नियोजन वाले एवं अतिखतरनाक कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार

2.संयुक्त संचालक –धारा 2 एम के अर्न्तगत 101 श्रमिको से 250 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानो के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार

3. उप संचालक –धारा 2 एम के अर्न्तगत 100 श्रमिको तक नियोजन वाले कारखानो के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार

4. सहायक संचालक –धारा 85 के अर्न्तगत संगठित होने वाले 9 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानो के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार।

5. जहॉ पर सहायक संचालक पदस्थ नहीं है, वहां धारा–85 के अन्तर्गत लायसेंस नवीनीकरण उप संचालक भी जारी कर सकते है।

6. नवीन पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 23.07.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।

7. कारखाना लायसेंस नवीनीकरण का कार्य दिनांक 22.10.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।

इस प्रकार लगभग 95 प्रतिशत लायसेन्स प्रकरणो से संबंधित कार्य झोनल/संभागीय कार्यालयो द्वारा किया जाने लगा है जिससे कि कारखाना प्रबन्धन को अपने घर/कार्यालय या एम.पी. आन लाइन कियोस्को से ही आवेदन करना होगा वहीं दूसरी ओर नवीनीकरण कार्य विभिन्न कार्यालयो द्वारा एवं आन लाइन किये जाने से प्रकरणो का निराकरण भी त्वरित गति से होने लगा है।

8. सक्षम व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने एवं उक्त के नवीनीकरण की प्रक्रिया दिनांक– 1.5.2017 से पूर्णतः आन लाईन कर दी गई हैं ।

9. खतरनाक श्रेणी के कारखानों के ऑन साइट इमरजेन्सी प्लान को नोटिफाई करने की प्रक्रिया दिनांक– 20. 11. 2017 से पूर्णतः आन लाईन कर दी गई हैं ।

4.2.4 प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लागू ''एकल एजेंसी प्रणाली'' की अवधारणा के तहत, श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.1.2001 द्वारा उद्योग विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को कारखाना अधिनियम की धारा 6 (1) (aa) के तहत कारखानों के स्थल अनुमोदन की शक्तियां प्रदान की गई हैं :–

1. औद्योगिक केंद्र विकास निगमों के प्रबंध संचालक
2. जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक

4.2.5 प्रदेश में गत चार वर्षों में नवीन पंजीकृत कारखानों की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	नवीन पंजीकृत कारखाने	नियोजन क्षमता
2014–15	241	15457
2015–16	451	19873
2016–17	261	16784
2017–18 (31.12. 17 तक)	163	8260

प्रदेश में दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में 15881 पंजीकृत कारखाने थे, जिनकी नियोजन क्षमता 885175 थी। इन पंजीकृत कारखानों में 1485 कारखाने

''खतरनाक''/''अतिखतरनाक'' श्रेणी के हैं। प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की जिलेवार जानकारी **(परिशिष्ट–4.1)** में दी गई है।

प्रदेश में पंजीकृत कारखानों तथा उनकी नियोजन क्षमता की जानकारी निम्नानुसार हैः–

संदर्भ तिथि	पंजीकृत कारखाने	नियोजन क्षमता
01.01.15	14939	832841
01.01.16	15378	856534
01.01.17	15636	868208
01.01.18	15881	885175

कुल पंजीकृत कारखानों की नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

संदर्भ तिथि	पंजीकृत कारखानों का नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन						
	10 से कम श्रमिक (धारा 85)	10–20 श्रमिक	21–50 श्रमिक	51–100 श्रमिक	101–250 श्रमिक	250 से अधिक श्रमिक	योग
1.1.2014	6114	4260	2514	1017	511	316	14732
1.1.2015	6146	4347	2570	1036	519	312	14939
1.1.2016	6233	4541	2665	1078	537	324	15378
1.1.2017	6294	4654	2713	1100	549	326	15636
1.1.2018	6347	4756	2769	1124	553	332	15881

कारखाना अधिनियम के प्रवर्तन की दृष्टि से कारखानों के निरीक्षण नियमित रूप से किये जाते हैं। त्रुटिकर्ता कारखाना प्रबंधन के विरूध्द अभियोजन की कार्यवाही भी की जाती है। निरीक्षणो और, अभियोजनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

विवरण	2013–14	2014–15	15–16	16–17	17–18 (31 दिसंबर तक
1. निरीक्षण	3284	2270	2066	1609	633
2. दायर अभियोजन	138	142	153	103	99
3. निर्णीत अभियोजन	134	98	41	24	20
4. आरोपित अर्थदंड (लाख रूपये में)	27.23	31.19	22.22	5.465	1.67

विभाग द्वारा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप दुर्घटना दर में निरंतर कमी परिलक्षित हो रही है। वर्ष 2007 में दुर्घटना दर 2. 65 प्रति हजार श्रमिक थी जो घटकर वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) में 0.45 प्रति हजार श्रमिक रह गई है।

कारखाना अधिनियम की धारा 88 (नियम 108) के अंतर्गत कारखाना प्रबंधक को प्राणांतक या ऐसी दुर्घटना जिसके फलस्वरूप श्रमिक 48 घन्टे से अधिक कार्य से अनुपस्थित रहे या अग्नि दुर्घटना घटित हो, की सूचना मुख्य कारखाना निरीक्षक/निरीक्षक को दी जाना आवश्यक है। ऐसी दुर्घटनाओं की जानकारी **परिशिष्ट–4.2** में दर्शायी गई है।

मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन एवं लाइसेंस के नवीनीकरण से प्राप्त राजस्व के आंकड़े निम्नानुसार है :–

वर्ष	आय (करोड़ रू. में)
2012–13	5.63
2013–14	7.69
2014–15	6.10
2015–16	6.402
2016–17	10.149
2017–2018(31 दिसम्बर तक)	7.091

4.3 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923 का कार्यान्वयन

इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति की हैसियत से श्रम न्यायालय कार्यवाही करते हैं। संचालनालय के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या उनके आश्रितों के सलाहकार के रूप में भूमिका निभाते हैं। प्रभावित व्यक्ति या उसके आश्रित अधिवक्ता के माध्यम से आयुक्त के समक्ष दावा पेश करते हैं और आयुक्त द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। जिन कारखानों पर कर्मचारी राज्य

बीमा अधिनियम प्रभावशील है, वहॉ क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भुगतान की जाती है।

राज्य शासन की अधिसूचना कमांक एफ 4(ई)4–2000–ए–सोलह, दिनांक 7.10. 2004 द्वारा प्रदेश के समस्त उपश्रमायुक्त और अपर श्रमायुक्त को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर आयुक्त कर्मकार प्रतिकर के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.4 ''अति खतरनाक '' स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन

4.4.1 संक्षिप्त विवरण

वर्ष 1987 के पूर्व खतरनाक संक्रियाएं **(Dangerous Operations**) संचालित करने वाले कारखानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 87 तथा मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, के नियम 107 में विशेष प्रावधान किये गये थे। वर्ष 1987 में कारखाना अधिनियम में धारा–2 (सी बी) जोड़कर परिसंकटमय प्रक्रिया **(Hazardous process)** को परिभाषित करते हुये तत्संबंधी अनुसूची–एक भी जोडी गई और ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में नवीन अध्याय 4–ए जोडकर विशेष प्रावधान किये गये।

वर्ष 1989 तथा 1996 में भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित दो नियम अधिसूचित कियेः–

क. परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
ख. रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996

उक्त दोनों नियमों में ''अति खतरनाक स्थापनाओं'' अर्थात् – **"Major Accident Hazard (M.A.H.) Installations"** को परिभाषित किया गया है।

उक्त नियमों में विषैले, ज्वलनशील, विस्फोटक और अति क्रियाशील रसायनों को ''परिसंकटमय रसायन'' के रूप में परिभाषित करते हुए उनमें से प्रत्येक की एक सीमांत मात्रा **(Threshold Quantity)** निर्धारित की गई है। यदि किसी स्थापना में किसी परिसंकटमय रसायन को उक्त सीमांत मात्रा से अधिक मात्रा में भंडारित या प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थापनाओं को ''अति खतरनाक स्थापना'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर (क) में उल्लिखित नियमों में ऐसी स्थापनाओं के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैंः–

1. उनके लिये ऑन साइट और ऑफ साइट आपात योजनायें क्रमशः धारक एवं कलेक्टर द्वारा बनाई जायेंगी, इन्हें अद्यतन रखा जाएगा, और कम से कम क्रमशः प्रति छः माह एवं एक वर्ष में उनका पूर्वाभ्यास किया जायेगा।

2. विशिष्ट श्रेणियों की अति खतरनाक स्थापनाओं द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को सुरक्षा रिपोर्ट भेजी जावेगी, जिसमें कारखाने के बारे में ''जोखिम एवं परिणाम संबंधी विश्लेषण'' भी शामिल है । इसके अलावा वर्ष में एक बार स्वतंत्र एजेन्सी से सुरक्षा आडिट करा कर तत्सबंधी आडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।
किसी दुर्घटना होने की स्थिति में उक्त नियमों के तहत निर्धारित अनुसूची 6 में दुर्धटना की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

3. स्थापना के आसपास रहने वाले लोगों को उससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जायेगी।

ऊपर (ख) में उल्लिखित नियमों में अति खतरनाक स्थापनाओं में संभावित रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिये ''संकट स्थिति समूह'' गठित करने का प्रावधान किया गया है और इन समूहों के कृत्य परिभाषित किये गये हैं :–

(1) स्थानीय संकट स्थिति समूह, जो औद्योगिक केंद्र के स्तर पर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होता है, के मुख्य कृत्य स्थानीय आपात योजना बनाना, सुरक्षा के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित और कर्मियों को प्रशिक्षित करना, प्रति माह बैठक करना, कम से कम 6 माह में एक बार एक रासायनिक दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना, और दुर्घटना घटित होने की स्थिति में उसके आघात को न्यूनतम करने के लिये समस्त आवश्यक कदम उठाना है।

(2) जिला संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद ् दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिये समस्त आवश्यक मार्गदर्शन देना, ऑन साइट आपात योजनाओं की समीक्षा करना, ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी में सहायता करना, हर डेढ़ माह में बैठक करना, और वर्ष में कम से कम एक बार दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना है।

(3) राज्य संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध में विशेषज्ञ मार्गदर्शन देना, जिला ऑफ साइट आपात योजनाओं की तथा जिला समूहों के कार्य की समीक्षा करना, हर तीन माह में बैठक करना आदि हैं।

4.4.2 ''अति खतरनाक'' श्रेणी के कारखाने

दिनांक 01.01.18 की स्थिति में अतिखतरनाक कारखानों की संख्या 85 तथा संबंधित जिलों की संख्या 27 है।

4.4.3 ऑन साइट आपात योजनाएं

उक्त सभी 85 अति खतरनाक कारखानों के लिए ऑन–साइट आपात योजनाएं तैयार कराई गई हैं, जिनमें से 77 योजनाओं को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। दो अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द है। 06 कारखानों की योजनायें प्रक्रियाधीन है।

अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों के नाम तथा ऑन साईट आपात योजनाओं की तैयारी की स्थिति **परिशिष्ट–4.3** में दर्शायी गई है।

4.4.4 ऑफ साइट आपात योजनाएं

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1997 में ऑफ साइट आपात योजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रसारित की थी। प्रदेश के 21 जिलों की ऑफ साइट आपात योजनाओं को उक्त मार्गदर्शिका के अनुरूप तैयार किया गया है। 02 जिले में स्थापित एकमात्र अति खतरनाक कारखाने के वर्तमान में बन्द होने से उक्त जिले की आफ साईट आपात योजना नही बनाई गई है। तथा शेष 04 जिलों में आफ साईट आपात योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रहीं है।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों वाले जिलों के लिए ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं उनके पूर्वाभ्यास की स्थिति **परिशिष्ट–4.4** में दर्शायी गई है।

4.4.5 सुरक्षा आडिट

''परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989'' के अनुरूप 26 अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों का सुरक्षा आडिट कराया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। कारखानों के नाम तथा सुरक्षा आडिट कराने का विवरण **परिशिष्ट–4.5** में दिया गया है।

अति खतरनाक कारखानो की संख्या, उनके लिए ऑन साइट एवं ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं सुरक्षा आडिट संबंधी स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	संख्या
1.	अति खतरनाक कारखानो की संख्या	85
2.	जिलों की संख्या जहां उक्त कारखाने स्थित हैं	27
3.	कारखानो की संख्या जिनके लिये	
	(1) ऑन साइट आपात योजनाएं तैयार की गई	85
	(2) ऑन साइट आपात योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया	77
4.	जिलों की संख्या जिनके लिये ऑफ साइट आपात योजना बनाई गई	21
5.	कारखानो की संख्या जिनका सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है	26

संकट स्थिति समूहों के गठन की स्थिति इस प्रकार हैः–

क्र.	**विवरण**	**संख्या**
1.	गठित स्थानीय संकट स्थिति समूहों की संख्या	03 (मालनपुर, मंडीदीप, पीथमपुर)
2.	जिलों की संख्या, जहां जिला संकट स्थिति समूह का गठन आवश्यक है	27

3.	जिलों की संख्या, जहां गठन किया जा चुका है	23

नोट – 3 जिलों मे नये एम.ए.एच. कारखाने की पहचान किये जाने के कारण जिला संकट स्थिति समूह के गठन की कार्यवाही की जा रही है तथा 1 जिले मे स्थापित कारखाना बंद होने से जिला संकट स्थिति समुह का गठन नही हुआ है ।

4.5 औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर

4.5.1 कारखानों के कार्य वातावरण में हानिकारक रसायनों (यथा गैस, वाष्प आदि), शोर और प्रकाश का स्तर उचित सीमा में बनाए रखना आवश्यक है, ताकि उनमें कार्य करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इनके स्तर को विनियमित करने के लिये मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, में किये प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्र.	**पदार्थ आदि जिकी कार्य वातावरण में मात्रा, नियमों में निर्धारित की गई है।**	**मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962, के सुसंगत प्रावधान का विवरण**
1	रासायनिक पदार्थ (मुख्यतः गैसें एवं वाष्प)	नियम 124–बी एवं उसके अन्तर्गत बनी अनुसूची
2	शोर	नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची पच्चीस
3	प्रकाश	नियम 36 व 37
4	विस्फोटक तथा अत्याधिक ज्वलनशील धूल या गैस	धारा 37 व नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची XViii

4.5.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, श्रम विभाग के अंतर्गत वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से एक औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई थी। वर्ष 1988 में इसके लिये केंद्र सरकार के तहत कार्यरत महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, के माध्यम से भी उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य कारखानों के कार्य वातावरण में उक्त हानिकारक पदार्थों आदि का स्तर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना है।

वर्तमान में उक्त प्रयोगशाला, उपलब्ध उपकरणों से, कार्य वातावरण में मौजूद निम्नलिखित हानिकारक पदार्थो आदि के स्तर की जांच करती है:–

1.	विषाक्त गैसें व रसायन	क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड (वाष्प)
2.	अति ज्वलनशील गैसें एवं वाष्प	
3.	विभिन्न प्रकार के धूलि कण	जैसे कोयला, सिमेंट, सिलिका आदि
4.	एसबेस्टस	
5.	ध्वनि प्रदूषण	
6.	प्रकाश	
7.	दृष्टि दोष	क्रेन ऑपरेटर व अन्य श्रमिकों उनके नियोजनों के प्रकार के आधार पर, आंखों तथा रंग–अन्धत्व (Colour Blindness) की जांच

कार्य वातावरण में हानिकारक अवयव निर्धारित सीमा से अधिक पाये जाने की दशा में प्रबंधन को उपकरणों/ व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु निर्देश देकर सुधार करवाया जाता है।

4.5.3 प्रयोगशाला द्वारा विगत वर्षों में हानिकारक पदार्थो की जॉच की जानकारी **परिशिष्ट–4.6,** स्थल पर उपकरणों की सहायता से जॉच एवं उनके परिणामों की जानकारी **परिशिष्ट 4.7,** तथा स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश एवं ध्वनि की जॉच की जानकारी **परिशिष्ट–4.8** में दी गई है।

4.5.4 जांच – पड़ताल **(Testing)** की जो सुविधाएं अभी केवल इंदौर स्थित प्रयोगशाला में केंद्रित हैं, उन्हें विकेंद्रीकृत रूप से संभागीय कार्यालयों में भी निर्मित करने की एक योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002–07, में आरंभ की गई तथा सभी संभागीय कार्यालयों को निरीक्षण कीट उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2011–12 में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन कर इसके अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना माह जून 2011 में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14, 14–15 तथा 15–16 में भी उपकरण क्रय किये जाकर उन्नयन की कार्यवाही निरन्तर जारी है। श्रमिकों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

* * *

अध्याय–5
मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन

5.1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा संगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु बनाया गया है, जिनकी सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की क्षमता अल्प है तथा वे नियोजक से जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने की सामर्थ्य भी साधारणतः नहीं रखते।

इसके अंतर्गत प्रदेश में 66 ''अनुसूचित नियोजन''हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट–5.1 में दी गई है। इसके क्रमांक 1 से 64 में उल्लेखित अनुसूचित नियोजनों एवं क्रमांक 65 में उल्लेखित नियोजन तथा भाग दो कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की दरें पुनरीक्षित कर निर्धारित की गई हैं, और उन पर देय जीवन निर्वाह भत्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध कर नियमित रूप से घोषित किया जाता है।

उक्त नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की गई हैं :–

परिशिष्ट 5.1 में अंकित नियोजन		न्यूनतम मजदूरी की मूल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना का दिनांक
क्रमांक 1–64	*नियोजन*	*10.10.2014*
क्रमांक 65	*(बीड़ी निर्माण)*	*12.12.2014*
क्रमांक 1 (भाग–दो)	*(कृषि में नियोजन)*	*10.10.2014*

इन नियोजनों में प्रभावशील मूल न्यूनतम मजदूरी की दरें परिशिष्ट–5.2 में दर्शाई गई हैं।

मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 16.12.12 में को लिए गये निर्णयानुसार तीन नवीन नियोजनों 1–पुरातत्व कार्य में नियोजन 2–साफ–सफाई कार्य में नियोजन तथा 3–सूचना प्राधौगिकी के कार्य मे नियोजन को अनुसूची के भाग एक में अधिसूचना क्रमांक 1493/4सी–1/2013/अ–16 दिनांक 22 सितंबर, 2014 जो कि राजपत्र में दिनांक 10 अक्टुबर, 2014 को प्रकाशित है, के द्वारा जोडा गया है।

राज्य शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4(सी)5–98–ए–सोलह, 2 मार्च, 2006 के द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग–1 में प्रविष्टि क्रमांक 68 में दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यो में नियोजन को जोडा गया है उक्त सहित चारों नियोजनों में वेतन दरें राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 में प्रकाशित की गई है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान के प्रकरणों में कम दी गई राशि का भुगतान कराया जाता है, तथा नियोजकों के विरुद्ध दावा प्रकरण भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए शासन के कतिपय अन्य विभागों के निम्नलिखित कार्यपालक अधिकारियों को भी, अधिसूचना दिनांक 16.06.86 द्वारा, कृषि में नियोजन के संबंध में अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में ''निरीक्षक'' नियुक्त किया गया हैः–

1. विकास खण्ड अधिकारी
2. सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख

3. नायब तहसीलदार
4. पंचायत निरीक्षक
5. मंडल संयोजक, आ.जा. एवं अनु. जाति कल्याण

इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को भी कतिपय नियोजनों के लिये''निरीक्षक'' की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है :–

: : तालिका 5.1 : :

श्रम विभाग की अधिसूचना का दिनांक	पंचायती राज संस्था कानाम ,जिसे उसके कार्यक्षेत्र के लिए,''निरीक्षक'' की शक्तियों से वेष्टित किया गया	नियोजन जिनके लिए वेष्टित किया गया
19.6.76	समस्त ग्राम पंचायतें	1. कृषि में नियोजन
17.4.96	समस्त ग्राम पंचायतें	2. तंबाकू कारखाने/बीड़ी निर्माण में नियोजन 3. सड़क/भवन निर्माण और रख–रखाव 4. ईंट भट्टों में नियोजन 5. सिमेंट टाइल्स के अलावा अन्य टाइल्सनिर्माण 6. पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
19.7.2001	समस्त ग्राम सभाएं	उपर्युक्त सभी 6 नियोजनों के लिए

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 नवंबर, 1976, द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा–20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को, अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु ''प्राधिकारी'' नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2000 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा–20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त सहायक श्रम आयुक्तों को, अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु ''प्राधिकार'' प्राप्त हुआ है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन एवं उससे लाभांवित श्रमिकों की जानकारी नीचे दर्शाई गई है :–

तालिका– 5.2

वर्ष	निरीक्षण संख्या	अभियोजन	सक्षम न्यायालय में दायर दावों की जानकारी			न्यायालय से बाहर कम भुगतान हुई राशि जो श्रमिक को विभागीय प्रयासों से भुगतान कराई गई		
			दावा प्रकरण संख्या	दावा राशि (लाख रू. में)	प्रभावित श्रमिक	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि (लाख रू. में)	लाभांवित श्रमिक
2015–16	592	70	52	150.66	1323	62	31.76	449
2016–17	1145	199	398	915.81	2878	237	133.53	992
2017–18 (माह दिसम्बर 17 तक	1514	349	234	492.14	1196	401	191.89	161

5.2. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 1 (6) के अनुसार यह वर्तमान में अधिकतम रुपये 24,000/– प्रतिमाह तक मजदूरी पाने वालों के लिए लागू है।

5.3 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

यह अधिनियम ऐसे सभी संस्थानों पर लागू होता है, जहां दस या दस से अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। ऐसे संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों कों पॉच वर्ष की या इससे अधिक सेवा के उपरांत, सेवानिवृत्ति अथवा कार्य छोड़ने की स्थिति में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिवस के वेतन के बराबर राशि उपादान के रूप में देय होती है। नियोजक द्वारा उपादान का भुगतान न किये जाने अथवा गणना संबंधी विवाद उठने की दशा में व्यथित श्रमिक, इस अधिनियम के अंतर्गत ''नियंत्रण प्राधिकारी'' के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट श्रमिक/नियोजक ''अपीलीय प्राधिकारी'' के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में उप श्रमायुक्तों को अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2017 में संस्थित एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :–

तालिका–5.3

प्रकरण का प्रकार	वर्ष के आरम्भ मे लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान		वर्ष के अंत मे शेष प्रकरण दिसम्बर 2017 तक
		संस्थित	निराकृत	
1	2	3	4	5
2–ग्रेच्युटी अपील प्रकरण	390	361	200	551

5.4. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर प्रभावशील है जो कारखाना अधिनियम, 1948, के अनुसार ''कारखाना'' की श्रेणी में आते है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम ऐसी अन्य स्थापनाओं पर भी प्रभावशील है, जिनमें बीस या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 01 जनवरी 2016 द्वारा संशोधन करते हुए वेतन सीमा में वृद्धि कर रु0 21000/– एंव बोनस गणना हेतु वेतन सीमा में वृद्धि कर रु0 7000/– कर दिया गया है। इस संशोधन को दिनांक 01.04.2014 से लागु किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:–

तालिका–5.4

क्र.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18 (दिसम्बर 15 तक)
1.	निरीक्षण	25	268	743
2.	अभियोजन	0	7	155

* * *

अध्याय–6
बाल श्रमिक

6.1. बाल श्रमिक

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधन किया जाकर अधिनियम के नये प्रावधान 1 सितम्बर 2016 से लागू किये गये है। यह कानून अब बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के नाम से जाना जायेगा। कारखाना अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, खान अधिनियम तथा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत भी बाल श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध है।

वर्ष 1991, 2001 एवं 2011 की जनगणना में प्रदेश के **5 से 14 वर्ष आयु समूह के** कामकाजी बच्चें, जिनमें मुख्य एवं सीमांत कामकाजी बच्चे सम्मिलित है, के आंकड़े निम्नानुसार है :–

तालिका 6.1

		1991	2001	2011
1.	कामकाजी बच्चे	13.52 लाख	10.65 लाख	7.02 लाख
2.	ग्रामीण क्षेत्र	–	10.00 लाख	6.08 लाख
3.	शहरी क्षेत्र	–	0.65 लाख	0.92 लाख
4.	कामकाजी बच्चो का प्रतिशत (5–14 आयु वर्ष कें)	–	10 प्रतिशत	07 प्रतिशत

जनगणना 2011 में प्रदेश के निम्नलिखित दस जिलों में 5–14 आयु वर्ग के बच्चों में कामकाजी बच्चों का प्रतिशत निम्न पाया गया :–

तालिका 6.2

क्र.	जिला	5 से 14 वर्ष आयु समूह की कुल जनसंख्या में कार्यशील (मुख्य एवं सीमांत) संख्या का प्रतिशत
1.	अलीराजपुर	12.7
2.	झाबुआ	11.8
3.	बडवानी	8.0
4.	डिंडोरी	7.9
5.	बैतुल	7.3

6.	देवास	6.8
7.	रतलाम	6.5
8.	धार	6.3
9.	मंडला	5.7
10.	खरगौन	5.7

उपर्युक्त आंकड़ों में सभी प्रकार के कार्यशील बच्चे शामिल हैं, अर्थात् वे भी, जो पारिवारिक कार्य जैसे कृषि में हाथ बंटाते हैं अथवा बूट पॉलिश, कचरा बीनने आदि कार्यों में स्व–नियोजित हैं।

बाल श्रम प्रथा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विविध याचिका (सिविल क्रमांक 465/1986) में दिनांक 10.12.96 को आदेश पारित कर निम्नलिखित निर्देश दिए थे :–

- बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाए।
- जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कर रहे बालकों को वहां से हटा कर उपयुक्त संस्थाओं में उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
- बाल श्रम के दोषी नियोजकों से 20,000/– रूपये प्रति बालक के हिसाब से अंशदान लिया जाए और उस रकम को इस प्रयोजन के लिए स्थापित कल्याण निधि में जमा किया जाए।
- इस प्रकार हटाए गए बालक के परिवार के एक वयस्क सदस्य को नियोजन में लिया जाए और अगर यह संभव न हो तो राज्य सरकार द्वारा कल्याण निधि में, 5,000/– रूपये का अंशदान किया जाए।
- जब तक बालक वास्तव में स्कूल में पढ़ता है, तब तक कल्याण निधि में जमा किए गए समग्र 25,000/– रूपये से प्राप्त ब्याज में से, उसके (बालक के) परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
- संशोधन अधिनियम अनुसार 14 वर्ष तक की आयु की उम्र के बच्चों का सभी प्रकार के कार्यों में नियोजन प्रतिबंधित है। वे कुटुंब के उपक्रम में भी विद्यालय समय एवं रात 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक कोई कार्य नहीं करेगा।
- संशोधन अधिनियम अनुसार 14 से 18 वर्ष तक के बालक का नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में प्रतिबंधित है।

मध्य प्रदेश में अप्रैल, 1997 में सर्वेक्षण कराया गया था। यह सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक तथा गैर–खतरनाक दोनों प्रकार के नियोजनों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल खतरनाक नियोजनों में बाल श्रमिकों को चिन्हित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कुल 13,291 बाल श्रमिक चिन्हित किये गए थे जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 6.3

खतरनाक उद्योगों में	10,246
गैर–खतरनाक उद्योगों में	3,045

योग	13,291

उक्त सर्वेक्षण के पश्चात, विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण के आंकड़ों का परीक्षण कर आवश्यक परिमार्जन किया गया। इस परीक्षण में अनेक बाल श्रमिकों की उम्र 14 वर्ष से अधिक पाई गई, उनके एवं नियोजक के मध्य पिता–पुत्र के संबंध पाए गए, उनके नामों में पुनरावृत्ति पाई गई या फिर नियोजक का नाम गलत पाया गया। उपर्युक्तानुसार संशोधन एवं त्रुटि निवारण के पश्चात् उक्त सर्वे के दौरान पाए गए बाल श्रमिकों के आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं :–

तालिका 6.4

खतरनाक उद्योगों में	8,826
गैर–खतरनाक उद्योगों में	2,994
योग	11,820

निम्नलिखित छः जिलों में पांच सौ से अधिक बाल श्रमिक चिन्हित हुए थे :–

तालिका 6.5

जिला	चिन्हित बाल श्रमिक		
	खतरनाक नियोजनों में	गैर–खतरनाक नियोजनों में	योग
1. दमोह	4079	122	4201
2. रायसेन	1000	43	1043
3. सागर	890	61	951
4. टीकमगढ़	719	7	726
5. जबलपुर (1998 में गठित कटनी जिले सहित)	378	240	618
6. भोपाल	36	573	609

उक्त सर्वेक्षण में खतरनाक नियोजनों में नियोजित पाए गए समस्त बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया तथा दोषी 3630 नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन प्रकरण दायर किये गए तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र भी जारी किये गए है। अभी तक 13 जिलो में 23 बाल श्रमिको के संबंध में कुल रुपया 4.95 लाख की क्षतिपूर्ति राशि वसूली की जा चुकी है। इनमें से 19 बाल श्रमिकों के संबंध में पूर्ण तथा चार के संबंध में आंशिक राशि नियोजकों द्वारा जमा कराई गई है। नियोजकों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर 76 याचिकाओं में कुल 4222 बाल श्रमिकों के संबंध में जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों पर स्थगन प्राप्त किया गया है। अन्य याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित श्रम पदाधिकारी

अथवा सहायक श्रमायुक्त को पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरणों में अनुवर्ती कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत '' निरीक्षक'' की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है:—

1. जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को अधिसूचना दिनाक 13.10.97 द्वारा
2. ग्राम सभाओं को अधिसूचना दिनांक 19.07.01 द्वारा

6.2 बाल श्रम संबंधी कानून का प्रवर्तन

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेघ एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:—

तालिका 6.6

वर्ष	निरीक्षण	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	अभियोजन	दण्ड
2016—17	619	93	64	203000/—
2017—18	835 (दिसम्बर 17 तक)	84	48	60000/—

बाल श्रम प्रथा की समाप्ति तथा बाल श्रमिकों का पुनर्वास श्रम विभाग के प्राथमिकता के विषयों में सम्मिलित है। बाल श्रमिकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, तत्पश्चात राज्य में नियमित रूप से संस्थानों में निरीक्षण किए जा कर बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वास तथा नियोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बाल श्रम प्रथा की समाप्ति तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास कार्य के समुचित कार्यान्वयन के लिए प्रदेश—स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ''राज्य समीक्षा प्राधिकार समिति'' गठित की गई। इसी प्रकार जिला—स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बाल श्रमिक कल्याण एवं पुनर्वास समितियां बनाई गई हैं। कलेक्टरों से अपेक्षा की गई है कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो और विमुक्त जातियों के बच्चों को शासकीय छात्रवृत्ति तथा छात्रावास/आश्रम योजनाओं का अधिक से अधिक सीमा तक लाभ दिलाएं, ताकि ये बच्चे बाल श्रम प्रथा से दूर रहें। राज्य में संचालित बाल श्रम परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव श्रम की अध्यक्षता में राज्य परियोजना संचालन समिति (एस.पी. एस.सी.) तथा श्रम आयुक्त कार्यालय में राज्य बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एस.आर.सी.) का गठन किया गया है।

समीक्षा (मॉनिटरिंग)

राज्य में बाल श्रम संबंधी कानूनी प्रावधानों के परिपालन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं तथा बाल श्रमिक की पहचान, विमुक्ति तथा पुर्नवास संबंधी कार्यवाही की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। वर्ष 2017–18 की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. **दिनांक 03.10.2017** बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के संबंध में चर्चा हेतु श्रमायुक्त महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी सहायक श्रमायुक्त तथा परियोजना अधिकारी (राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना) उपस्थित थे।
2. **दिनांक 02.01.2018** राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की संशोधित गाईड लाईन तथा पेंसिल पोर्टल के संचालन के संबंध में परियोजना अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

कार्यशाला

दिनांक 03 एवं 04.01.2018 को बाल श्रम पर यूनिसेफ के सहयोग से इंदौर में राज्य स्तरीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को पेंसिल पोर्टल, बाल श्रम संबंधी कानूनों तथा हाल ही में किये गये संशोधनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुचारू कियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु **अभ्युदय** पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी तथा बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी (श्रम निरीक्षक) तथा परियोजना निर्देशक (राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना) उपस्थित रहें।

- इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में टास्क फोर्स का गठन एवं बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

- प्रत्येक जिले में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।

- बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

6.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की प्रगति

राज्य के चुनिंदा जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार ''राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना'' क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत चुने गए जिलों में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कर उन्हें खतरनाक किस्म के व्यवसायों/प्रक्रियाओं से विमुक्त कराकर विशेष विद्यालयों में भर्ती किया जाता है। इन

विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की भी व्यवस्था अपेक्षित है, तथा दर्ज बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें, गणवेश तथा मध्यान्ह भोजन दिए जाने के अतिरिक्त नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान है। योजना में बजट पूर्णतः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जो सीधे जिला बाल श्रम परियोजना समिति को प्राप्त होता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जी–20013/1/2012–सीएल, दिनांक 31.10.2017 द्वारा संशोधित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लागू की गई है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का पंजीकरण किया जाता है। परियोजना के लिये भारत सरकार इस समिति को सीधे अनुदान देती है। इस समिति में संबधित शासकीय विभागों के अधिकारी, स्वैच्छिक संगठन, पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारी तथा समाजसेवी सदस्य के रूप में होते हैं। परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण के लिये परियोजना निर्देशक, प्रोगाम मैनेजर, व्यवसाय प्रशिक्षक तथा अन्य स्टॉफ की मानसेवी आधार पर सेवाएँ दी जाती है।

वर्तमान में राज्य में 09 जिलों में परियोजना संचालित की जा रही हैः–
(1) ग्वालियर (2) रीवा (3) बडवानी (4) दमोह (5) जबलपुर (6) मन्दसौर (7) शाजापुर (8) राजगढ (9) कटनी।
इनकी वर्तमान की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 6.7
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की प्रगति
दिसम्बर–2017 तक

क्रमांक	जिला	परियोजना प्रारंभ होने का वर्ष	विशेष केन्द्रं की संख्या	पुनर्वास		रिमार्क
				अध्ययनरत बालकों की संख्या	मुख्यधारा में प्रविष्ट बाल श्रमिकों की संख्या	
01.	मन्दसौर	1988	17	758	3749	
02.	शाजापुर	2006	16	309	1630	
03.	ग्वालियर	2000–01	39	1470	7557	
04.	बडवानी	2006–07	37	1031	7362	
05.	दमोह	2009	29	1165	2539	
06.	रीवा	2005–06	38	1851	4168	
07.	जबलपुर	2008	39	1083	3338	
08.	कटनी	2010	0	0	5478	सर्वेक्षण पूर्ण। शीघ्र केन्द्र प्रारंभ किये

						जायेगें।
09.	राजगढ	2005	18	900	4315	

,,,

अध्याय–7
बीड़ी श्रमिक

7.1. प्रारंभिक

मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग का प्रमुख स्थान है। तेंदू पत्ते की प्रचुर उपलब्धता के कारण प्रदेश में वर्ष 1904 में बीड़ी निर्माण प्रारंभ हुआ। कालांतर में दक्षिण के राज्यों में भी बीड़ी का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रदेश के असंगठित उद्योगों में बीड़ी उद्योग का प्रमुख स्थान है। कृषि नियोजन तथा निर्माण कार्य मनरेगा सहित नियोजन के पश्चात् प्रदेश में बीड़ी नियोजन में श्रमिकों की संख्या संभवतः सर्वाधिक है।

7.2. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन

बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर उनके हित संरक्षण हेतु बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 बनाया गया है। अधिकांश बीड़ी श्रमिक सट्टेदार के माध्यम से प्रमुख नियोजक के लिए बीड़ी बनाते हैं जिससे अन्य उद्योगों की अपेक्षा उनके नियोजन की परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं।

बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जानकारी **परिशिष्ट–7.1** में दी गई है।

उक्त अधिनियम में औद्योगिक परिसर में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये कल्याणकारी प्रावधान किये गये हैं ताकि उन्हें कार्य करने के लिये स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

7.3. बीड़ी श्रमिक कल्याण

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम प्रभावशील हैं :

1. बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
2. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

7.3.1. बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी निर्माण पर उत्पाद शुल्क पर उपकर लगाया गया है। इसकी दर रुपये 5/– प्रति 1000 बीड़ी निर्धारित है।

7.3.2. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

पद 7.3.1 में उल्लिखित उपकर अधिनियम के तहत प्राप्त उपकर उपर्युक्त कल्याण निधि अधिनियम के तहत गठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में जमा होता है, जिसके माध्यम से बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

उक्त निधि का संचालन पूरी तरह भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत गठित श्रम कल्याण महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में कल्याण एवं उपकर आयुक्त का कार्यालय जबलपुर में स्थापित है तथा उसका एक उप कार्यालय इंदौर में कार्यरत है। उक्त निधि से श्रम कल्याण महानिदेशालय चार प्रकार की कल्याण गतिविधियां (स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा मनोरंजन संबंधी) संचालित करता है ।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत वही बीड़ी श्रमिक लाभान्वित होते हैं जिनके पास तत्संबंधी परिचय पत्र हों। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत बने बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978, के नियम 41 के अनुसार बीड़ी श्रमिक को परिचय पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व उस मालिक या सट्टेदार का है जिसके लिए बीड़ी श्रमिक कार्य करता हो। परंतु मालिकों/सट्टेदारों द्वारा इस कार्य में यथेष्ट रुचि प्रदर्शित न करने के कारण भारत सरकार के कल्याण आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत औषधालयों द्वारा तथा राज्य शासन के श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा भी परिचय पत्र जारी किये जाते रहे हैं।

उक्त दो स्त्रोतों के अनुसार बीड़ी श्रमिकों की संख्या का संभाग एवं जिले–वार विवरण **परिशिष्ट–7.1** में दिया गया है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से संचालित जिन योजनाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, उन समस्त योजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार के श्रम कल्याण संगठन द्वारा सीधे साधारणतः अपने औषधालयों के माध्यम से किया जाता है। मात्र ऐसी सामूहिक आवास योजना,जिसमें राज्य शासन व्दारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, उनका अनुश्रवण राज्य शासन व्दारा किया जाता है।

चूंकि भारत सरकार के श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत कार्यरत बीड़ी श्रमिक औषधालयों की संख्या सीमित है और वे चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य जिम्मेदारियों का समुचित वहन करने हेतु आवश्यक सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतः राज्य सरकार गत सितंबर 2001 से लगातार भारत सरकार से ऐसी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध करती रही है ताकि इस प्रदेश से संग्रहित होने वाले कल्याण उपकर की संपूर्ण राशि और बीड़ी श्रमिक कल्याण संबंधी समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व, दोनों राज्य सरकार को अंतरित हो जाएं।

7.4. बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना

बीड़ी श्रमिकों के आवास निर्माण हेतु बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से पुनरीक्षित स्वीकृत आवास योजना 2016 के अंतर्गत रुपये 15,000,00/– अनुदान/आर्थिक सहायता दी जाती है।प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति **परिशिष्ट–7.2** में दर्शायी गई है।

7.5 घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाज़िब मात्रा का निर्धारण

बीड़ी श्रमिकों की कार्यदशा एवं बीड़ी उद्योग की दशा का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की एक अनुशंसा घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिये जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा के निर्धारण के बारे में थी। इसके

अनुसरण में बीड़ी उत्पादक जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र दिनांक 5.10.02 तथा 18.07.2008 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। तद्नुसार कच्चे माल की जिले–वार निर्धारित मात्राओं की जानकारी **परिशिष्ट–7.3** पर देखी जा सकती है।

7.6 बीडी श्रमिकों की वेतन पर्ची

वर्ष 2003–04 में प्रदेश के बीडी श्रमिक बाहुल्य जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाकर बीड़ी श्रमिकों को वेतन पर्चियां जारी की गई। तत्पश्चात से निरंतर बीड़ी श्रमिको को वेतन पर्चियां जारी करायी जा रही है। बीड़ी श्रमिकों को जारी वेतनपर्ची की जानकारी **परिशिष्ट 7.4** में है।

* * *

अध्याय–8
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक

8.1. प्रारंभिक

देश के श्रमिक वर्ग के 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है। परंतु, अधिकांश श्रम कानूनों का लाभ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलता है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इनका लाभ उठाने से वंचित रहते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विशिष्ट समस्याएं इस प्रकार हैं :–

* अस्थायी, अनियमित एवं परिवर्तनशील रोज़गार
* शिक्षा एवं जागरूकता की कमी
* नियोजक स्थापनाओं का लघु आकार एवं भौगोलिक रूप से छितरा हुआ होना
* उत्पादकता तथा आय के निम्न स्तर
* सामाजिक सुरक्षा का अभाव
* असंतोषजनक व असुरक्षित कार्य दशाएं
* साख, विपणन और सूचना सुविधाओं का अभाव
* संगठित होने में कठिनाई तथा संगठन क्षमता का अभाव
* उपर्युक्त के परिणामस्वरूप वर्ग हितों की प्राप्ति हेतु सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का अभाव

राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रमुख रूप से कृषि, वानिकी, खदान, बीड़ी, हम्माल, परिवहन, निर्माण कार्य, होटलों/ढाबों तथा ईंट भट्टों जैसे कार्यों में नियोजित हैं।

8.2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये कार्यदल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की विशिष्ट एवं गंभीर समस्याओं को देखते हुये राज्य शासन ने इस क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के श्रमिकों के जीवन–स्तर में सुधार लाने के बारे में विचार कर अनुशंसाएं देने के लिये जुलाई, 2001 में एक कार्यदल गठित किया गया था।

कार्यदल ने अपना कार्य सितम्बर, 2002 में पूर्ण किया एवं अपनी रिपोर्ट का मुख्यमंत्रीजी तथा श्रम राज्य मंत्रीजी के समक्ष औपचारिक प्रस्तुतीकरण 27 दिसम्बर, 2002 को किया। कार्यदल ने वर्ष 2001 में प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की संख्या करीब 2.01 करोड़ आकलित की है, जिसका नियोजन–वार विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 8.1

क्र.	नियोजन	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या (लाखों में)	कुल असंगठित श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत
1.	सीमांत / लघु कृषक	69.60	34.6
2.	भूमिहीन कृषि श्रमिक	73.57	36.6
3.	खनि एवं खनिकर्म	0.64	0.3
4.	विनिर्माण (Manufacturing)	14.95	7.4
5.	संनिर्माण (Construction)	8.97	4.5
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	17.47	8.7
7.	परिवहन	3.95	2.0
8.	अन्य	11.78	5.9
	योग	**200.93**	**100**

कार्यदल द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं में से श्रम विभाग से संबंधित अनुशंसाओं को मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार पर्षद को परामर्श हेतु तथा अन्य अनुशंसाओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु संदर्भित किया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी असंगठित श्रमिकों के लिए व्यापक कानून (Umbrella Legislation) सुझाया है, और अन्य सिफारिशें भी की हैं, जिन पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। राज्य शासन उक्त कार्यदल की अनुशंसाओं पर, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए, कार्रवाई कर रहा है। असंगठित श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य एवं केन्द्र दोनो ने ही कानून बनाये हैं।

8.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक

भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्ष 1996 में निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम पारित किये गये हैं :–

1. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा
2. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

यह अधिनियम उन नियोजकों/ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते है। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन दस या उससे अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित होने की दशा में, नियोजक/ठेकेदार द्वारा स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, आवश्यक है।

प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय–वार जानकारी **परिशिष्ट–8.1** में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 8.2

क्र.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18 (दिसंबर 2017 तक)
1.	निरीक्षण	129	68	202
2.	अभियोजन	2	2	61

:

उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रदेश में फरवरी, 2001 में विभिन्न प्रकार के अधिकारी निम्नानुसार अधिसूचित किये गए हैं:–

क. प्रथम अधिनियम के अंतर्गत–

: : तालिका 8.3 : :

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	खाना–1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी
1. मुख्य निरीक्षक –	श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश
2. निरीक्षक –	समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक
3. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी –	समस्त सहायक श्रमायुक्त और श्रम पदाधिकारी
4. अपील अधिकारी –	अपर एवं उप श्रमायुक्त

ख. द्वितीय अधिनियम के अंतर्गत–

तालिका 8.4

अधिनियम के तहत प्राधिकारी		खाना–1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी
1.	उपकर निर्धारण अधिकारी–	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, समस्त अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
2.	अपील प्राधिकारी–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कलेक्टर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त, श्रमायुक्त

3	उपकर संग्राहक–	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी अनुविभागीय अधिकारी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो),समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ जिला पंचायत, समस्त श्रम विभागीय अधिकारी,

उक्त प्रथम अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने ''मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2002'' बनाकर राजपत्र (असाधारण) में 1 जनवरी, 2003, को अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन दिनांक 9 अप्रेल, 2003 को किया जाकर सामान्य तौर पर 3 वर्ष उपरांत नियमानुसार पुनर्गठन होने तक पूर्व सदस्यगण यथावत कार्यरत रहते हैं।

8.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया, राज्य शासन द्वारा मा. श्री सुल्तान सिंह शेखावत को म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री शेखावत द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मंडल अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया है, परन्तु मंडलों के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण तथा निधि के संग्रहण तथा मंडल हेतु स्टाफ तथा मंडल के संचालन के लिये निधि/वजट की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलित है। मंडल के सचिव उप श्रमायुक्त है।

मंडल द्वारा असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं उनके हित संवर्धन को ध्यान में रखकर निम्नानुसार पॉच योजनाओं प्रस्तावित की गई है–

1. असंगठित श्रमिको की मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना।
2. असंगठित श्रमिको की मृत्यु की दशा में अत्येष्टि सहायता योजना।
3. मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक प्रसुति सहायता योजना।
4. मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक अटल पेंशन योजना।
5. मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कौशल प्रशिक्षण/उन्नयन एवं व्यवसाय सहायता योजना।

म.प्र. शासन द्वारा मंडल को बजट उपलब्ध होने की दशा में उपरोक्त पॉचों योजनाओं का कियान्वयन किया जा सकेगा।

* * *

अध्याय–9
बंधक श्रमिक

9.1 प्रारंभिक

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसरण में बंधक श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिये वर्ष 1976 से बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लागू है। बंधक श्रम पद्धति से आशय ऐसा बलात् श्रम या अंशतः बलात् श्रम लेने की पद्धति से है जो साधारणतः स्वयं श्रमिक या उसके पूर्वजों को दिये गये ऋण की वसूली के रूप में या रूढ़िगत अथवा सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में लिया जाता है।

बंधक श्रम प्रथा का विषय जुलाई, 1999 तक राज्य शासन के राजस्व विभाग को आबंटित था। राज्य शासन के कार्य आबंटन नियमों में 01.08.1999 से हुए संशोधन द्वारा यह विषय श्रम विभाग को आबंटित किया गया। इस संशोधन के पालन में यह कार्य वास्तव में फरवरी, 2000 में श्रम विभाग को हस्तांतरित हुआ।

उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसार बंधक श्रम प्रथा के अस्तित्व के बारे में छानबीन, बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं कल्याण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है।

अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य शासन ने समस्त जिला एवं उपखण्डीय मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराधों के ट्रायल के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, की शक्तियों से वेष्ठित किया है।

9.2 बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले

योजना आयोग द्वारा दसवी पंचवर्षीय योजना, 2002–07 के संदर्भ में ''श्रमिकों के कमजोर वर्गो'' के लिये गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के बीस जिलों की बंधक श्रम पद्धति की दृष्टि से संवेदनशील जिलों के रूप में पहचान की है। इनके अलावा, गत वर्षो में प्रदेश के छः अन्य जिलों में भी बंधक श्रमिक पाये गये हैं। इन कुल 27 जिलों की संभाग–वार सूची निम्नानुसार है –

क्रमांक	संभाग		जिले
1	ग्वालियर	–	1– ग्वालियर
			2– शिवपुरी
			3– गुना
2	चंबल		4– भिण्ड
			5– मुरैना
3	इन्दौर	–	6– इन्दौर
			7– झाबुआ
			8– धार
4	उज्जैन	–	9– शाजापुर
			10– मंदसौर
			11– रतलाम
5	भोपाल	–	12– भोपाल

क्रमांक	संभाग		जिले
			13– विदिशा
			14– सिहोर
			15– बैतूल
			16– रायसेन
6	जबलपुर	–	17– जबलपुर
			18– मंडला
7	सागर	–	19– सागर
			20– छतरपुर
			21– टीकमगढ़
			22– पन्ना
8	रीवा	–	23– रीवा
			24– सतना
			25– सीधी
			26– शहडोल
9	होशंगाबाद	–	27– हरदा

9.3 जिला एवं उपखंड–स्तरीय निगरानी समितियॉ

अधिनियम की धारा 13 में जिला एवं उपखंड स्तर पर निगरानी समितियॉ गठित करने का प्रावधान है।

जिला–स्तरीय निगरानी समिति :–

यह समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता तथा किसी वित्तीय संस्था का एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति सदस्य होते हैं। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.5.06 द्वारा इन समितियों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपखंड–स्तरीय निगरानी समिति :–

यह समिति उपखंडीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें उनके द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता एवं वित्तीय संस्था के एक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इनके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति भी सदस्य होते हैं।

इन समितियों के मुख्य कार्य अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन में जिला/उपखंडीय मजिस्ट्रेट को परामर्श देना, बंधक श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास में सहायता करना, ग्रामीण एवं सहकारी वित्तीय संस्थाओं से उन्हें वित्तीय मदद उपलब्ध कराना तथा बंधक श्रमिकों को उनके ऋणों से मुक्ति दिलाना है। जिला एवं उप खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा बंधक श्रमिक नियोजित करने वाले संभावित स्थलों जैसेः–ईट भट्टा, केशर, निर्माण कार्य, कृषि, बोरवेल, चूना भट्टा, होटल एवं ढाबा आदि का भ्रमण किया जाकर स्थल निरीक्षण किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है। तदनुसार समिति द्वारा स्थल निरीक्षण भी किये जा रहे है।

प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को शासन द्वारा दिनांक 18/12/2013, पत्र क्रमांक 1945/2943/2014/ए–16 दिनांक 15.12.2014 एवं 136/2943/ 2011/ए–16 दिनांक 09.01.2017को निर्देश दिये गये हैं कि वे उक्त निगरानी समितियों को पुनर्गठित कर सक्रिय बनाएं और हर तिमाही में उनकी कम से कम एक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें। अद्यतन स्थिति अनुसार प्रदेश के जिन जिलों में समितियों का दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है अथवा समाप्त हो रहा है, उन जिला कलेक्टरों को समितियों के पुनर्गठन किये जाने हेतु सूचित किया जाता है। सभी 51 जिलों की समिति गठित है।

राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति–

मान.उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6190/2007 जे. प्रसाद विरूध्द मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से सुनवाई करते हुए राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की निगरानी की जा रही है। उक्त याचिका में पारित निर्देशों के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की जिलेवार समीक्षा की जाती है तथा समीक्षा के आधार पर समुचित दिशा–निर्देश प्रदान किए जाते है। मा. उच्च न्यायालय ने समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन को संतोषजनक मानते हुए भविष्य में समिति की बैठक पाक्षिक के स्थान पर प्रति दो माह में करने की अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष 2017 में समिति की पांच बैठकों का आयोजन किया गया।

9.4 विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास

बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मध्यप्रदेश में पूर्व में प्रचलित बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2000 को निरस्त किया जाकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन **''बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016''** दिनांक 17.05.2016 से लागू की गई है इस योजना में शतप्रतिशत–अंश (100 प्रतिशत) केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जायेगा। अतएव राज्यांश की आवश्यकता नहीं है।

यह योजना दिनांक 17.05.2016 से पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित हो चुकी है। योजना में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राशि पुरूष वयस्क हितग्रहियों हेतु रु. 1.00 लाख, बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रु. 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रु.3.00 लाख प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रु. 4.50 लाख प्रति जिला राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रु. 10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रु. 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जावेगा जिसमें रू.10 लाख की स्थायी निधि रहेगी जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि रू. 20 हजार हेतु प्रयुक्त होगी। शेष राशि हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जावेगे तथा शेष राशि बंधक श्रमिक के नियोजक के अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्वि उपरांत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त कर बंधक श्रमिक को भुगतान की जावेगी। निधि में बंधक श्रमिक के नियोजको से प्राप्त होने वाली दण्ड

की राशि जमा की जावेगी। प्रदेश के सभी 51 जिलों में बंधक श्रम पुनर्वास निधी का गठन (CARPUS FUND) किया जाकर समिति का बैंक खाता खोला गया है। राज्य शासन द्वारा राशि रू. 49.52 लाख कारपस फण्ड हेतु दी गई, जो जिलों को आबंटित की गई।

विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों को विभिन्न प्रचलित शासकीय कार्यक्रमों के तहत आवश्यकतानुसार निम्नलिखित लाभ दिलाकर भी पुनर्वासित कराया जाना अपेक्षित है :–

1. आवासहीनों को आवास हेतु भूखंड तथा आवास निर्माण हेतु सहायता।
2. भूमिहीनों को यथासंभव कृषि भूमि का आबंटन, और कृषि आदानों के लिये सहायता **या** विकल्प में अन्य उत्पादक आस्तियों (यथा दुधारू पशु) के लिये सहायता **अथवा** रोजगार–मूलक कार्यक्रम के तहत रोजगार,
3. बी.पी.एल. राशन कार्ड का प्रदाय एवं शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्रतानुसार लाभांवित करना।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विमुक्त बंघक श्रमिकों को अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक सहायता एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ प्रदान करना।
5. बंधक श्रमिको के नियोजकों कें विरूद्ध बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियमों जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में अभियोजन/दावा कार्यवाही करना।

उल्लेखनीय है कि, दिसंबर 2017 तक राज्य में पुनर्वासित सभी बंधक श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है।

विमुक्त होकर राज्य में निवासरत बंधक श्रमिकों के लिये कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में आनेवाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें शासन की कल्याणकारी, हितग्रहीमूलक एवं रोजगारमूलक, योजनाओं से अतगत कराया जाकर, लाभांवित किया गया।

वर्ष 2016 (जनवरी से दिसंबर 2016 तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् हैः–

कमांक	विमुक्त माह/ दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए	पुनर्वासित श्रमिकों को आबंटित राशि	राशि आबंटन दिनांक	संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	02	03	04		05	06
01	18.01.16	बगलकोट (कर्नाटक)	1,71,000/–	26.02.16 07.04.16	09	जिला खरगोन (म.प्र.)
02	01.08.16	नौयडा, गौतमबुध्द नगर (उ.प्र.)	1,08,000/–	23.08.17	06	जिला छतरपुर (म.प्र.)
03	15.07.16	तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)	–––––	–––––	40	ग्राम गादला, थाना भोपा, मुजपफरनगर (उ.प्र.)
04	12.08.16	छबडा जिला बारां (राजस्थान)	40,000/–	07.03.17	02	विलेरा तहसील, जिला गुना (म.प्र)
05	02.08.16	नौयडा, गौतमबुध्द	1,40,000/–	23.08.17	07	ग्राम खैरी हरिकिशन,

		नगर (उ.प्र.)				पो.लुहारी, तहसील पटेरा, जिला दमोह (म.प्र.)
06	26.09.16	गुना (म.प्र.)	20,000/–	07.03.17	01	अशोक नगर, (म.प्र.)
	कुल योग		**4,79,000/–**		**65**	

वर्ष 2017 (जनवरी से दिसंबर तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् हैः–

क्रमांक	विमुक्त माह/दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए	पुनर्वासित श्रमिकों को आबंटित राशि	राशि आबंटन दिनांक	संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	**02**	**03**	**04**		**05**	**06**
01	22.02.17	जीरापुर, जिला राजगढ (म.प्र.)	20,000/–	23.03.17	01	जीरापुर, जिला राजगढ (म.प्र.)
02	29.10.17	किशनगढ जिला बारां (राजस्थान)	3,60,000/–	11.01.18	18	बमौरी तहसील, जिला गुना (म.प्र)
	कुल योग		**3,80,000/–**	–	**19**	

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, द्वारा बंधक श्रम प्रथा के उन्मूलन विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, मान. न्यायमूर्ति श्री मुरूगेशन की अध्यक्षता में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन, अकादमी भोपाल में दिनांक 29.09.2016 को की गई।

- कार्यशाला में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राज्य मानव अधिकार आयोग के मान. अध्यक्ष, प्रमुख सचिव श्रम, श्रमायुक्त, विभागीय सचिवगण, कतिपय जिलों के कलेक्टर, एस.डी.एम., पुलिस अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के अधिकारी, राज्य के श्रम विभागीय अधिकारी, एन.जी.ओ. व विमुक्त बंधक श्रमिक सम्मिलित थे।

- कार्यशाला में बंधक श्रम के संबंध में कानूनी प्रावधान तथा भारत सरकार द्वारा जारी नवीन बंधक श्रम पुनर्वास नीति 2016 पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया तथा राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति व पुनर्वास पर चर्चा की गयी।

- दिनांक 24.10.2017 को इंदौर में बंधक श्रमिकों की विमुक्ति, पहचान एवं पुनर्वास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में सहायक/डिप्टी कलेक्टर, पुलिस, जिला पंचायत, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल सशक्तिकरण विभाग, बाल कल्याण समिति तथा चाईल्ड लाईन के अधिकारी द्वारा सहभागिता की गई।

- कार्यक्रम में मुख्य अतिथी श्री मनोहर ममतानी, अध्यक्ष, म.प्र. मानव अधिकार आयोग थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रजीत पुनहानी महानिदेशक, श्रम कल्याण, भारत सरकार द्वारा की गई। कार्यशाला में बंधक श्रमिकों की विमुक्ति, पुनर्वास एवं निगरानी कार्य हेतु बनाये गये लिबर्टी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। श्रम विभाग द्वारा बंधक श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में किये गये प्रयास तथा विमुक्ति कार्यवाही की मानक प्रचलन प्रक्रिया (SOP) का समावेश करते हुए बनाई गई पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

बंधक श्रम पुनर्वास की वर्षवार जानकारी **परिशिष्ठ 9.1** में अवलोकनीय है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 19.09.2017 द्वारा रूपये 25.90 लाख का आवंटन प्रस्तावित है। यह आवंटन राज्य के 08 जिलों प्रत्येक हेतु रूपये 2.25 लाख सर्वे हेतु रू. 5 लाख जनजागरण तथा 2.50 लाख मूल्यांकन अध्ययन हेतु प्रदाय किया जाएगा।

राज्य शासन द्वारा बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 के क्रियान्वयन हेतु राशि रू 234 लाख का बजट प्रदाय किया गया है। प्राप्त बजट से राज्य में बंधक श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाना तथा पुनर्वास को सुदृढ किया जाना प्रस्तावित हैं। सभी जिलों में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।

* * *

अध्याय–10
कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन

10.1. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

यह अधिनियम मोटर परिवहन व्यवसाय में संलग्न उन नियोक्ताओं पर लागू होता है जो दो या दो से अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वाहन पर नियुक्त कर्मकारों की सेवाशर्तें (मुख्यतः काम के घंटे, अवकाश, ओवर टाइम, गणवेश आदि) का नियमन किया जाता है। नियोक्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वह श्रम कार्यालय से उपक्रम का पंजीयन कराये एवं अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का पालन करे। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय– वार जानकारी **परिशिष्ट–10.1** में दी गई है।

अधिनियम के अंतर्गत संपन्न निरीक्षणों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 10.1

क.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18 (दिसंबर 2017 तक)
1.	निरीक्षण	38	28	43
2.	अभियोजन	2	3	00

10.2. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

भारत सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर 2011 द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के संबंध में मजीठिया वेतन मण्डल की अनुशंसायें प्रभावशील की हैं।

प्रदेश के समाचार पत्र संस्थाओं तथा प्रेस संस्थानों में मजीठिया वेतन मंडल की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु श्रमायुक्त संगठन के मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

10.3. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

यह अधिनियम, 1 जनवरी, 1959, से प्रभावशील है। इसका उद्देश्य दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित कर्मियों की कार्यदशाओं को विनियमित करता है।

यह अधिनियम 01.01.03 तक प्रदेश के 144 नगरों कस्बों में लागू था। दिनांक 15.7.2011 से इसे 47 जिलों के 219 और कस्बों में प्रभावशील किया गया है। इस प्रकार अब यह प्रदेश के कुल 363 नगरों/कस्बों/ में लागू है, जिनकी जिले–वार सूची **परिशिष्ट–10.2** में दी गई है।

प्रदेश में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या, तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जिले–वार जानकारी **परिशिष्ट–10.3** में दी गई है।

इस अधिनियम, की धारा 6 (2) एवं 6(5) के अंतर्गत दुकानों/स्थापनाओं के पंजीयन एवं नवकरण का कार्य पुनः जुलाई 2009 से श्रम विभाग को सौंपा गया है।

इस अधिनियम की धारा 9 में दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना खुलने एवं बंद किये जाने का समय विनियमित किए जाने का और धारा 13 में ऐसी स्थापनाओं में एक साप्ताहिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान है। कतिपय विशिष्ट स्वरूप की स्थापनाओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 तथा धारा 13 के प्रावधानों से, कतिपय शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, छूट प्रदान की गई है। उदाहरणार्थ, अधिसूचना दिनांक 23.3.2000 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं को, कतिपय शर्तो के तहत, धारा 9(1) एवं धारा 13(1) के प्रावधानों से छूट दी गई है, अर्थात् इस प्रकार की स्थापनाएं प्रदेश में सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्य कर सकती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के खुलने एवं बंद होने के समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। धारा–9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 14.01.2011 द्वारा इनके बंद होने का समय रात्रि 10.00 बजे निर्धारित है।

श्रम विभगीय अधिसूचना दिनांक 20 मई 2013 द्वारा सूचना प्रौद्योगिक इकाईयों में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक महिलाओं को कार्य करने की छूट उनकी सुविधा एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाओं की शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 तथा म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए दिनांक 15 जनवरी, 2014 से समस्त अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में संधारित करने की अनुमति जारी की गई है तथा पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाईन की गई है। यह सेवा लोक सेवा के रूप में भी सम्मिलित है।

म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 में संशोधन करते हुए, म.प्र. दुकान तथा स्थापना (सशोधन) अधिनियम, 2014 लाया गया है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:–

1. विहित कालावधि में निरीक्षक द्वारा विपरीत आदेश न होने पर पंजीयन स्वतः कर दिया गया, समझा जाएगा।

2. प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव व कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपाय विहित किए जाएंगे।

3. 10 से कम श्रमिकों की स्थापना में निरीक्षण श्रम आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

4. सभी उल्लंघनों हेतु प्रशमन के प्रावधान किए गए हैं।

5. पंजियों एवं अभिलेखो को कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल फार्मेट में रखा जा सकेगा।

अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 10.2

क्र.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18 (दिसंबर 2017 तक)
1.	निरीक्षण	143	674	588
2.	अभियोजन	20	390	215

10.4. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

यह अधिनियम उन प्रमुख नियोजकों एवं ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते है। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन बीस या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित होने की दशा में, प्रमुख नियोजक स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, और संबंधित ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन ने रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किए हैं :–

तालिका 10.3

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	किसे नियुक्त किया गया
1. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
2. अनुज्ञापन अधिकारी	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी

प्रदेश में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या, अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय–वार जानकारी **परिशिष्ट–10.4** में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 10.4

क्र.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18 (दिसंबर 2017 तक)
1.	निरीक्षण	139	442	891
2.	अभियोजन	49	56	225

10.5. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

यह अधिनियम उन स्थापनाओं (एवं ठेकेदारों) पर लागू होता है जो न्यूनतम पांच या अधिक ऐसे श्रमिकों से काम लेते हैं, जो किसी अन्य राज्य से ठेकेदार, सरदार अथवा एजेंट के माध्यम से आये हों। स्थापना को ऐसे श्रमिकों से कार्य लेने के पूर्व अपना पंजीयन कराना होता है, तथा संबंधित ठेकेदार /सरदार/ एजेंट को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होती है।

इस अधिनियम के अंतर्गत भी राज्य शासन ने उन्हीं अधिकारियों को क्रमशः रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया है, जिन्हें ठेका श्रम अधिनियम के तहत ऊपर पद 10.4 में इस हैसियत से नियुक्त दर्शाया गया है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों में राज्य से बाहर जाने वाले एवं अन्य राज्यों से आने वाले, दोनों प्रकार के श्रमिक सम्मिलित होते हैं। राज्य के सीमावर्ती जिलों में प्रायः श्रमिकों का अंतर्राज्यीय प्रवास प्रचलित है। भारी इंजिनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, तथा ईंट भट्टे आदि कार्यों में बिहार तथा उत्तरप्रदेश राज्यों के श्रमिक प्रायः कार्यरत पाये जाते हैं। अधिकांश श्रमिक स्वयं ही प्रवास करते हैं और किसी सरदार/ठेकेदार/एजेंट के माध्यम से प्रवास न करने के कारण ये अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं।

किसी ग्राम से अन्य राज्य को जाने वाले श्रमिकों की पंजी संधारित करने का दायित्व गत जनवरी, 2001, से ग्राम सभाओं को सौंपा गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2002 द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य की नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को, एवं नगर पालिकाओ तथा नगर निगमों मे कार्यरत राजस्व निरीक्षकों को, संबंधित नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत ''निरीक्षक'' नियुक्त किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:–

तालिका 10.5

क्र.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18 (दिसंबर 2017 तक)

1.	निरीक्षण	106	32	72
2.	अभियोजन	4	16	00

***

अध्याय–11
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

11.1 प्रारंभिक

भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रवर्तित की गई है। योजना अंतर्गत देय विभिन्न हितलाभों में से एक हितलाभ योजना के हितग्राही सदस्यों व उनके परिजनों को संपूर्ण चिकित्सा सेवाऐं प्रदान करने का दायित्व राज्य शासन को सौंपा गया है, जिसके लिये म0प्र0 शासन, श्रम विभाग अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं विभाग की स्थापना की गई है। शेष हितलाभ भारत शासन अंतर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान किये जाते है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अंतर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना, अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी कारखानों, व अन्य स्थापनाओं पर लागू होती है, जहां कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ऊर्जा–चालित स्थापनाओं तथा गैर–ऊर्जा चालित स्थापनाओं में दस या दस से अधिक हों। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनॉक 31.3.2017 की स्थिति में दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 7,92,130 बीमित व्याप्ति में है। निगम द्वारा दिनॉक 1.10.2016 से रूपये 21,000/– तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मकारों को व्याप्ति में लेने का निर्णय लिया गया है। योजना में व्याप्त कर्मकारो व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा एवं अन्य विभिन्न हितलाभ प्राप्त होते हैं जिनका विवरण आगे पद 11.2 में दिया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) योजना के तहत नियोजक स्थापनाओं और उनमें कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन तथा उनसे अभिदाय की प्राप्ति/वसूली का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम (जो एक केंद्रीय उपक्रम है) करता है। श्रमिक को उसकी कुल परिलब्धियों के 1.75% के बराबर अभिदाय देना होता है और नियोजक 4.75% अभिदाय देता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है तथा उसके अंतर्गत 27 स्थानीय कार्यालय हैं।

11.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पैटर्न

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित श्रमिक को निम्नलिखित हितलाभ प्राप्त होते हैं :–

1–चिकित्सा हितलाभ– श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा।

2–बीमारी हितलाभ– दीर्धकालिक रोगों से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति 91 दिन की बीमारी हितलाभ अवधि की समाप्ति पर बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे थे । प्रायः कार्य के लिए स्वस्थ्य न होने पर भी वे अंतिम प्रमाण–पत्र के लिए जोर देते थे । अब 3 वर्ष की वि.बी.हित. अवधि में 2 वर्ष तक की विस्तारित अवधि (विस्तारित बीमारी हितलाभ) हेतु बीमारी हितलाभ का भुगतान करने का प्रावधान कर दिया गया है ।

3–मातृत्व हितलाभ– महिला श्रमिकों को तीन माह के वेतन के बराबर राशि प्रसूति की दशा में देय है।

4–अपंगता हितलाभ– कार्य संबंधित दुर्घटना से उत्पन्न अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्तियों को मुआवजा देय है जिसकी दर श्रमिक की आयु व वेतन पर निर्भर है। स्थायी अपंगता के लिए मासिक पेंशन देय है।

5–पुनर्वास हितलाभ– अपंग हुए हितग्राहियों को कृत्रिम अंग लगवाने तथा दुरस्त कराने के लिए एवं कृत्रिम अंग केंद्र तक आने–जाने के व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शारीरिक पुनर्वास भत्ते के रूप में वहन किया जाता है। इसके अलावा, शारीरिक अपंगता की स्थिति में व्यावसायिक पुनर्वास/पुर्नप्रशिक्षण हेतु सहायता, व्यावसायिक पुर्नवास भत्ते के रूप में दी जाती है।

6–आश्रित हितलाभ– कार्य संबधित दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मासिक पेंशन की पात्रता होती है।

7–अंत्येष्टि हेतु सहायता– बीमित श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम रुपये 10,000/– अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं।

उपर्युक्त में से प्रथम हितलाभ (अर्थात् चिकित्सा हितलाभ) का प्रशासन पूरी तरह राज्य शासन की जिम्मेदारी है। शेष हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नगद रूप में दिये जाते हैं, परंतु उनके लिए आवश्यकतानुसार प्रमाणीकरण क.रा.बी. सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।

राज्य शासन के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं दिए जाने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनॉक 1.4.2016 से रूपये 3,000/– प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष का मापदंड निर्धारित किया गया था। इस सीमा तक होने वाले व्यय को निगम एवं राज्य शासन 7:1 के अनुपात में वहन करते हैं। इससे अधिक होने वाला व्यय पूर्णतः राज्य शासन को वहन करना होता है। निगम ने रुपये 3,000/– प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष की उक्त दर को निम्न मदों में विभक्त किया है :–

1. प्रशासनिक मद	रूपये 1,250/–
2. अन्य मद	रूपये 1,750/–

योग	रूपये 3,000/–

11.3. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या

प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रथमतः जनवरी, 1955, में मध्य भारत क्षेत्र के चार मुख्य औद्योगिक केन्द्रों– इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, तथा रतलाम–के लगभग 55,000 श्रमिकों के लिये प्रारंभ की गयी थी । शनैः–शनैः प्रदेश में औद्योगिक केन्द्रों के विस्तार के साथ–साथ

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का भी विस्तार होता गया। दिनॉक 31.3.2017 की स्थिति में प्रदेश के 20 जिलों में 20 केन्द्रों पर 7,92,130 बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तथा प्रत्येक केंद्र पर कार्यरत चिकित्सालयों और औषधालयों की सूची **परिशिष्ट–2.3** मे दी गयी है।

11.4. चिकित्सा हितलाभ

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत देय पूर्ण चिकित्सा सेवा (Full medical care) के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को बाह्य रोगी चिकित्सा, अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा व विशेष जांच व उपचार की सेवाऐं उपलब्ध करायी जाती है।

अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा प्रदेश के मुख्य नगरों में 6 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों एवं एक एनेक्सी वार्ड के माध्यम से दी जाती है । जिनमें कुल 456 सेवायें उपलब्ध है। इन्दौर क्षय चिकित्सालय में 75, उज्जैन चिकित्सालय में 50, ग्वालियर चिकित्सालय में 100, भोपाल चिकित्सालय में 100, देवास चिकित्सालय में 50, नागदा चिकित्सालय में 50 एवं ऐनेक्सी वार्ड मंदसौर में 25, मिल क्षेत्र औषधालय की पी0पी0युनिट में 6 शैयाओं की व्यवस्था है। अन्य स्थानों पर बीमित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिये 16 स्थानीय जिला/ सिविल चिकित्सालयों में 96 सामान्य व 46 क्षय शैयाओं का आरक्षण किया गया है तथा द्वितीयक उपचार एवं जॉच की कैश रहित सुविधा हेतु प्रदेश के 60 निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबंधित किया गया है ।

वर्तमान में 3 रोगी वाहन विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में कार्यरत है तथा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनॉक 31.12.2005 द्वारा 12 रोगी वाहन वर्ष 1991 के पूर्व में क्रय होने से उन्हें अपलेखित कर विक्रय किये गये एवं नये रोगी वाहनों के क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

गंभीर बीमारियों व जटिल सर्जरी, विशेष जॉचें आदि के मामलों में, जो सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में उपलब्ध नही है उन्हें राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा विभिन्न अतिविशिष्ट चिकित्सालयों को अनुबन्धित कर, कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जरूरत पडने पर बीमित व्यक्तियों को ऐनक, कृत्रिम अंग, हियरिंग एड आदि भी निःशुल्क दिए जातें हैं।

बीमित व्यक्तियों को, उनके द्वारा चिकित्सा पर किए गए व्यय के शीघ्र पुनर्भुगतान के उद्देश्य से जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग फंड दिनॉक 31.3.2015 से समाप्त करते हुये एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 के अनुसार हितग्राहियों को भुगतान रहित उपचार सुविधा दिनॉक 1.4.2015 से प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में दिनॉक 31.12.2017 तक का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 11.4

क्र.	उपचार	प्रकरणों की संख्या	चिकित्सालयों द्वारा दावा की गई राशि	चिकित्सालयों को भुगतान करने हेतु स्वीकृत राशि
1	द्वितीयक उपचार एवं जॉच सुविधा	7,171	6,47,62,356/–	6,05,40,526/–
2	विशिष्ट उपचार एवं जॉच सुविधा	07	20,27,941/–	18,81,894/–
	योग	7,178	6,67,90,297/–	6,24,22,420/–

क.रा.बी. संस्थाओं में उपचारित मरीज़ों का विवरण **परिशिष्ट–11.1** में दिया गया है।

11.5. परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाऐं

उपर्युक्त चिकित्सा सेवाओं के अलावा संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, कतिपय अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियां भी संचालित करता है। श्रमिक एवं परिवार कल्याण शिक्षक द्वारा श्रमिक बस्तियों व औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। टेलीविजन, वीडियो, प्रोजेक्टर, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

श्रमिक बस्तियों में टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, क्षयरोग, नेत्र रोग एवं अस्थिरोग निदान शिविर, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता एवं परिवार नियोजन आपरेशन शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनमें बीमारियों के प्रतिरोधक टीके, हेल्थ स्कैनिंग व स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है।

परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों के तहत विगत तीन वर्षो में किए गए कार्य का विवरण **परिशिष्ट–11.2** में दिया गया है। इसी प्रकार विगत तीन वर्षो में टीकाकरण संबंधी जानकारी **परिशिष्ट– 11.3** में दर्शाई गई है ।

चिकित्सालय द्वारा किये गये ऑपरेशन्स का विवरण **परिशिष्ट–11.4** में दिया गया है।

हिपेटाईटिस ''बी'' से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाईटिस–बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाईयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 149 हितग्राहियों को टीकें लगाये गये है ।

प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं को परिवार कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता रहा है। दिनांक 31.10.06 को नई दिल्ली में चिकित्सा हितलाभ परिषद की आयोजित 76वीं बैठक में वर्ष 2004–05 में प्रथम पुरस्कार के साथ रूपये 10,000/– नगद, टीकाकरण के क्षेत्र में प्रावीण्यता प्रमाण–पत्र तथा वर्ष 2005–06 में द्वितीय पुरस्कार के साथ रूपये 5,000/– नगद प्रदान किये गये है । वर्ष 2008–09 में परिवार कल्याण की उपलब्धियों के लिये महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार घोषित किया गया है, इसमें रूपये 3,000/– का नगद व प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया । वर्ष 2011–12 व 2012–13 तथा 2013–14 के पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में रूपये 10,000/– का नगद प्रथम पुरस्कार एवं प्रावीण्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

11.6 श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्ययोजना

पूर्व में राज्य योजना मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय ''श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार'' में श्रम विभाग को संगठित / असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 0 से 18 वर्ष आयु के 1,00,000 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया था ।

इस संबंध में कर्मचारी राज्य सेवायें म.प्र. द्वारा निधारित अधिनस्थ 10 केन्द्रों एवं चिकित्सालय के माध्यम से वर्ष 2004–2005 से सतत् शिविरों का आयोजन कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में (दिसम्बर 2017 तक) सभी केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से 123 शिविर आयोजित कर 7,855 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है ।

11.7 एच. आय. वी./एड्स प्रकोष्ठ

एड्स के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा नीति निर्देश तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क.रा.बी. सेवाओं के लिये कार्यक्रम निर्धारण व धनराशि आंवटन क.रा.बी.निगम के माध्यम से किया जाता है। संचालनालय में कार्यरत एड्स प्रकोष्ठ के अधीन ग्वालियर स्थित चिकित्सालयों में 31.3.2000 से आय. सी.टी. सी (समग्र परामर्श/ परीक्षण केन्द्र) प्रारंभ किये गये है एवं यौन जनित रोग निदान एवं उपचार क्लीनिक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी है। यह कार्यक्रम क.रा.बी.निगम द्वारा वित्त पोषित है। लगातार प्रचार–प्रसार एवं जनजागृति के प्रयास हर स्तर पर किये जा रहे है जिसके कारण एड्स के नवीन प्रकरणों में कमी आयी है ।

एच0आय0वी0/एड्स के प्रसार के रोकथाम हेतु विभागीय चिकित्सकों एवं पैरामेडीकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । निदान केन्द्रों पर सम्पन्न परीक्षण में एच0आय0वी0 पॉजिटिव के कुछ प्रकरण पाये गये है, जिन्हें विशेष उपचार चिकित्सा महाविद्यालयों के ए0आर0टी0 केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

11.8 विभागीय अमले की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अर्न्तगत वर्ष 2017–2018 में (दिसम्बर 2017 तक) स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त अमले की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रथम श्रेणी	73	31	42
2	द्वितीय श्रेणी	290	214	76
3	तृतीय श्रेणी	891	631	260
4	चतुर्थ श्रेणी	785	538	247
5	**कुल योग**	**2039**	**1414**	**625**

11.9 विभागीय पदोन्नतियों की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अर्न्तगत वर्ष 2017–2018 में (दिसम्बर 2017 तक) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी में 03 तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में 03 एवं तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी में निरंक तथा चतुर्थ श्रेंणी से तृतीय श्रेणी में निरंक पदोन्नतियॉ की गई है ।

11.10 विभागीय जॉच की स्थिति

वर्ष 2017–2018 में (दिसम्बर 2017 तक) विभागान्तर्गत प्रथम श्रेणी में 01, द्वितीय श्रेणी में 03 प्रकरणों में निर्णय शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है । तृतीय श्रेणी में 03 तथा चतुर्थ श्रेणी में 03 प्रकरण में जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

11.11 नियुक्तियों की स्थिति

वर्ष 2017–2018 में (दिसम्बर 2017 तक) विभागार्न्तगत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पदों नियुक्ति कर्ता अधिकारी शासन, लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीमा चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्रवाई के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा 1.1.2016 द्वारा 70 उम्मीदवारों की

सूचि जारी की गई है, इसमें से 32 चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण किया है तथा तृतीय श्रेणी में 11 पदों पर तथा चतुर्थ श्रैणी के 04 पदों पर नियुक्ति की गई ।

11.12 स्थानांतरण की स्थिति

वर्ष 2017–2018 में (दिसम्बर 2017 तक) प्रथम श्रेणी में 02, द्वितीय श्रेणी में 23, तृतीय श्रेणी में 34 तथा चतुर्थ श्रेणी में 15 स्थानान्तरण किये गये है ।

*****

अध्याय–12
श्रम न्यायपालिका

12.1.संवैधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 323–ख (1) में व्यवस्था है कि समुचित विधान मंडल, कानून व्दारा, उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में उल्लेखित प्रकार के विवादों के अधिकरणों व्दारा न्याय निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा । उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उल्लेखित विषयों में ''औद्योगिक और श्रम विवाद'' भी सम्मिलित है ।

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय गठित है । साथ ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7–क के अंतर्गत मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित है । धारा 7–क के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद, चाहे वह अधिनियम की अनुसूची दो का विषय हो अथवा अनुसूची तीन का, राज्य शासन व्दारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है । औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष ही औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त है । मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में श्रम न्यायालय कार्यरत हैं ।

औद्योगिक न्यायालय तथा श्रम न्यायालय, विभिन्न केन्द्रीय व राज्य विधानों के अंतर्गत औद्योगिक विवादों की सुनवाई करते हैं ।

12.2. औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन

मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय की मुख्य खंडपीठ इन्दौर में है, तथा 4 खंडपीठें क्रमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित है । औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है जिनमें से दो मुख्यालय इन्दौर में, एवं शेष चार खंडपीठों के लिए है । मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है । खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी है । राज्य में कुल 25 श्रम न्यायालय गठित है जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं । जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है ।

औद्योगिक न्यायलय तथा विभिन्न श्रम न्यायालयों व्दारा वर्ष 2016 में प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी **परिशिष्ट 12.1** एंव **12.2** में दी गई है ।

<u>पदोन्नति</u> :– वर्ष 2017 में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान नही की गई ।

<u>विभागीय जॉच</u> :–वर्श 2017 में दिनांक 31–12–2017 की स्थिति में विभागीय जॉच के 6 प्रकरण लंबित है ।

<u>नियुक्तियॉ</u> :– वर्ष 2017 में तृतीय श्रेणी में सहायक ग्रेड–3 के पद पर 1 एवं चतुर्थ श्रेणी में भृत्य के पद पर 2 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई ।

<u>स्थानांतरण</u> :–श्रम न्यायिक संस्थान में वर्ष 2017 में तृतीय श्रेणी में 08 एवं चतुर्थ श्रेणी में 12 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया । तृतीय श्रेणी के 1 कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी के 1 कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थानांतरण के विरूद्ध स्थगन आदे ा लिया गया है ।

<u>न्यायालीयन प्रकरणों की स्थिति</u> :– शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन के विरूद्ध 32 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालयों में दायर किये गये है जो मान. न्यायालय में विचाराधिन है।

***

अध्याय–13
राज्य–स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां

13.1. प्रारंभिक

श्रम संबंधी मामलों में साधारणतः तीन हितधारी पक्ष– श्रमिक, नियोजक एवं शासन होते हैं जिन्हें सामाजिक भागीदार (social partners) भी कहा जाता है। श्रम के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में इन तीन सामाजिक भागीदारों के बीच नियमित और सार्थक संवाद और विचार–विमर्श होते रहना आवश्यक है। त्रिपक्षीयता का यह सिद्धांत अनेक श्रम कानूनों एवं कार्यकारी आदेशों के तहत गठित समितियों में प्रतिबिंबित होता है। कुछ प्रमुख राज्य–स्तरीय त्रिपक्षीय समितियों का विवरण आगे दिया जा रहा है।

13.2. राज्य श्रम सलाहकार परिषद

मध्य प्रदेश श्रम सलाहकार परिषद, राज्य शासन के कार्यकारी आदेश के तहत गठित एक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च त्रि–पक्षीय मंच है जो राज्य शासन को उद्योग संबंधी प्रक्रिया में सुधार, श्रम कल्याण प्रवृत्तियों को असरकारक बनाने, श्रम अधिनियमों के मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन, तथा उद्योग एवं श्रम संबंधी विषयों पर परामर्श देता है।

परिषद के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं तथा श्रमायुक्त इसके सचिव हैं। प्रमुख सचिव श्रम, तथा शासन के अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, नियोक्ता एवं श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी भी इसके सदस्य हैं। परिषद में केद्रीय एवं राज्य शासन के उपक्रमों के कुल 5, निजी उद्योगो के 9, श्रमिक के 14 तथा 1 मा. सांसद एवं अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 4 सदस्य हैं। मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद का पुनर्गठन दिनांक 13 अक्टूबर 2017 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ है।

13.3. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड

यह बोर्ड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत गठित होता है। बोर्ड का पुनर्गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2014 के द्वारा किया गया है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जुलाई, 2014 को हुआ है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, ओर वह अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करता है। बोर्ड की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2016 को हुई है।

13.4 राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड

यह बोर्ड ठेका श्रम अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित होता है। इसका कार्य अधिनियम के प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर राज्य शासन को सलाह देना है। बोर्ड का गठन 7 जनवरी 2013 को हुआ था। बोर्ड के पुर्नगठन हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

13.5 समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति

यह समिति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत महिलाओं को नियोजन में अधिक अवसर प्रदान करने तथा समान कार्य हेतु समान वेतन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित की जाती है। इस समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित है।

* * *

अध्याय–14
सांविधिक मंडल

14.1 म0प्र0 श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

प्रदेश में श्रमिक कल्याण गतिविधियों की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 म.प्र. विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया। म.प्र.शासन श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार 14 नवम्बर, 1987 से मंडल ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनाएं/गतिविधियां संचालित करना है। वर्तमान में मंडल द्वारा नियमित रूप से विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियॉ संचालित की जा रही है, जो निम्नानुसार है :–

01. श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्रों का संचालन
02. श्रमिक कौशल उन्नयन योजना
03. संभागीय/राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताएं
04. मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन
05. निःशुल्क सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण

मंडल की उपरोक्त नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त मंडल निम्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है :–

01. शैक्षणिक छात्रवृत्ति येाजना
02. शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
03. कापियों का रियायती मूल्य पर वितरण
04. विवाह सहायता योजना
05. अंतिम संस्कार हेतु सहायता
06 विधवा **(कल्याणी)** सहायता राशि योजना
07. चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना
08. शारीरिक असमर्थता पर सहायता योजना
09. बिटिया शिक्षा प्रोत्साहन योजना
10. उत्तम श्रमिक प्ररस्कार योजना
11. श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना

1. श्रम कल्याण निधि एवं उसका उपयोग

म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के उपबंधों के अधीन अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा–11 की उपधारा –1 के अनुसार ''निधि''मंडल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मंडल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी। उसके धनों का उपयोग मंडल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के

लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, कार्यान्वित करने हेतू उपयोग किया जाएगा।

उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मंडल द्वारा निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगाः–

(क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केंद्र जिनके अंतर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं,
(ख) सामुदायिक आवश्यकताएं,
(ग) बालकों, स्त्रियों तथा प्रौढ़ों के लिये शैक्षणिक सुविधाएं,
(घ) खेल तथा खेलकूद,
(ड.) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह (हालिडे होम्स),
(च) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद–प्रमोद,
(छ) स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएं,
(ज) सामाजिक स्वरूप के सामुदायिक क्रियाकलाप,
(झ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मंडल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्ते आते हैं,
(ञ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो मंडल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों।

2. <u>मंडल की आय के स्त्रोत</u>

1. अभिदाय –मंडल की आय का मुख्य स्त्रोत म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 9 (2) (3) के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों, नियोजकों से प्राप्त अभिदाय एवं शासन से प्राप्त अंशदान है। शासन द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2013 के राजपत्र में आम सूचना प्रकाशित कर अभिदाय दरों में वृद्धि उपरांत श्रमिकों से रूपये 10/– प्रति श्रमिक प्रति छमाही तथा नियेाजकों से रूपये 30/–प्रति श्रमिक/कर्मचारी प्रति छमाही निर्धारित किए गए हैं। धारा 9 (2)(ख) परन्तुक के अनुसार नियोजक का अंशदान न्यूनतम रूपये 1500/– निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा नियोजकों से प्राप्त अभिदाय के बराबर अंशदान मंडल को दिये जाने का प्रावधान है। किन्तु वर्तमान में प्रतिवर्ष शासन द्वारा रूपये 50 लाख मंडल को अंशदान भुगतान किया गया है ।

मण्डल को वित्तीय वर्ष 2017–18 **(दिसम्बर 2017 तक)** की स्थिति में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तथा स्थापनाओं से अभिदाय स्वरूप राशि रू **3,31,83,653/–** (तीन करोड़ इकत्तीस लाख त्रिरासी हजार छः सौ तिरेपन मात्र) प्राप्त हुई है।

2. असंदत्त संचित राशि – मंडल को अधिनियम की धारा 11 एवं 8 के अंतर्गत असंदत्त संचित राशि प्राप्त होती है । वित्तीय वर्ष 2017–18 **(दिसम्बर 2017 तक)** विभिन्न औद्योगिक इकाईयों से अंसदत्त संचित राशि रू. रू **1,25,07,719.50** पैसे (एक करोड़ पच्चीस लाख सात हजार सात सौ उन्नीस पचास पैसे मात्र) प्राप्त हुई है। असंदत्त संचित राशि के संबंध में अधिनियम की धारा 8 प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही मंडल द्वारा की जाती है।

3. सावधि जमा – मंडल में वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. **11.47 करोड़** की सावधि जमा थी। जो वित्तीय वर्ष 2017–18 **(दिसम्बर 2017 तक)** में रूपये–**15. 06 करोड़** सावधि जमा है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में है।

मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियाँ

वर्तमान में मंडल द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं :–

(01) शैक्षणिक छात्रवृति योजना :–

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष प्रदेश की औद्यौगिक इकाईयों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृति का लाभ दिया जा रहा है । मंडल द्वारा वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति का उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव के कारण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो सके । वित्तीय वर्ष 2010–11 में मंडल द्वारा वितरित छात्रवृत्ति का लाभ कक्षा पांचवी से सातवी तक रूपये 500 कक्षा आठवी से बारहवीं तक रू. 600 प्रतिवर्ष, स्नातक, आई.टी. आई. एवं पोलिटेक्निक में रू. 700 प्रतिवर्ष तथा स्नातकोत्तर, बी.ई., एम.बी.बी.एस. में रू. 1300 प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं को दिया जा रहा है।

(02) शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाः–

यह योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा 10वीं एवं 12वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मंडल की 51वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार इस योजना का नाम परिवर्तन कर **''शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना''** किया गया है एवं इस वर्ष से इस योजना में कक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, बी. ई. तथा एम.बी.बी.एस. के छात्र/छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जिसमें कक्षा दसवीं के छात्र/छात्राओं को रू. 900 कक्षा बारहवी हेतु रू. 1000 स्नातक, स्नात्कोत्तर, बी.ई. एवं एम.बी.बी.एस. हेतु 1500 प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदाय की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

उपरोक्त दोनों योंजना में वित्तीय वर्ष **2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)** में **6653** छात्र/छात्राओं को राशि रूपये–**57,36,450/–** स्वीकृत कर वितरित की गई है।

(03) <u>सस्ती दरों पर कापियों का वितरणः–</u>

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र–पुत्रियों को सस्ती दरों पर कापियों का वितरण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में अपरिहार्य कारणों से कापियों कां वितरण नहीं हुआ है।

(04) <u>विवाह सहायता योजनाः–</u>

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत अकुशल, अर्द्धकुशल अथवा कुशल श्रमिकों की 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री के विवाह हेतु राशि 6,250/– रूपये विवाह सहायता राशि प्रदाय की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में 545 हितग्राहियों को राशि रूपये .34,06,250/– की विवाह सहायता राशि वितरित की गई।

(05) <u>अंतिम संस्कार के लिए सहायताः–</u>

1 अप्रैल, 2003 से अंतिम संस्कार के लिये मजदूरों की सहायता प्रदान करने हेतु सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाती है। वर्तमान में रू. 3000/– अंतिम संस्कार सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि श्रमिक (पुरूष/स्त्री) के मरणोपरांत श्रमिक की पत्नि/श्रमिक अथवा उसके ज्येष्ठ पुत्र अथवा जो पुत्र अंतिम संस्कार करेंगे उसे दी जावेगी। पुत्र न होने की स्थिति में जो भी अंतिम संस्कार करेगा उसे यह राशि प्रदान की जा सकती है। आवेदक को नियेाजक से यह सत्यापित कराना होगा कि मृत श्रमिक उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत था, इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी । आवेदन मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में 15 हितग्राही को राशि रूपये 45,000/– अंतिम संस्कार हेतु सहायता राशि वितरित की गई।

(06) <u>विधवा (कल्याणी) सहायता राशि योजना</u>–

01 अप्रैल 2003 से श्रमिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। पूर्व में श्रमिकों की विधवाओं को पेंशन के रूप में रूपये 100 प्रतिमाह प्रदान किया जाता था। मंडल की 51 वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त योजनान्र्तत दी जा रही राशि में वृद्वि कर राशि रूपये 6000 प्रतिवर्ष किया गया है। यह पेंशन उन श्रमिकों की विधवाओं को प्रदान की जा सकेगी जो मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाली किसी स्थापना/संस्थान में कम से कम एक वर्ष निरंतर कार्यरत रहे हों। पेशन हेतु आवेदिका

को संस्थान के माध्यम से यह प्रमाणित करना होगा कि मृत श्रमिक विगत 1 वर्ष से निरंतर उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत रहा है। आवेदिका मृत श्रमिक की पत्नी है तथा उसे अन्य किसी जगह से पेशन प्राप्त नहीं हो रही है अथवा प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, तो उसे मण्डल द्वारा पेशन सुविधा प्रदान की जा सकेगी। विधवा पेंशन का लाभ उन्हीं को दिया जायेगा, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल नहीं हैं। आवेदिका का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है । आवेदन मृत्यु दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में निरंक हितग्राहियों को राशि रू. निरंक वितरित की गई ।

(07) <u>प्रदेश के श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान प्रदान किया जाना</u> :–

1 अप्रैल, 2003 से जिन स्थापनाओं एवं संस्थानों में ई.एस.आई. की सुविधा नहीं है वहां चिकित्सा अनुदान योजना लागू है। बड़ी बीमारी हेतु एक बार में अधिकतम रूपये 5000/– (विशेष स्थिति को छोड़कर) चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है । मण्डल की 55 वीं बैठक के विषय क्रमांक 04 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त योजना का लाभ शासकीय चिकित्सालय/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में चिकित्सा करवाने पर मिल सकेगा । आवेदन अंतिम चिकित्सा देयक दिनांक से 1 वर्ष तक किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) की अवधि में कोई भी पात्र श्रमिकों के आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं।

(08) <u>शारीरिक असमर्थता पर सहायता योजना:–</u>

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं एवं संस्थानों में कार्यरत ऐसे श्रमिकों को जो अब शारीरिक रूप से जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं। उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाती है। जहां ई.एस.आई. सेवाओं या अन्य प्रकार की किसी सुविधा का लाभ दिया जा रहा होगा तो यह सहायता प्रदान नहीं की जा सकेगी। आवेदक द्वारा नियोजक से यह सत्यापित कराया जाना होगा कि वह उनके संस्थान/स्थापना में विगत 5 वर्ष से कार्यरत था तथा दुर्घटना में वह हताहत हुआ है तथा उसे विकलांगता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा यदि उसकी विकलांगता इस श्रेणी की है कि वह उस संस्थान में कार्य करने में असमर्थ ठहरा दिया गया है तो इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2003 से लागू की गई है।

(09) <u>बिटिया शिक्षा प्रोत्साहन योजना</u> :–

यह योजना वर्ष 2007 में मंडल द्वारा स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 वीं तक पढ़ने वाली 600 छात्राओं को स्वेटर प्रदान किये जायेंगे।

(10) <u>उत्तम श्रमिक पुरस्कार</u> :–

मंडल द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट श्रमिकों के सम्मान हेतु उत्तम श्रमिक योजना का प्रारंभ वर्ष 1994–95 में किया गया। यह पुरस्कार प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जिन्होंने संस्थान में उत्पादन वृद्धि, कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इन्हें पुरस्कृत करने से जहां इनकी पहचान स्थापित होती है, वहीं सहयोगी श्रमिकों को भी इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्रेरणा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिक को मंडल द्वारा सम्मान पत्र, शील्ड एवं राशि रू. 5000/– का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस योजना में पहले 10 चयनित श्रमकों को पुरस्कृत किया जाता था। मंडल की 52 वी बैठक का विषय क्रमांक 03 में लिये गये निर्णयानुसार 10 से बढाकर 15 चयनित श्रमिकों को पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में 13 हितग्राहियों को राशि रू. 65,000/– वितरित की गई ।

(11) <u>श्रमिक साहित्य पुरस्कार</u> :–

मंडल द्वारा श्रमिकों की साहित्यिक अभिरूचि एवं प्रतिभा को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 से यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, निबंध तथा प्रेरक प्रसंग विधा के अंतर्गत कुल 12 श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक विधा में तीन श्रमिकों को श्रमिक साहित्य रत्न, श्रमिक साहित्य विशारद तथा श्रमिक साहित्य प्रवीण से सम्मानित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिकों को मंडल द्वारा सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह एवं नगद पुरस्कार स्वरूप क्रमशः रूपए 1100/–, 751/–, 501/– प्रदान किये जाते थे। मंडल की 52 वी बैठक के विषय क्रमांक 03 में लिये गये निर्णयानुसार पुरस्कार राशि को बढाकर रूपये 3100 चयनित श्रमिकों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में 11 हितग्राहियों को राशि रू. 34,100/– वितरित की गई ।

<u>मंडल द्वारा उपरोक्त कल्याणकारी गतिविधियों के अलावा संचालित कल्याणकारी गतिविधियांः–</u>

(01) <u>श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्र</u>

मंडल द्वारा प्रदेश में 42 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैंः– इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, पीथमपुर

(धार), मेघनगर, अलीराजपुर, सेंधवा, उज्जैन, नागदा, देवास रतलाम, मन्दसौर, मक्सी (शाजापुर), गोले का मंदिर–ग्वालियर, हजीरा–ग्वालियर गुना, शिवपुरी, बानमौर (मुरैना), मालनपुर (भिण्ड) सागर, बीना, नरसिंहगढ़ (दमोह), खजुराहो, भोपाल, मण्डीदीप, सीहोर, विदिशा, पिपरिया (होशंगाबाद), जबलपुर, बालाघाट, बोरगॉव (छिन्दवाडा) कटनी, मनेरी (मण्डला) गाडरवारा (नरसिंहपुर) अमलाई, बिरसिंहपुर, चचाई, रीवा, सतना, सिंगरौली एवं सीधी।

इन कल्याण केंद्रों में वाचनालय, पुस्तकालय, इंडोर तथा आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की गई है जिनका लाभ श्रमिक एवं उनके परिवारजन नियमित रूप से लेते है। उक्त केन्द्रों पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वो पर विविध आयोजन किये जाते है। समय–समय पर वृक्षारोपण, श्रमिक परिवार की महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण एवं पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। सीहोर, भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर तथा रीवा में मंडल की स्वतः की भूमि पर केंद्र स्थापित हैं, शेष स्थानों पर किराये के भवन में केंद्र संचालित हैं।

उपरोक्त 42 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों में से 32 केन्द्रों में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संचालित किये जाते है, जिनमें श्रमिक परिवारों की महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

इन सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिदिन 20 से 50 महिला हितग्राही प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

(02) मासिक ''श्रम कल्याण'' का प्रकाशन

मंडल द्वारा प्रदेश के श्रमिकों, नियोजकों एवं श्रमिक संगठनों को समय–समय पर मंडल की कल्याणकारी गतिविधियों/योजनाओं की जानकारी एवं अनपेड की सूची प्रकाशित करने के उद्देश्य से मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन वर्ष 1991 से निरंतर किया जा रहा है। श्रम कल्याण मासिक में श्रम कानूनों एवं इनके अंतर्गत मान. न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों को विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है इससे श्रमिकों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता में वृद्धि होती है। उल्लेखनीय है कि मासिक श्रम कल्याण ने प्रदेश के औद्योगिक एवं श्रमिक जगत में विशिष्ट पहचान स्थापित की है । वर्तमान में मासिक ''श्रम कल्याण'' की 4000 प्रतियों का प्रकाशन किया जाता है। मासिक श्रम कल्याण का आजीवन सदस्यता रूपये 2000 है एवं वार्षिक शुल्क श्रमिक एवं श्रमिक संघों हेतु रूपये 100 एवं नियोजकों हेतु रूपये 200 निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विज्ञापन से कुल आय रूपये–14,500/– प्राप्त हुई है।

(03) श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता :–

मंडल द्वारा श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाकर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान तथा टीम खेलों के विजेता एवं उपविजेता को राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु अर्हता दी जाती है। मंडल द्वारा प्रथमतः संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तत्पश्चात् राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एवं 1500 मीटर दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, तवा फेंक, गोला फेंक एवं भाला फेंक प्रतियोगिताएं तथा टीम खेलों में कबड्डी एवं बालीवाल प्रतियोगितायें सम्मिलित की जाती हैं।

इस वर्ष 2017–18 में राज्य श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन माह फरवरी 2018 में किया जा रहा है।

मंडल श्रमिक हित में निरंतर सक्रिय है तथा योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु भी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

कल्याणकारी योजनाओं में लाभांवित हितग्राहियों एवं वितरित राशि की जानकारी

वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)

क्रं	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 (1 अप्रैल 17 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	
		लाभांवित हितग्राही संख्या	प्रदत्त सहायता राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना/ शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	6653	1,17,78,550/–
2	सस्ती दरों पर कापियों का वितरण	निरंक	निरंक
3	विवाह सहायता योजना	545	34,06,250/–
4	चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना	निरंक	निरंक
5	अंतिम संस्कार सहायता योजना	15	45,000/–
6	विधवा सहायता (कल्याणी सहायता)	निरंक	निरंक
	योग –	**7,237**	**92,88,100/–**

अभिदाय/असंदत्त संचित राशि प्राप्ति की जानकारी

वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)

कं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017–18 (1 अप्रैल 17 से 31 दिसम्बर 2017 तक)
1	अभिदाय	रूपये–3ए31ए83ए653त्र00
2	असंदत्त संचित राशि	रूपये–1ए25ए07ए719त्र50

14.2 मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

राज्य के मन्दसौर जिले में लगभग 124 स्लेट पेंसिल कारखाना पंजीकृत हैं , जिनमें सर्वेक्षण अनुसार लगभग 1100 श्रमिक कार्यरत हैं । मन्दसौर जिले में स्थापित स्लेट पेन उद्योग में कार्यरत एवं आश्रित कुटुम्ब के सदस्यों के लिये म. प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1982 की धारा 4 के तहत निधि के प्रशासन के लिये एक निगमित निकाय के रूप में राज्य भाासन द्वारा मण्डल का गठन 3 वर्ष के लिये किया जाता है।

वर्ष 2012–13 से वर्ष 2017–18 माह दिसंबर तक कुल आय–व्यय की जानकारी–

क्रमांक	वर्ष	कुल आय	कुल व्यय
1	2012–13	1,70,35,558.00	98,05,571.00
2	2013–14	1,64,04,744.00	1,42,47,311.00
3	2014–15	1,71,61,104.00	1,39,37,245.00
4	2015–16	1,95,77,390.00	1,45,13,676.00
5	2016–17	1,85,85,328.00	1,43,86,976.00
6	2017–18 दिसंबर तक	1,41,65,685.00	1,12,84,950.00

वर्ष 2016–17 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 38.64 प्रतिशत रहा ।

कल्याणकारी योजनाएँ

मण्डल द्वारा संचालित गतिविधियेां की जानकारी निम्नलिखित है :–

1. सिलिकोसिस उपचार सहायता

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्य के दौरान जिन श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है , ऐसे श्रमिकों को उपचार हेतु 1450/– प्रतिमाह दी जाती है ।

2. मृत्यु सहायता

सिलिकोसिस बीमारी के पश्चात् तथा कार्यरत् श्रमिको की मृत्यु होने पर श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु 2000/– एवं मृत्यु अनुदान के रूप में 13000/– की सहायता प्रदान की जाती है ।

3. विधवा सहायता

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों की मृत्यु पश्चात् उनकी विधवाओं की 1000/– प्रतिमाह एवं निराश्रित बच्चों के भरण – पोषण हेतु 700/– प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है ।

4. परिवार नियोजन

स्लेट पेन्सिल कारखानों में कार्यरत महिला एवं पुरूष श्रमिकों को परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने पर प्रथम संतान पर रूपये 7000/– एवं द्वितीय संतान पर रू. 5000/– परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

5. विवाह अनुदान

दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक विवाह पर 7000/–का अनुदान भुगतान किया जाता है ।

6. छात्रवृत्ति

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत् सिलिकोसिस से पीड़ित/मृत श्रमिकों के बच्चों को अध्ययन हेतु पहली से आठवी तक स्पये 850/–, कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक रूपये 1450/–, स्नातक/स्नातकोत्तर/इंजीनियरिंग को रूपये 2050/– वार्षिक प्रदान किये जाते है ।

7. मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन योजना

स्लेट पेन्सिल श्रमिकों के मेधावी छात्र–छात्राओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है :–

(अ) कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रूपये 1000/–
(ब) कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रूपये 1250/–
(स) कक्षा स्नातक को 1500/–

8. खेलकुद हेतु सामग्री

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत् एवं उनके आश्रित बच्चों को उनकी रूचि अनुसार खेल सामग्री की मांग करने पर निःशुल्क प्रदाय की जाती है।

9. निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

प्रत्येक तीन माह में उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के चिकित्सक दल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा उनको लगने वाली दवाईयाँ निःशुल्क वितरित की जाती है ।

10. निःशक्त भरण पोशण योजना–

स्लेट पेंसिल उद्योग में लगे श्रमिक–श्रमिकाओं एवं उनकी विकलांग संतान को भरण पोशण हेतु 40 से 70 प्रति ात विकलांग होने पर रू. 750/– प्रतिमाह एवं 71 से 100 प्रति ात विकलांग होने पर रू. 1500/– प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। जिससे अभी तक 62 हितग्राही लाभांवित हुए है।

<u>मण्डल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ</u>

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 में मण्डल की आय का कुल बजट रू. 1,87,50,000/– रखा गया था, जिसके विरूद्ध रू. 1,85,85,328/– प्राप्त हुई, इसी प्रकार व्यय का बजट रू. 1,75,01,671/– रखा गया था जिसके विरूद्ध रू. 1,43,86,976/– व्यय किया गया जो बजट का 78.11 प्रतिशत ही व्यय किया गया।
2. वर्श 2016–17 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 38.64 प्रतिशत रहा है।
3. स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं बेहतर रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं ऋण स्वयं सहायता समूह बनाकर दिए जाने संबंधी 3 वर्शीय परियोजना 08/12/2015 से प्रारंभ की गई। जिसमें अभी तक 50 से अधिक स्वयं सहायता समूह बन चुके है एवं 20 समूहों को बैंक के माध्यम से ऋण वितरण भी कराया जा चुका है।

14.3 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18, सहपठित नियम 2002 के नियम 251 के अनुसार म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण के लिये मण्डल का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया था। मण्डल का कार्यकाल 3 वर्ष होता है तथा कार्यकाल पूर्ण होने पर मण्डल का पुर्नगठन आगामी 3 वर्ष हेतु अधिसूचना दिनांक 03 जुलाई 2013 द्वारा किया गया है। मण्डल के अध्यक्ष पद् हेतु मध्यप्रदेश शासन के माननीय श्रम मंत्री जी के स्थान पर अधिसूचना दिनांक 04.01. 2008 द्वारा मण्डल के अध्यक्ष हेतु ''राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति'' संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, श्रमायुक्त, कल्याण आयुक्त, जबलपुर, राज्य शासन के विभागो का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, भवन कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य तथा भवन कर्मकारो के नियोजको का प्रतिनिधत्व करने वाले पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते है। वर्तमान में मण्डल के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे है।

निर्माण कर्मकारो का पंजीयनः–

मण्डल की कल्याणकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम मण्डल द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारी को निर्माण श्रमिक आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत करायें। इस रूप मे पंजीयन की पात्रता उन्ही कर्मकारों को होगी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हों तथा जिन्होने पिछले 12 महिनो में न्यूनतम 90 दिन निर्माण कर्मकार के रूप में कार्य किया हो। पंजीयन कराने हेतु कर्मकारो को रू0 10 (पांच वर्ष हेतु) आवेदन शुल्क तथा पार्सपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रपत्र में मण्डल को आवेदन करना होता है। इस आधार पर पंजीयन अधिकारी आवेदन की जांच कर श्रमिक का पंजीयन करेगा और उसे फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी करेगा।

प्रदेश मे दिसम्बर 2017 तक की स्थिति में 25.97 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को पंजीयन कराया जाकर परिचय पत्र जारी किये गये है तथा दिसम्बर 2017 तक कुल 3 लाख 79 हजार 611 पंजीयन निरस्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में श्रमिक पंजीयन का कार्य मंडल के विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है। दिसम्बर 31 तक कुल 10,13,731 श्रमिकों का पंजीयन ऑनलाईन दर्ज किया गया है।

मण्डल द्वारा हिताधिकारियों को देय प्रसुविधाएं

मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से निम्न कल्याणकारी योजनाएं निर्माण श्रमिकों को प्रसूविधाएं प्रदान करने के लिये राजपत्र में अधिसूचना जारी कर प्रभावशील कर दी गई है :–

क्रमांक	योजना का नाम	अधिसूचना दिनांक
1.	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	03.12.2004
2.	प्रसूति सहायता योजना	13.12.2004
3.	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	13.12.2004
4.	मेधावी छात्र/छात्राओ को नगद पुरूस्कार योजना	13.12.2004
5.	चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	30.09.2005/03.12.2004
6.	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता	30.09.2005
7.	निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना	18.01.2013
8.	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	27.09.2013
9.	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना	27.09.2013
10.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	27.09.2013
11.	सुपर 5000 (कक्षा–10) योजना	16.08.2013
12.	सुपर 5000 (कक्षा–12) योजना	16.08.2013
13.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना	16.08.2013
14.	राज्य लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा की सफलता पर पुरूस्कार योजना	16.08.2013
15.	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	05.12.2014
16.	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	05.12.2014
17.	व्यवसायिक (यू.जी./पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	05.12.2014
18.	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	05.12.2014
19.	पं. दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय(शेड) योजना	07.08.2013
20.	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना	11.08.2014
21.	सायकल अनुदान योजना	13.03.2015

इन योजनाओ में समय–समय पर मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से संशोधन किये गये है, तथा उक्त योजनाओ मे से 4 योजनाएं (क्रमांक–1,2,6 एवं पंजीयन) एवं निर्माण श्रमिक पंजीयन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। जिससे निर्माण श्रमिक को निर्धारित समय सीमा में योजनाओ का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

ऊपर उल्लेखित हितग्राहीमूलक प्रसुविधाएं देने के अलावा, कल्याण मण्डल निर्माण कर्मकारो के संपूर्ण वर्ग के हित में निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियां भी संचालित कर सकेगा।

सर्वेक्षण और अध्ययन, जागरूकता/प्रचार –प्रसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़े कार्यकलाप तथा खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अध्ययन दौरे आदि।

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में मण्डल की विभिन्न योजनाओ के अतंर्गत प्रदाय किये गये हितलाभ

क्रमांक	योजना का नाम	हितलाभ की राशि (करोड़ो में)	निराकृत आवेदन
1	प्रसूति सहायता योजना	185.23	302328
2	विवाह सहायता योजना	165.22	102771
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	270.02	2914760
4	मेधावी छात्र/छात्राओ को नगद पुरूस्कार योजना	62.45	387486
5	चिकित्सा सहायता योजना/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	33.68	11470
6	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	96.86	32437
7	सुपर 5000 (कक्षा–10) योजना	0.35	142
8	सुपर 5000 (कक्षा–12) योजना	0.42	169
9	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	0.05	93
10	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना	0.01	164
11	राज्य लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरूस्कार योजना	1 लाख 86 हजार	29
12	सायकल अनुदान योजना 2014	2.60	7687
13	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना	0.15	144
14	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	0.44	1324
15	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु	0.81	64

	की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना		
16	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना	6.82	6288
17	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014	7 लाख 30 हजार	41
18	व्यवसायिक (यू.जी./पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	0.73	562
19	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	0	0
20	कौशल प्रशिक्षण योजना	3.92	32249

इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों हेतु रैन बसेरा एवं श्रमोदय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है।

क्रमांक	योजना का नाम	हितलाभ की राशि (करोड़ो में)	संख्या
21	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना	2.77	41
22	निर्माण श्रमिक शेड	1.77	128
23	श्रमोदय विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर	131.50	4
योग		830.09	3800383

उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 एवं उपकर नियम, 1998 के अंतर्गत मण्डल को दिसम्बर 2016 तक रूपये 1943.08 करोड़ की राशि उपकर से प्राप्त हुई है।

14.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया, राज्य शासन द्वारा मा. श्री सुल्तान सिंह शेखावत को म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री शेखावत द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मंडल अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया है, परन्तु मंडलों के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण तथा निधि के संग्रहण तथा मंडल हेतु स्टाफ तथा मंडल के संचालन के लिये निधि/बजट की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलित है। मंडल के सचिव उप श्रमायुक्त है।

मंडल द्वारा असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं उनके हित संवर्धन को ध्यान में रखकर निम्नानुसार पॉच योजनाओं प्रस्तावित की गई है–

6. असंगठित श्रमिको की मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना।
7. असंगठित श्रमिको की मृत्यु की दशा में अत्येष्टि सहायता योजना।
8. मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक प्रसुति सहायता योजना।
9. मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना।

म.प्र. शासन द्वारा मंडल को बजट उपलब्ध होने की दशा में उपरोक्त पॉचों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

***

अध्याय–15
महिला श्रमिक

15.1. महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48.21 प्रतिशत था। महिला श्रमिक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक, बीडी व अगरबत्ती निर्माण एवं भवन संबंधी संनिर्माण में अधिकतम रूप से कार्यरत है। निम्न तालिकाओं द्वारा प्रदेश में महिलाओं की संख्या उनमें शिक्षित, ग्रामीण, नगरीय एवं कार्यशील महिलाओं की जानकारीं दर्शाई गई है ।

तालिका 15.1
जनगणना 2011

	पुरूष	महिला	कुल
जनसंख्या	3,76,12,306	3,50,14,503	7,26,26,809
ग्रामीण	2,71,49,388	2,54,08,016	5,25,57,404
नगरीय	1,04,62,918	96,06,487	2,00,69,405

तालिका 15.2
शिक्षित जनसंख्या

	पुरूष	महिला	कुल
शिक्षित	2,51,74,328	1,76,76,841	4,28,51,169
ग्रामीण	1,70,54,982	1,12,27,004	2,82,81,986
नगरीय	81,19,346	64,49,837	1,45,69,183

तालिका 15.3
वृद्धि दर तथा लिंग अनुपात

	ग्रामीण	नगरीय	कुल
दस वर्षीय जनसंख्या (2001–11)वृद्धि दर	-15.25	119.29	20.25
लिंग अनुपात (प्रति, 1000 पुरूषों पर **महिलाएं)**	936	918	931

तालिका 15.4
मुख्य कार्यशील जनसंख्या –2011

कुल ग्रामीण एवं शहरी	व्यक्ति महिला पुरूष	कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक उद्योगो में कार्यरत	अन्य कार्यशील जनसंख्या
कुल	व्यक्ति	3,15,74,133	82,14,993	66,30,821	6,47,565	72,08,740
	पुरूष	2,01,46,970	60,38,749	40,27,711	3,96,320	58,99,285
	महिला	1,14,27,163	21,76,244	26,03,110	2,51,245	13,09,455
ग्रामीण	व्यक्ति	2,47,15,198	78,85,302	63,03,841	3,48,081	21,92,334
	पुरूष	1,47,41,977	57,65,124	38,07,102	1,98,997	17,16,960
	महिला	99,73,221	21,20,178	24,96,739	1,49,084	4,75,374
शहरी	व्यक्ति	68,58,935	3,29,691	3,26,980	2,99,484	50,16,406
	पुरूष	54,04,993	2,73,625	2,20,609	1,97,323	41,82,325
	महिला	14,53,942	56,066	1,06,371	1,02,161	8,34,081

15.2. महिलाओं के लिये विशेष अधिनियम :–

महिला श्रमिकों को सभी श्रम कानूनों में पुरुष श्रमिकों की भांति ही संरक्षण दिया गया है, किंतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुये समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, विशेष रूप से प्रभावशील किये गये हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम और मातृत्व हितलाभ अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :–

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 :–

1. समान कार्य के लिये लिंग भेद के आधार पर महिला कर्मियों को पुरूषों से कम मजदूरी का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात महिलाओं को भी पुरूष श्रमिकों के समान ही समान प्रकृति के कार्य के लिये समान मजदूरी का भुगतान का प्रावधान उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।

2. रोजगार में भर्ती करने के लिये लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नही किया जा सकता है। भर्ती में नियोजकों को पुरूषों के बराबर ही महिलाओं को भी अवसर देना आवश्यक है।

3. महिलाओं को नियोजन में बराबरी के अवसर दिये जाने के साथ ही उनके लिये प्रशिक्षण एवं स्थानांतर के संबंध में भी लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नही किया जा सकता है।

4. महिलाओं के लिये रोजगार में वृद्धि करने के उपाय खोजने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन प्रदेश शासन द्वारा किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर शासन को यह परामर्श दे सकती है, कि किन–किन क्षेत्रों में महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढाये जा सकते है।

मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, एवं संशोधन अधिनयम, 2017 :–

अधिनियम सभी ऐसे संस्थानों में प्रभावशील है जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है। वर्ष में 80 दिवस कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को मातृत्ब हितलाभ की पात्रता आती है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम में हाल ही मे निम्नानुसार संशोधन किये जाकर सुविधाओ में वृद्वि की गई है।

1. प्रसूति अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढाकर 26 सप्ताह किया गया है।
2. 50 से अधिक कर्मचारी नियोजन करने वाले संस्थानों में झूलाघर की सुविधा।
3. दत्तक पुत्र/पुत्री को ग्रहण करने संबंधी सरोगेसी मदर्स को 12 सप्ताह के अवकाश की सुविधा।
4. नियोक्ता की सहमति से घर से कार्य करने की सुविधा।

अन्य प्रावधान

1. किसी महिला श्रमिक को उसे नियोजन में रहते हुये उसके प्रसूतिकाल में उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे सेवा से पृथक नही किया जा सकता।
2. किसी भी महिलाकर्मी को जो गर्भवती है। नियोजक कठिन कार्य जैसे लम्बी अवधि तक खडे रहना, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो,नही करवाया जा सकता है।
3. नियोजक द्वारा महिलाकर्मी को प्रसवपूर्व या पश्चात देखरेख का कोई उपबंध निशुल्क न किया गया हो तो, चिकित्सा बोनस दिया जावेगा।

महिला कर्मी को मातृत्व लाभ देने का दायित्व नियोजक का होता है। यदि वह उक्त हितलाभ नहीं देता है तो नियोजक को दडित किये जाने के प्रावधान है।

15.3. महिला नीति एवं उनके हितों की सुरक्षाः–

प्रदेश की महिला नीति में महिला श्रमिकों के हित संरक्षण का विशेष रूप से उल्लेख है। महिला श्रमिकों से संबधित प्रावधानों के अनुश्रवण के लिये श्रमायुक्त कार्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ स्थापित है। विभिन्न श्रम कानूनों का महिलाओं को समुचित लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व इस प्रकोष्ठ का है। इस प्रकोष्ठ पर होने वाला व्यय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है।

म.प्र. महिला संसाधन केद्र तथा आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रंबधकीय अकादमी द्वारा महिला नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से बिन्दुवार कार्ययोजना सुनिश्चित की है, जिसके अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाना हैः–

(1) महिलाकर्मियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना (2) नीति और कार्ययोजना का कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग मूल्यांकन और प्रचार करना, (3) जेण्डर संवेदनशीलता को सभी कार्यक्रमों से जोड़ना, (5) महिला समूहों को वैध और जरूरी दबाब समूहो के रूप मे मान्यता देना (5) महिलाओं को विकास के केंद्र मे रखने के लिए कार्यक्रमो की पुनर्रचना करना, (6) कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जेण्डर संवेदी बनाना आदि है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर श्रम विभाग के लिये निम्नानुसार विशेष दायित्व सुनिश्चित किये हैः–

(1) महिला कृषि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और समान मजदूरी सुनिश्चित करना।
(2) महिलाओं के लिए समान मजदूरी के बारे में गहन प्रचार प्रसार।
(3) महिला कृषि कामगारों को दुर्घटना मुआवजा और बच्चों की देखभाल की सुविधाओं को देने के लिए कदम उठाए जाऐं।
(4) महिला कर्मियों को मातृत्व लाभ देने के लिए कानून।

इसके परिपालन हेतु श्रम विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैं।

तालिका 15.5
अधिनियमों के प्रर्वतन की स्थिति

अधिनियम	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18 (दिस. 2017 तक)
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	निरीक्षण	154	47	306
	अभियोजन	13	0	28
मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	निरीक्षण	31	07	109
	अभियोजन	01	0	06

श्रम विभाग द्वारा उद्योगों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों के हित में निम्नानुसार विशेष प्रावधान किये गये हैः–

1. राज्य में म.प्र.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं में (अधिसूचना दि. 20 मई 2013) तथा कारखाना अधिनियम 1948 में (अधिसूचना दि. 24 जून 2016) द्वारा नियमों के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा संबंधी समुचित शर्ते व प्रावधान सुनिश्चित करने पर महिलाओं को जिनसे रात 8 बजे से प्राप्त 6 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति दी गई है।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 54 के अनुसार किसी व्यस्क कर्मकार को किसी कारखाने में किसी दिन 9 घण्टे से अधिक काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 66 (1) (क) के अनुसार किसी स्त्री के बारे मे धारा 54 के उपबंधों से कोई छूट नहीं दी जाएगी

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की शिकायतो का निराकरण करने हेतु समिति का गठन श्रमायुक्त कार्यालय मे दिनांक 2. 1.2001 को किया गया है। जिसमे अध्यक्ष, सचिव, तथा एक सदस्य को मनोनीत किया गया है। अभी तक इस समिति के समक्ष कोई भी शिकायत प्राप्त नही हुई है।

15.4. यौन उत्पीडन के लिये विशेष सुरक्षा :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा निर्णय के अनुपालन में मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961, के अंतर्गत 'कदाचरण' को परिभाषित करते हुए कदाचरण करने वाले श्रमिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को विनियमित करने संबंधी

प्रावधान भी हैं। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोक–थाम संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक 19.12.02 द्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963, में संशोधन कर ''यौन उत्पीड़न ''को भी ''गंभीर कदाचरण'' की श्रेणी में शामिल किया है। ''यौन उत्पीड़न'' को 'अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार' (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के रूप में परिभाषित किया गया है, यथा :–

(क) शारीरिक संपर्क तथा निकटता,
(ख) यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध
(ग) कामासक्त फब्तियॉ,

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना, तथा
(ड.) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण।

इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं, निरीक्षकों को नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में संपादित निरीक्षण/अभियोजन की जानकारी **परिशिष्ट–3.7** में दर्शाई गई है।

15.5. अन्य सुविधाएं :–

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत महिला श्रमिको को मातृत्व हित लाभ योजना में प्रसूति की दशा में 3 माह के वेतन के बराबर की राशि नियोजकों द्वारा प्रदान की जावेगी ।

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों में श्रमिक परिवार की महिलाओं व बालिकाओं के लिये सिलाई कढाई प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। अन्य सुविधाओं में महिलाओं को परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना अप्रैल 2002 से प्रारंभ की गई है।

प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.	नसबंदी के समय जीवित संतान	पत्नि नसबंदी पर राशि (रूपये)
1	1 लडकी	1200
2	1 लडका	1000
3	2 लडकियां	500
4	1 लडका व 1 लडकी	400
5	2 लडके	300

अप्रैल 2003 से श्रमिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना भी प्रभावी हैं।

मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मृतक श्रमिक की विधवा को सहायता राशि प्रदान की जावेगी तथा सिलिकोसिस से मृत श्रमिकों की बालिकाओं को भरण पोषण हेतु प्रतिमाह राशि प्रदान की जायेगी। उक्त मंडल द्वारा ही सिलिकोसिस पीडित/मृत श्रमिक की बालिकाओं को शिक्षा अध्ययन हेतु तथा महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जावेगी।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा भी महिला हितग्राहियों तथा हितग्राही परिवार की महिला सदस्यों को प्रसुति सहायता, छात्राओ को नगद पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति तथा विवाह सहायता योजनाओ में लाभ प्रदान किये जाते है।

* * *

भारत के संविधान के भाग 3 (''मूल अधिकार'') और भाग 4 (''राज्य की नीति के निदेशक तत्व'') के ''श्रम'' संबंधी प्रावधान

मूल अधिकार

स्वातंत्र्य–अधिकार

अनुच्छेद 19: वाक्–स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण:

(1) सभी नागरिकों को

(ग) संगम या संघ बनाने का,

अधिकार होगा।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध :

(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध :

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व :

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :

(क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

(घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो,

(ङ) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों,

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार:

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध :

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि :

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन–स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43–क: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना :

राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

***

परिशिष्ट–1.2
(देखें पद 1.3)

महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व

क्र.	श्रम कानून का नाम	कार्यान्वयन का दायित्व		
		पूर्णतः केंद्र सरकार	पूर्णतः राज्य सरकार	दोनों सरकारों का आंशिक
1	2	3	4	5
1.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	.	.	√
2.	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960	.	√	.
3.	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926	.	√	.
4.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	√	.	.
5.	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961	.	√	.
6.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	.	.	√
7.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	.	.	√
8.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	.	.	√
9.	कारखाना अधिनियम, 1948	.	√	.
10.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	.	.	√
11.	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983	.	√	.
12.	मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	.	√	.
13.	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	.	√	.
14.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970	.	.	√
15.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	.	√	.
16.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1996	.	.	√
17.	भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	.	√	–
18.	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979	.	.	√
19.	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976	.	.	√
20.	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	.	.	√
21.	सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981	√	.	.
22.	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	.	.	√
23.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	.	.	√
24.	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976	.	√	.
25.	बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	.	.	√
26.	बाल (श्रम–गिरवीकरण) अधिनियम, 1933	.	√	.
27.	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	.	.	√
28.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	.	.	√
29.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	√	.	.
30.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	.	.	√
31.	बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976	√	.	
32.	लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	√	.	.
33.	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972	√	.	.
34.	मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982	.	√	.
35.	मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982	.	√	.

36.	श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988	.	.	√
37.	मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003	.	√	–

*****

परिशिष्ट–2.1
(देखें पद 2.1)

प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय तथा उनसे सम्बद्ध जिले

संभाग	जिला		जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम
1–इंदौर संभाग	**1**	**इन्दौर**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग**
	2	धार	1–श्रम पदाधिकारी, धार
			2–श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर
	3	झाबुआ	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ
	4	अलीराजपुर	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर
	5	बुरहानपुर	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर
	6	खण्डवा	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा
	7	खरगोन	श्रम पदाधिकारी, खरगोन
	8	बड़वानी	श्रम पदाधिकारी, बड़वानी
2–उज्जैन संभाग	**9**	**उज्जैन**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग**
	10	देवास	श्रम पदाधिकारी, देवास
	11	शाजापुर	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर
	12	आगर–मालवा	श्रम पदाधिकारी, आगर–मालवा
	13	मन्दसौर	श्रम पदाधिकारी, मन्दसौर
	14	नीमच	श्रम पदाधिकारी, नीमच
	15	रतलाम	श्रम पदाधिकारी, रतलाम
3–ग्वालियर संभाग	**16**	**ग्वालियर**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, ग्वालियर संभाग**
	17	शिवपुरी	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी
	18	गुना	श्रम पदाधिकारी, गुना
	19	अशोकनगर	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर
	20	दतिया	श्रम पदाधिकारी, दतिया
4–चंबल संभाग	**21**	**मुरैना**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,चंबल संभाग, मुरैना**
	22	श्योपुरकला	श्रम पदाधिकारी, श्योपुरकला
	23	भिण्ड	1– श्रम पदाधिकारी, भिण्ड
			2– श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर
5–भोपाल संभाग	**24**	**भोपाल**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग**
	25	सीहोर	श्रम पदाधिकारी, सीहोर
	26	रायसेन	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप जिला रायसेन
	27	राजगढ़	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़
	28	विदिशा	श्रम पदाधिकारी, विदिशा
6–नर्मदापुरम संभाग	**29**	**होशंगाबाद**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,नर्मदापुरम संभाग** होशंगाबाद
	30	बैतुल	श्रम पदाधिकारी, बैतुल
	31	हरदा	श्रम पदाधिकारी, हरदा
7–सागर संभाग	**32**	**सागर**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सागर संभाग**
	33	टीकमगढ	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़
	34	दमोह	श्रम पदाधिकारी, दमोह
	35	छतरपुर	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर
	36	पन्ना	श्रम पदाधिकारी, पन्ना

संभाग		जिला	जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम
8–जबलपुर संभाग	**37**	**जबलपुर**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग**
	38	नरसिंहपुर	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर
	39	कटनी	श्रम पदाधिकारी, कटनी
	40	बालाघाट	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट
	41	मंडला	श्रम पदाधिकारी, मंडला
	42	डिंडोरी	श्रम पदाधिकारी, डिण्डोरी
	43	छिंदवाडा	श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा
	44	सिवनी	श्रम पदाधिकारी, सिवनी
9–रीवा संभाग	**45**	**सतना**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,रीवा संभाग, सतना**
	46	रीवा	श्रम पदाधिकारी, रीवा
	47	सीधी	श्रम पदाधिकारी, सीधी
	48	**सिंगरोली**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सिंगरोली**
10–शहडोल संभाग	**49**	**शहडोल**	**सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, शहडोल संभाग**
	50	अनूपपुर	श्रम पदाधिकारी, अनूपपुर
	51	उमरिया	श्रम पदाधिकारी, उमरिया

***

परिशिष्ठ–2.2
(देंखे पद 2.2)

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

क्र.	आंचलिक (जोनल) कार्यालय	क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय		कार्यक्षेत्र में आने वाले जिले/क्षेत्र	
1	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर	1	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर	1	इंदौर
		2	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन	1 2 3 4 5 6	उज्जैन रतलाम झाबुआ नीमच मन्दसोर अलिराजपुर
		3	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, देवास	1 2 3 4 5	देवास सीहोर राजगढ शाजापुर आगर मालवा
		4	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मन्दसौर	1 2	मन्दसौर नीमच
2	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल	5	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल	1 2 3 4 5 6	भोपाल बैतूल रायसेन विदिशा होशंगाबाद हरदा
		6	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जबलपुर	1 2 3 4 5 6 7	जबलपुर मण्डला डिंडोरी बालाघाट छिन्दवाडा सिवनी नरसिंहपुर
		7	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बीना (जिला सागर)	1 2 3 4 5	छत्तरपुर टीकमगढ़ सागर दमोह दतिया
		8	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना	1 2 3	सतना कटनी उमरिया

			4 5 6	पन्ना शहडोल अनुपपूर

		9	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सिंगरौली	1 2 3	रीवा सीधी सिंगरौली
3	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर	10	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर	1	धार
		11	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, खण्डवा	1 2 3 4	खण्डवा खरगोन बडवानी बुरहानपुर
		12	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ग्वालियर	1 2 3 4 5 6 7	ग्वालियर गुना शिवपुरी मुरैना श्योपुर भिण्ड अशोकनगर
4	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, (हायजिन लेब) इंदौर				संपूर्ण मध्यप्रदेश

* * *

परिशिष्ट–2.3

(देखें पद 2.3 एवं 11.3)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सम्भाग एवं जिले–वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं

क्र	संभाग	जिला	केंद्र	कार्यरत संस्थाएं			बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (दि. 31.3.17 की स्थिति में)
				चिकित्सालय	औषधालय	पेनल क्लिनिक	
1.	इन्दौर	1. इन्दौर	इंदौर	इन्दौर में क.रा. बी. निगम, नई दिल्ली, द्वारा एक आदर्श हास्पिटल एवं व्यवसाय–जन्य रोग केंद्र– संचालित है, (200 शैया) । क्षय चिकित्सालय (75 शैया) मिल क्षेत्र औषधालय (06 शैया पी0पी0युनिट)	1. नेहरूनगर 2. परदेशीपुरा (कम्यूनिटी हॉल) 3. मिल एरिया 4. औद्योगिक संस्थान 5. आनंद नगर. (चितावद रोड) 6. राजमोहल्ला 7. मांगलिया	1.गोकुल गंज, महूँ	2,41,418
		2. बुरहानपुर	बुरहान–पुर	–	1. लाल बाग		7,721
		3. धार	पीथमपुर (सेक्टर 1, 2)		1. पीथमपुर (सेक्टर 1,2)		77,325
			पीथमपुर (सेक्टर 3, 4)		1. पीथमपुर (सेक्टर 3,4)		49,889

2.	उज्जैन	4. उज्जैन	उज्जैन	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. देसाई नगर 2. फव्वारा चौक – (चिकित्सालय परिसर)		13,227
			नागदा	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. बिड़लाग्राम 2. मंडी		6,396
		5. देवास	देवास	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. कालानी बाग 2. प्राधिकरण भवन 3. बालगढ		33,057
		6 मंदसौर	मंदसौर	एनेक्सी वार्ड (25 शैया)	1. नई आबादी		10,254
		7. रतलाम	रतलाम	–	1. पोलोग्राउंड 2. जवाहर नगर		25,300
		8. नीमच		–	–	11, डॉ. भाभा मार्ग, फव्हारा चौक, नीमच	–
3.	ग्वालियर	9.ग्वालियर	ग्वालियर	सामान्य चिकित्सालय (100 शैया)	1. बिड़ला नगर नं.1 2. बिड़ला नगर नं.2 3. फालके बाजार 4 जवाहर कॉलोनी 5. मुरार 6. गोला का मंदिर		60,077
4	चम्बल	10. मुरैना	बामोर	–	1. गायत्री नगर,		5,360
		11. भिंड	मालनपुर	–	1. मालनपुर		———

5	भोपाल	12. भोपाल	भोपाल	सामान्य चिकित्सालय (100 शैया)	1. न्यू सुभाष नगर 2. इतवारा 3. बी.एच.ई.एल.		1,47,173
		13. रायसेन	मंडीदीप	—	1. इंदिरा नगर 2. सतलापुर		41,449
6.	होशंगाबाद	14.होशंगाबाद		—	—	आशा निकेतन क्लिनिक,सराफा बाजार, इटारसी	—
7.	जबलपुर	15. जबलपुर	जबलपुर	—	1. घमापुर 2. राइट टाउन 3. हाथीताल 4. अधारताल		47,482
		16. कटनी	कटनी		1. गायत्री नगर,		—
			निवार	—	1. निवार		—
8	रीवा	17. अनुपपुर	अमलाई	—	1. अमलाई		4,758
		18. सतना	सतना	—	1. सतना सिमेंट वर्क्स के पास		18,197
		19. रीवा	—	—	—	—	—
9	सागर	20. सागर	सागर	—	1. सागर		—
योग	9	20	20	7 (456 शैया) (5 सामान्य चिकित्सालय 1 क्षय चिकित्सालय 1 एनेक्सी वार्ड)	42 औषधालय,	3 पेनल क्लिनिक	7,92,130

नोटः— कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनॉक 31.3.2017 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या 7,92,130 दी गई है। (इसमें खण्डवा केन्द्र के बीमितों की संख्या 3,048 सम्मिलित है)

* * *

परिशिष्ट–2.4
(देखे पद 2.4)

श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले

क्र.	संभाग	श्रम न्यायालय	श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले
1.	इन्दौर	1. इन्दौर	इन्दौर
		2. धार	धार
		3. खंडवा	1. खंडवा, 2. खरगोन, 3. बड़वानी, 4. बुरहानपुर
2.	उज्जैन	1. उज्जैन	1. उज्जैन, 2. शाजापुर, 3 आगर
		2. देवास	देवास
		3. रतलाम	1. रतलाम, 2. झाबुआ 3. अलीराजपुर
		4. मन्दसौर	1. मन्दसौर, 2. नीमच
3.	भोपाल	1. क्र. 1, भोपाल	1. भोपाल, 2. रायसेन
		2. क्र. 2, भोपाल	1. सीहोर, 2. विदिशा, 3. राजगढ़,
		3. बैतुल	बैतूल
4.	सागर	1. सागर	1. सागर, 2. पन्ना, 3. टीकमगढ़ 4. दमोह 5. छतरपुर
5.	जबलपुर	1. जबलपुर	1. जबलपुर, 2. मंडला, 3. सिवनी, 4. कटनी, 5. डिंडोरी
		2. नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
		3. छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
		4. बालाघाट	बालाघाट
6.	रीवा	1. रीवा	रीवा
		2. शहडोल	1. शहडोल, 2. उमरिया 3. अनुपपुर
		3. सीधी	1. सीधी 2. सिंगरौली
		4. सतना	सतना
7.	ग्वालियर	1. क्र. 1, ग्वालियर	1. ग्वालियर,
		2. क्र. 2, ग्वालियर	1. मुरैना, 2 भिण्ड 3. दतिया, 4 शिवपुरी, 5. श्योपुर
		3. क्र. 3, ग्वालियर	1. गुना 2. अशोक नगर
8.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. होशंगाबाद, 2. हरदा
9.	चंबल	–	–

नोट – श्रम न्यायालय दमोह एवं छतरपुर अस्तित्व में नही है ।

* * *

परिशिष्ट–2.5
(देखे पद 2.8)

गत तीन वर्षो के बजट प्रावधान एवं व्यय
श्रमायुक्त संगठन

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	अयोजनेत्तर		आयोजना	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	2014–15	3491.82	2824.39	26.25	26.21
2	2015–16	3621.71	2848.38	30.25	23.57
3	2016–17	3606.73	2460.38	21.24	3.57
4	2017–18 दिसंबर 2017 तक व्यय	4076.33	2546.15	336.12	71.11

गत तीन वर्षो के बजट प्रावधान एवं व्यय
श्रम न्यायपालिका

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	अयोजनेत्तर		आयोजना	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	2014–15	1124	1086	–	–
2	2015–16	870	778	–	–
3	2016–17	1391	1067	–	–
4	2017–18 दिसम्बर	1678	958	–	–

गत तीन वर्षो के बजट प्रावधान एवं व्यय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	*वर्ष*	*आयोजनेत्तर*	
		बजट प्रावधान	व्यय
1	2015–2016	12977.165	10873.22
2	2016–2017	11979.98	10498.70
3	2017–2018 (31 दिसम्बर 2017 तक)	12481.626	10066.33

* * *

परिशिष्ट–3.1

(देखें पद 3.1)

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग

1.	वस्त्र उद्योग जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 23 में विनिर्दिष्ट है **–विलोपित–**
2.	लौह एवं इस्पात **–विलोपित–**
3.	विद्युत वस्तुएं **–विलोपित–**
4.	शक्कर एवं उसके उप–उत्पादन, जिनके अंतर्गत (एक) उन प्रक्षेत्रों (फार्मों) जहां पर गन्ना उगाया जाता है, जो शक्कर बनाने में लगे हुए समुत्थान के स्वामित्व के हों या उससे संलग्न हों, और (दो) गन्ना उगाने या उक्त विनिर्माण से संसक्त समस्त कृषिक एवं औद्योगिक संक्रियाएं आती हैं **–विलोपित–**
5.	चावल मिल
6.	तेल मिल
7.	सीमेन्ट **–विलोपित–**
8.	पाटरीज **–विलोपित–**
9.	चूना उद्योग
10.	विद्युत उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण **–विलोपित–**
11.	मुद्रणालय
12.	कागज तथा पुट्ठा
13.	एसबेस्टास सीमेंट
14.	चपड़ा (शेलेक)
15.	लोक मोटर परिवहन **–विलोपित–**
16.	राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाये जा रहे इंजीनियरिंग उद्योग को अपवर्जित करते हुए इंजीनियरिंग, जिसमें मोटर यान सम्मिलित है **–विलोपित–**
17.	आटा मिल
18.	बिस्किट तथा कन्फेक्शनरी
19.	कांच
20.	स्टार्च
21.	वनस्पति घी
22.	श्रबर
23.	कत्था उद्योग
24.	रसायन एवं रसायन उत्पाद उद्योग **–विलोपित–**
25.	अधातु खनिज उत्पाद उद्योग
26.	एल्युमिनियम उद्योग
27.	जिलेटिन उद्योग (सरेस)
28.	चमड़ा व चर्म शोधन, जिसमें चमड़े से बनी वस्तुएं सम्मिलित हैं **–विलोपित–**
29.	उर्वरक, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची के कंडिका 18 में विनिर्दिष्ट है
30.	औषधि तथा भेषज, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में विनिर्दिष्ट है
31.	किण्वन उद्योग, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 26 में विनिर्दिष्ट है
32.	डेयरी उत्पादों का निर्माण एवं उनका वितरण

परिशिष्ट–3.2
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, के अंतर्गत
प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई

क्र.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष विवादों की संख्या	विवाद जो समझौते के लिये पेश हुए	विवाद जिनमें समझौता हो गया या अन्य तरीके से निपटाये गये	पंच निर्णय हेतु प्राप्त	विवाद जो पंच फैसले/न्याय निर्णय के लिये भेजे गये	पंच निर्णय दिया गया	वर्ष के अंत में शेष विवादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2006–07	259	820	22	–	843 12 धारा 12(5)	–	208
2.	2007–08	208	862	22	–	855 09 धारा 12 (5)	–	184
3.	2008–09	184	1066	39	–	1032 06–धारा 12 (5)	–	173
4.	2009–10	173	1183	77	–	989 07––धारा 12 (5)	–	283
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	283	1113	36	–	1117 39––धारा 12 (5)	–	204
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	204	915	79	–	848 21 धारा 12 (5)	–	171
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	171	865	26	–	757 61–धारा 12 (5)	–	192
8	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	192	663	44	–	675– 33––धारा 12 (5)	–	103
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	103	828	38	–	687– 09––धारा 12 (5)	–	197
10	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	163	892	39	–	860–07 –धारा 12 (5)	–	183
11	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	183	993	99	–	973–25–धारा 12 (5)	–	79
12	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	79	927	57	–	859–63–धारा 12 (5)	–	27

परिशिष्ट–3.3
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 34 के अन्तर्गत स्वीकृत अभियोजन

क्र.	अवधि	अभि.स्वी. हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	दी गई अभियोजन स्वीकृति की संख्या
1.	2006–07	136	07
2.	2007–08	154	644
3.	2008 –09	130	37
4.	2009–10	112	01
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	173	52
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	191	26
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	136	45
8.	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	179	82
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	258	105
10.	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	175	114
11	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	153	45
12	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	151	28

नोट– अप्रैल 14 से मार्च 15 तक 62 प्रकरणों में अवार्ड का परिपालन करवाया गया।
अप्रैल 15 से मार्च 16 तक 64 प्रकरणों में अवार्ड का परिपालन करवाया गया।
अप्रैल 16 से मार्च 17 तक 47 प्रकरणों में अवार्ड का परिपालन करवाया गया।
अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक 107 प्रकरणों में अवार्ड का परिपालन करवाया गया।

परिशिष्ट–3.4
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 33–सी (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किये वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि

क्र.	अवधि	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	वसूली योग्य रकम(रूपये में)
1.	2006–07	84	47	8,12,99,364.00
3.	2007–08	85	60	7,67,10,944.00
3.	2008–2009	104	49	9,31,22,200.00
4.	2009–10	75	80	6,63,22,367.00
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	118	90	4,95,31,094.00
6	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	96	56	5.44,36,709.00
7	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	96	79	9,42,91,613.00
8.	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	71	27	14,96,56,962..00
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	45	59	8,71,03,887.00
10	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	53	20	4,03,23,902.00
11	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	46	41	1,65,45042.62
12.	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	22	15	26,44,252

<u>परिशिष्ट–3.5</u>
(देखें पद 3.2)

<u>औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 25–एम, 25–एन तथा 25–ओ के अंतर्गत कमशः ले–ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई</u>

आवेदन का प्रकार	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अनुमति प्रदान की गई	प्रकरणों की संख्या जिन्हें निरस्त किया गया	वर्ष के अंत में शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1. ले–ऑफ हेतु (धारा–25–एम)						
	2006–07	–	–	–	–	–
	2007–08	–	–	–	–	–
	2008–09	–	7	1 –	2 3(वापस) 1 समझौता	–
	2009–10	–	1	–	1	–
	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक					–
	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	–	–	–	–	–
	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	–	–	–	–	
	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	–	1	–	–	1
						–
	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	1	1	1	1 संदर्भ किया गया	–
		–	1	1	–	–
	अप्रैल 15 मार्च 16					
		–	4	1 अभियोजन अनुमति 3 अमान्य	3 अमान्य	–
	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक					
	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	–	1	–	1 (वापस) किया गया	–
		–	2	1	1(वापस) किया गया	–
2. छंटनी हेतु (धारा–25–एन)	2006–07	–	–	–	–	–
	2007–08	–	–	–	–	–
	2008.09	–	–	–	–	–

	2009–10	—	1	—	1 (आपसी सहमति)	—
	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	—	1	1	—	—
	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	—	1	—	1	—
	अप्रैल 15 से मार्च 16	—	—	—	—	—
	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	—	—	—	—	—
3. बंदीकरण हेतु (धारा–25–ओ)						
	2006 से 2007 तक	—	—	—	—	—
	2007–08	—	2	1	1	—
	2008 – 09 तक	—	—	—	—	—
	2009–10	—	—	—	—	—
	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	—	1	1	—	—
	अप्रैल 13 से दिसंबर 13 तक	—	1	—	1 संदर्भ किया गया	—
	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 14 से मार्च 15तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	—	4	1	1 सहमति 1 निरस्त	1
	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	—	—	—	—	—

परिशिष्ट–3.6

(देखें पद 3.2)

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई

क्र.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष विवादों की संख्या	विवाद जो समझौते के लिये पेश हुए	विवाद जिनमें समझौता हो गया या अन्य तरीके से निपटाये गये	पंच निर्णय हेतु प्राप्त	विवाद जो पंच फैसले / न्याय नि.िय के लिये भेजे गये	पंच निर्णय दिया गया	वर्ष के अंत में शेष विवादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2006 – 07	25	13	25	—	03	—	10
2.	2007 – 08	10	11	09	—	01	—	11
3.	2008 – 09	11	—	—	—	01	—	10
4.	2009–10	11	05	03	—	02	—	11
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	12	01	09	—	—	—	04
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	04	04	03	—	01	—	04

7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	04	03	02	—	—	—	05
8	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	05	01	02	—	02	—	02
9	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	02	05	—	—	01	—	06
10	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	06	04	06	—	03	—	01
11	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	01	01	01	—	—	—	—
12	अप्रैल 17 से दिसंबर 17	—	05	04	—	—	—	01

परिशिष्ट–3.7
(देखें पद 3.3)

म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञाएं) अधिनियम, 1961, के अंतर्गत संपादित निरीक्षण / अभियोजन

क्र.	अवधि	वर्ष में संपादित निरीक्षणों की संख्या	वर्ष में दायर किये गये अभियोजन की संख्या
1	2006 –2007	310	54
2.	2007 –08	318	71
3	2008 –2009	298	66
4.	2009–10	215	45
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	40	10
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	69	18
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	55	—
8.	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	36	—
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	02	—
10	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	—	—
11	अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	—	—
12	अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	—	—

परिशिष्ट–3.8
(देखें पद 3.3)

औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष आवेदन पत्रों की संख्या
2006 –07	04	01	04	01
2007 – 08	01	12	10	03
2008 –09	03	01	01	03
2009–10	03	07	03	07
अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	07	06	12	01
अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	01	05	04	02
अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	02	05	04	03

अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	03	23	15	11
अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	02	20	12	08
अप्रैल 16 से मार्च 17 तक	08	06	13	01
अप्रैल 17 से दिसंबर 17 तक	01	08	05	04

परिशिष्ट–3.9

व्यावसायिक संघ अधिनियम,1926 के अन्तर्गत श्रम संगठनों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन,उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाईः–

वर्ष	पूर्व के लम्बित	पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	पंजीकृत श्रम संगठन	अमान्य किये गये आवेदन पत्र	शेष	त्रुटिकर्ता श्रम संगठन जिनका पंजीयन निरस्त किया गया
2016–2017	42	71	48	20	45	26
2017–2018 (31 दिसम्बर,2017 तक)	45	39	38	21	25	05

टीपः–शेष आवेदन पत्र सत्यापन हेतु विभिन्न जिला श्रम कार्यालयों को भेजे गये हैं ।

मान्य किए गए वार्षिक विवरण/निर्वाचन/विधान संशोधन की स्थिति

2016–2017					2017–2018 (31 दिसम्बर,2017तक)				
श्रम संघो की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघो की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन	श्रम संघो की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघो की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन
165	491	100	201	23	149	447	89	139	25

परिशिष्ट–3.10

मध्यप्रदेश औद्यागिक संबंध अधिनियम,1960 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव/समझौते

वर्ष	पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव	पंजीकृत ठहराव	पंजीयन हेतु प्राप्त समझौते	पंजीकृत समझौते
2016–2017	01	01	02	02

2017–2018 (31दिसम्बर,2017तक)	01	01	01	01

***

परिशिष्ट–4.1
(देखें पद 4.2.6)

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों की संभाग एवं जिले–वार जानकारी (01.01. 2018 तक)

संभाग	जिला	पंजीकृत कारखानों की संख्या	नियोजन क्षमता
1. इन्दौर	01. इन्दौर	3154	137853
	02. धार	1051	104506
	03. झाबुआ	130	5493
	04. खंडवा	320	19776
	05. बुरहानपुर	186	14223
	06. खरगोन	412	28928
	07. बडवानी	319	17923
	08 अलीराजपुर	24	486
2. उज्जैन	09. उज्जैन	661	39868
	10. देवास	537	68415
	11. आगर	22	476
	12. शाजापुर	244	4873
	13. रतलाम	328	21569
	14. मन्दसौर,	466	14948
	15. नीमच	197	6631
3. ग्वालियर	16. ग्वालियर	853	38290
	17. दतिया	61	1619
	18. गुना	90	9254
	19. अशोकनगर	12	928
	20. शिवपुरी,	58	1927
4. चम्बल	21 श्योपुर	23	228
	22. मुरैना	268	16327
	23. भिंड	363	24701
5. भोपाल	24. भोपाल	737	51476
	25. सीहोर	92	14109
	26. रायसेन	406	39093
	27. राजगढ़	147	9608
	28. विदिशा	111	2810
	29. बैतूल	117	7922
6. होशंगाबाद	30. होशंगाबाद	216	9776
	31. हरदा	149	4058
7. सागर	32. सागर	348	12607
	33. टीकमगढ़	40	1490
	34. दमोह	72	3411
	35. छत्तरपुर	87	1203
	36. पन्ना	32	1716
8. जबलपुर	37. जबलपुर,	1145	34454
	38. नरसिहपुर	162	5806
	39. कटनी	353	12170
	40. बालाघाट	329	9726
	41. सिवनी	115	3414
	42. मंडला.	123	4989
	43. डिंडोरीं	8	120
	44. छिन्दवाड़ा	393	22013
9. रीवा	45. सतना	479	25143
	46. रीवा	175	8490
	47. सीधी	39	1540
	48. शहडोल,	150	5242
	49. अनुपपुर	12	918
	50. उमरिया	7	2060
	51. सिंगरोली	58	10569
	योग –	15881	885175

परिशिष्ट–4.2

(देखें पद 4.2.6)

कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी

वर्ष	दुर्घटनाओं से प्रभावित कर्मियों की संख्या			
	मृत कर्मी	गंभीर रूप से प्रभावित कर्मी (पूर्ण/आंशिक स्थायी विकलांगता)	साधारण रूप से प्रभावित कर्मी (48 घंटे से अधिक की परंतु अस्थायी अक्षमता)	अग्नि दुर्घटनाएं
1	2	3	4	5
2010–11	68	28	857	10
2011–12	59	31	1392	11
2012–13	49	26	648	11
2013–14	43	18	405	09
2014–15	56	17	233	13
2015–16	38	20	360	09
2016–17	37	15	503	12
2017–18 (31 दिसंबर 17 तक)	25	03	248	10

परिशिष्ट–4.3
(देखें पद 4.4.3)

मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिलेवार सूची

संभाग	जिला	स्थान	स्थापना का नाम	उपयोग में लाये जाने वाले खतरनाक रसायन	खतरनाक रसायन की मात्रा (मे.टन में)		आनॅ साइट आपात योजना को अंतिम रूप दिये जाने की तिथि	रिमार्क
					निर्धारित सीमान्त मात्रा	स्थापना में भंडारण की क्षमता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंदौर	इंदौर	मांगलिया	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो.लि. एल.पी.जी. बाटलिंग पलांट	एल.पी.जी.	15.000	1200.000	07/08/97	
			2. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपो,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	1400.000	15/12/97	
			3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपों,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	2220.000	25/07/98	
			4. इंडियन आईल कार्पो. लि. पोल डिपो,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	3051.000	23/02/98	
			5. भारत पेट्रोलियम कार्पो.. लि. मांगलिया, इंस्टालेशन	पेट्रोल (गैसोलीन) एच.एस.डी. एस.के.ओ.	1000.000	26880.000 54560.000 12900.000	27/05/03	
		महू	6. बालाजी वेफर्स	प्रोपेन	15.000	60.000	–	नवीन पहचान किया गया कारखाना
		असरावद	7. डायमण्ड किस्टल (प्रा.) लि.	एल.पी.जी.	15.000	20.000	22/01/14	
		कबीट खेडी	8. 245, एम.एल.डी. सिवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (आय.एम.सी)	क्लोरीन	10.000	21.600	30/03/17	
	झाबुआ	मेघ नगर	9. काम्फीडेन्ट पेट्रोकेम इ. लि.	एल.पी.जी.	15.000	60.000		नवीन पहचान किया गया कारखाना
	खण्डवा	डोंगलिया	10. श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन	क्लोरिन	10-000	79.000	14/09/13	
	धार	पीथमपुर औद्यो.क्षेत्र	11. स्वस्तिक प्लास्टि सायजर्स एण्ड पी.व्ही.सी. पाईप्स प्रा. लि.	क्लोरीन	10.000	25.000	26/09/96	
			12. आर्या फिलामेन्टस्	एल.पी.जी.	15.000	40.000	19/07/12	
			13. एवटेक लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	05/01/98	
			14. भारत पेट्रोलियम कार्पो. बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	450.000	08/10/99	
			15 गगन गेसेस लि. यूनिट नं.2	एल.पी.जी.	15.000	90.000	03/09/97	
			16 ग्रीन कास एग्रो केमिकल प्रा. लि.	मिथाईल पैराथिन	00.100	00.250	31/03/99	
			17. देव एग्रो (इण्डिया) केमिकल फर्टिलाईजर्स लि.	फोरेट	00.100	00.800	05/05/16	
			18. हिंदुस्तान मोटर्स लि. (पी.टी.पी, प्लांट)	प्रोपेन	15.000	57.900	08/02/99	वर्तमान में बन्द है।
			19. केमफ्युजन केमिकल्स प्रा.लि.	क्लोरीन	10.000	17.000	-	नवीन पहचान किया गया कारखाना
			20. टाटा स्टील लि.	एल.पी. जी.	15.000	16.459	14/01/16	
		तिरला	21. इंदौर गैसेस	एल.पी.जी.	15.000	50.000	16/07/12	
		खुरेल	22. श्री क्लोरेटस यूनिट ऑफ झेनिथ इलेक्ट्रेकेम प्रा.लि.	सोडियम क्लोरेट	25.000	100.000	03/09/96	
उज्जैन	उज्जैन	नागदा	23. आरसिल केटेलिस्ट प्रा.लि.,	क्लोरीन	10.000	21.000	08/02/96	
			24. ग्रेसिम इंड. लि.(केमीकल डिवी)यूनिट नंबर 1	क्लोरीन	10.000	440.000	23/01/98	
			25. ग्रेसिम इंड. लि.(केमिकल डिवी) यूनिट नं. 2	क्लोरीन	10.000	380.000	19/01/98	
			26, ग्रेसिम इंड. लि.(स्टेपल	कार्बन–	20.000	1057.000	14/05/98	

			फाईबर)	डाईसल्फाईड				
			27. लानसेस इंडिया इण्ड. प्रा. लि.	क्लोरीन, सल्फर ट्राय आक्साईड	10.000 25.000	39.600 30.000	02/03/96	
		ज्लालखेडी	28. कान्फीडेन्स सिलेण्डर एण्ड प्रेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	08/05/12	वर्तमान में बन्द है।
		घटिया	29. इंडियन ऑयल कार्पो लि. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	1850.000	28/07/00	
	देवास	इंड. एरिया	30. गजरा डिफरेन्शियल गियर्स प्रा.लि.	एल.पी.जी./प्रोपेन	15.000/ 15.000	20.000 20.000	27/04/06	
	रतलाम	बांगरोड	31, इण्डियन आइल कार्पो.. लि., रतलाम टर्मिनल	पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य	1000.000	22443, 34965, 15540	04/02/10	
	शाजापुर	लोढिया	32. सिद्वार्थ ट्यूब लि. (सी.आर. एम.डिवी)	प्रोपेन	15.000	120.000	24/07/00	
भोपाल	भोपाल	पिपलानी	33. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.	एल.पी.जी.	15.000	168.000	18/09/97	
		बैरागढ	34. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. एल.पी.जी बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	8200.000	24/03/98	
		हुजुर	35. रिलायन्स इण्ड. लि., भोपाल टर्मिनल	पेट्रोल एच.एस.डी.	1000.000	4150.000 5410.000	11/10/04	
		निशातपुरा	36. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1736.000	26/09/01	
		बकानिया	37. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो	पेट्रोल	1000.000	1230.000	09/11/10	
			38. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	200.000	25/03/13	
	सीहोर	बुधनी	39. वर्ध्दमान फेबरिक्स	प्रोपेन	15.000	100.000	06/11/07	
			40. ट्रायडेन्ट लि.	एल.पी.जी.	15.000	25.000	30/05/16	
		डोडी	41. हेमकुन्ट पेट्रोलियम लि.	एल.पी.जी.	15-000	50.000	27/10/99	
	रायसेन	दिवानगंज	42. जी.के.केमिकल एण्ड फर्टीलायजर्स लि.	फोरेट/ कार्बोफोरेन	00.100 00.100	27.600 30.000	02/05/95	
		मण्डीदीप	43. एच.ई.जी. लि. (ग्रेफाईट डिवी)	एल.एन.जी.	15.000	40.000	06/03/13	
			44. इन्स्युलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी यूनिट नं. 2 .	प्रोपेन	15.000	60.000	05/04/08	
	राजगढ़	पैलूखेडी	45, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग पलांट	एल.पी.जी.	15.000		22/11/13	
	विदिशा	इंड.इस्टेट	46, सोरभ एग्रो इण्ड. लि.	फोरेट	00.100	00.250	30/03/98	
			47. मेड केमिकल्स	मिथाईल पेराथियान/ फोरेट	00.100 00.100	00.450 00.960	17/05/05	
			48. एग्रो एडस पेस्टीसाईडस,	मिथाईल पेराथियान/ फोरेट	00.100 00.100	00.200 00.200	23/02/98	
			49. पेस्ट केम एंड अलाईड इण्ड.	मिथाईल पेराथियान	00.100	00.200	30/03/98	
			50. शाईन मेटल इंड.	मिथाईल पेराथियान/ फोरेट	00.100 00.100	00.200 00.200	30/03/98	
			51. यूनिकल पेस्टीसाईडस प्रा.लि.	मिथाईल पेराथियान/ फोरेट	00.100 00.100	00.950 00.950	11/10/01	
			52. हाईटेक पेस्टीसाईड्स	फोरेट	00-100	00-200	16/06/14	
नर्मदापूरम	होशंगाबाद	इटारसीं	53. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1947.000	14/09/98	
जबलपुर	जबलपुर	भिटौनी	54. भारत पैट्रोलियम कार्पो.लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	2900.000	09/10/97	
			55. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1177.000	24/03/98	
			56. भारत पेट्रोलियम कार्पो.लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1872.000	03/09/07	
			57. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	2220.000	10/03/98	
			58. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	100.000	03/03/07	
		रिचाई	59. बालाजी एडीबल आईल प्रा. लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	03/05/08	
		खमरिया	60. आर्डिनन्स फेक्टी,	ट्राईनाईट्रो टालविन	50.000	50.000	30/03/98	
	नरसिंहपुर	गाडरवारा	61. एन.टी.पी.सी. लि0	क्लोरीन	10.000	52.000	-	नवीन पहचान किया गया कारखाना
	छिंदवाडा	सौसर	62. भंसाली इंजिनियरिंग	एकी–	20.000	125.000	28/10/92	

			पॉलिमर्स लि.	लोनाईद्वाईल				
		खुनागर	63. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	60.000	.	वर्तमान में बन्द है।
		मोहखेड	64. जुगनु फुडस प्रा. लि. बदावोह	प्रोपेन	15.000	40.220	24/03/17	
		पांडुरना	65, ड्रायटेक प्रोसेसर (इं) प्रा.लि.	प्रोपेन	15.000	40.000	26/12/11	
	मंडला	मनेरी	66. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	450.000	30/10/00	
ग्वालियर	ग्वालियर	सिथौली	67. रेल स्प्रींग कारखाना, सेंट्रल रेल्वे,	एल.पी.जी.	15.000	140.000	31/05/99	
		रायरू	68. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	1058.000	24/03/98	
	शिवपूरी	आमखेडा	69. गैस पाईन्ट पेट्रोलियम इंडिया लि.	एल.पी.जी.	15.000	50.000	07/08/12	वर्तमान में बन्द है।
	गुना	विजयपुर	70. गेल(इंडिया) लि. एल.पी.जी. रिकवरी प्लांट	एल.पी.जी. / प्रोपेन	15.000	8000.000 2700.000	08/09/97	
			71. नेशनल फर्टिलाईजर्स लि.	अमोनिया / क्लोरीन	60.000 10.000	15000.000 20.000	27/01/98	
		डोंगर	72. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	900.000	13/03/02	
चंबल	भिंड	मालनपुर औद्यो. क्षेत्र	73. सुर्या रोशनी लि.	प्रोपेन / एल.पी.जी.	15.000	194.000	19/03/97	
			74. आर. एस. सिलिकेट एण्ड केमिकल	क्लोरीन	10.000	20.000	–	नवीन पहचान किया गया कारखाना
	मुरैना	बामौर	75. प्राची गैस बाटलिंग प्लाट	एल.पी.जी.	15.000	50.000	-	वर्तमान में बन्द है।
रीवा	शहडोल	अमलाई	76. ओरियेंट पेपर मिल,	क्लोरीन	10.000	169.00	13/08/96	
	सिंगरौली	विन्ध्यनगर	77. विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	क्लोरीन	10.000	25.000	21/10/97	
		जयन्त	78. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	एच.एस.डी.	5000.000	11000.000	23/02/98	
		जयन्त	79. इंडियन आईल कार्पो.लि. (आईबीपी डिवी)	अमोनियम नाईट्रेट	350.000	955.000	12/03/14	
		वैधान	80. सासन पावर लि.	क्लोरिन	10.000	49,500.000	18/03/13	
		वरगवान	81. हिण्डाल्को इण्ड. लि.	प्रेपेन क्लोरीन	15.000 10.000	22.000 72.000	28/01/13	
		वैधान	82. साईट मिक्ड इमरशन एक्सप्लोशिव प्लांट	टमोनियम नाईटेट	350.000	925.000	-	नवीन पहचान किया गया कारखाना
		निगरी	83. जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	क्लोरिन	10.000	80.000	01/10/14	
सागर	पन्ना	पुरैना	84. शिवा एक्सीम इन्टर प्राईजेस	क्लोरीन	10.000	32.000	03/11/07	
	सागर	बीना	85. भारत ओमान रिफायनरी लि.	एल.पी.जी, पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य	15.000 1000.000	8400, 28334, 9540, 35805	05/40/10	

परिशिष्ट–4.4
(देखें पद 4.4.4)

ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास

क.	जिला	पूर्वाभ्यास का दिनांक
1	भोपाल	17/12/07, 25/11/08, 16/04/09, 22/10/09, 10/12/14, 20/12/17
2	रायसेन	24/05/07, 23/12/08, 21/12/09, 03/12/11, 29/01/14, 21/07/17
3	विदिशा	02/01/08, 03/12/11, 12/02/14
4	ग्वालियर	08/02/07, 25/03/08, 21/07/08, 28/01/09, 06/07/09, 19/02/10, 02/02/11, 03/12/11, 16/08/12, 24/09/14, 04/09/15, 24/07/17
5	भिण्ड	20/04/07, 31/01/08, 28/06/08, 31/01/09, 07/04/10, 04/03/11, 03/12/11, 19/10/12, 12/09/14, 05/12/15, 04/12/17
6	गुना	30/06/07, 15/02/08, 28/08/08, 26/02/09, 28/07/09, 11/03/10, 05/03/11, 03/12/11, 08/08/12, 07/08/14, 03/10/15, 05/10/16, 17/08/17
7	जबलपुर	24/12/07, 17/07/08, 22/08/09, 03/12/11, 12/10/12, 17/11/14, 26/12/14, 14/03/16
8	मण्डला	24/05/07, 15/12/07, 26/11/08, 03/12/11, 19/09/14
9	छिन्दवाडा	26/12/07, 23/12/08, 03/12/11, 17/12/14
10	इंदौर	17/08/08, 22/03/11, 03/12/11, 11/02/15,
11	धार	12/03/07, 08/07/07, 17/03/08, 28/08/09, 27/09/10, 27/03/11, 03/12/11, 27/02/14
12	उज्जैन	24/03/07, 20/09/08, 22/09/09, 28/12/10, 07/07/11, 03/12/11, 03/12/12, 03/12/14, 18/06/15, 03/12/15, 26/12/16, 31/07/17
13	शाजापुर	19/12/07, 31/12/08, 05/11/11, 03/12/11, 03/12/12, 07/03/14
14	देवास	20/12/07, 31/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 07/11/14, 04/03/15, 03/12/16
15	सीहोर	22/12/07, 26/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 23/03/14, 03/03/15, 04/03/16, 18/01/18
16	शहडोल	07/03/07, 24/09/08, 02/12/09, 07/02/11, 03/12/11, 22/05/15, 18/09/17
17	पन्ना	06/02/08, 11/01/11, 03/12/11, 04/03/12, 30/04/14, 23/05/15, 20/02/17
18	सिंगरोली	27/09/08, 03/12/11, 28/09/17
19	रतलाम	08/12/10, 10/06/11, 03/12/11, 03/12/12, 11/07/14, 14/01/6, 19/07/16, 27/07/17
20	सागर	03/12/11, 08/06/12, 13/09/13, 30/10/14, 30/07/15, 19/12/17
21	खण्डवा	30/07/15, 21/03/16
22	शिवपुरी	वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।
23	मोरेना	वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।
24	राजगढ	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान कीं कार्रवाई जारीं है ।
25	झाबुआ	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान कीं कार्रवाई जारीं है ।
26	नरसिंगपुर	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान कीं कार्रवाई जारीं है ।
27	होशंगाबाद	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान कीं कार्रवाई जारीं है ।

परिशिष्ट–4.5

(देखें पद 4.4.5)

अति खतरनाक स्थापनाएं, जिनका सुरक्षा ऑडिट एम.एस.आई.एच.सी. नियम, 1989 के तहत अनिवार्य है, के सुरक्षा आडिट की स्थिति

जिला	स्थान		कारखाने का नाम	सुरक्षा आडिट की स्थिति	पिछला सुरक्षा आडिट कराने का वर्ष
1	2		3	4	5
भोपाल	बैरागढ	1	इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	बकानिया	2	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2013, 2014, 2015
धार	पीथमपुर	3	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
गुना	विजयपुर	4	गैल (इंडिया) लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
		5	नेशनल फर्टीलाईजर्स लि.,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	डोंगर	6	इंडियन आईल कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
इन्दौर	राऊखेडी	7	हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	मांगलिया	8	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. मांगलिया इस्टालेशन	सम्पन्न	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
जबलपुर	भिटौनी	9	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	खमरिया	10	आर्डिनन्स फैक्ट्री,	सम्पन्न	–
उज्जैन	घातिया	11	इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
	नागदा	12	ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन) युनिट–1	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
		13	ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन) युनिट–2	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
		14	ग्रेसिम इण्ड.लि. (स्टेपल फायबर डिवीजन)	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016(2)
		15	लानंसेस इंडिया इं.प्रा. लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
मण्डला	मनेरी	16	हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013(आंतरिक), 2014, 2015 (आंतरिक), 2016
शहडोल	अमलाई	17	ओरियेंट पेपर मिल,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
सिंगरोली	विन्ध्यनगर	18	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	सम्पन्न	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017
	वैधान	19	सासन पावर लि.	सम्पन्न	2013, 2014 (आंतरिक), 2015, 2016
	निग्री	20	ज़े.पी. निग्री सुपर थरमल पावर प्रोजेक्ट	सम्पन्न	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
रतलाम	बांगरोड	21	इण्डियन आईल कार्पो. लि., रतलाम टर्मिनल	सम्पन्न	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
सागर	बीना	22	भारत ओमान रिफायनरी लि.	सम्पन्न	2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
पन्ना	पुरैना	23	शिवा एक्सीम इन्टरप्राईजेस	सम्पन्न	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016
खण्डवा	डोंगलिया	24	श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन	सम्पन्न	2014, 2015, 2016, 2017(आंतरिक),
राजगढ	पीलुखेडी	25	हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2016, 2017

नरसिंगपुर	गाडरवाडा	26 एन.टी. पी.सी. लि.		नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना

परिशिष्ट–4.6

(देखें पद 4.5.3)

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण

भाग एक : हानिकारक पदार्थो की जांच

कारखानों से लिये गये हानिकारक पदार्थों के नमूने तथा उनके प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम

		अमोनिया			एच.सी.एल			धूलिकण /रेसपीरेबल						एस्बेस्टास फायबर		
क्र.	वर्ष	लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गये नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम	
			निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	11–12	17	17	–	09	09	–	117	75	42	04	04	–	–	–	–
2	12–13	17	09	08	–	–	–	62	24	38	02	02	–	–	–	–
3	13–14	30	15	15	02	01	01	35	04	31	–	–	–	–	–	–
4	14–15	16	09	07	–	–'	–	03	03	–	–	–	–	–	–	–
5	15–16	नोट–वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच. सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डॉटा लॉगिग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।			63	30	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	16– 17	नोट–वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच. सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डॉटा लॉगिग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।			58	51	07	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	1.4.17 से 31.12. 17 तक	नोट–वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच. सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डॉटा लॉगिग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।			40	29	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट–4.7

(देखें पद 4.5.3)

स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एव उनका परिणाम

क	वर्ष	क्लोरीन			कार्बन मोनो आक्साइड			अन्य ज्वलनशील गैस तथा वाष्प			अमोनिया			एच.सी.एल.			कुल		
		जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम			जॉच का परिणाम		
		लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	11–12	–	–	–	–	–	–	120	98	22	255	199	56	–	–	–	–	–	–
2	12–13	01	01	–	–	–	–	28	25	03	109	60	49	–	–	–	–	–	–
3	13–14	02	02	–	–	–	–	43	33	10	111	54	57	–	–	–	–	–	–
4	14–15	04	04	–	05	–	05	42	41	01	24	17	07	14	14	–	115	84	31
5	15–16	01	01	–	10	08	02	17	16	01	29	27	02	24	23	01	118	97	21
6	16–17	10	10	–	17	09	08	66	44	22	49	27	22	22	22	–	202	146	56
7	1.4.17 से 31.12.17 तक	04	04	–	22	17	05	34	18	16	28	17	11	20	20	–	108	76	32

परिशिष्ट– 4.8
(देखें पद 4.5.3)

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण
भाग दो : स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबंधी जांच

वर्ष	प्रकाश			ध्वनि			कुल योग		
	जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम		जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम		जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम	
		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08–09	123	123	–	117	86	31	240	209	31
09–10	48	48	–	48	33	15	96	81	15
10–11	20	18	02	12	07	05	32	25	07
11–12	216	164	52	214	158	56	430	322	108
12–13	119	77	42	119	48	71	238	125	113
13–14	187	58	129	127	28	99	314	86	228
15–16	204	100	104	193	49	144	397	149	248
16–17	212	76	136	227	81	146	439	157	282
01.04.17 से 31.12.17 तक	141	48	93	151	97	54	292	145	147

भाग–तीन :– दृष्टि दोष संबंधी की गई जॉच का परिणाम

क्र0	वर्ष	श्रमिकों की संख्या जिनकी दृष्टि की जॉच की गई	दृष्टि दोष पाये गए श्रमिकों की संख्या	दृष्टि दोष नहीं पाये गए श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	15–16	–	–	–
2	16–17	–	–	–
3	01.04.17 से 31.12..17 तक	–	–	–

***

परिशिष्ट– 5.1

(देखें पद 5.1)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें न्यूनतम वेतन प्रभावशील हैः–

भाग–एक

अनुसूचित नियोजन

1. किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2. किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3. किसी मार्गो के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4. किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5. किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6. किसी सिंचाई कायों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7. किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8. किसी आरा मिल में नियोजन
9. किसी तेल मिल में नियोजन
10. किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11. किसी मुर्रा पोहा निर्माणी में नियोजन
12. किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेंडी सम्मिलित है, के निर्माणा में नियोजन
13. किसी पत्थर तोडने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14. किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15. किसी मुद्रणालय में नियोजन
16. किसी सीमेंन्ट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17. किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18. किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19. किसी चूना भट्टे में नियोजन
20. किसी ईट भट्टे में नियोजन
21. किसी पावर लूम /जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/ में नियोजन
22. किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23. किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24. किसी खांडसारी उद्योग में नियोजन
25. किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26. किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27. किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28. किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29. किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30. किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31. किसी बोनमिल में नियोजन
32. किसी टाइल्स, जिसमें मेंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33. किसी विनिर्माण प्रकिया जिसमें विनिर्माण प्रकिया जो कि कारखाना अधि.,1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्ठि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

34. किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र विकृति विज्ञान, (पेथोलाजिकल प्रयोगशाला) सम्मिलित है, में नियोजन.
35. किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36. किसी तैयार किये गये (रेडीमेड) वस्त्र विनिर्माण में नियोजन
37. किसी खदान जैसे कंकड, मुर्रम, लेट्राईट, बोल्डर, ग्रावेल शिंगडा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
38. किसी आटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस मे नियोजन।
39. किसी बैकरी में नियोजन
40. किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) में नियोजन
41. किसी दूकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
42. किसी होटल, रेस्टॉरेंट या भोजनालय में नियोजन
43. किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन
44. किसी क्लब में नियोजन
45. किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त पेय निर्माण में नियोजन
46. किसी अधिवक्ता या अटर्नी के कार्यालय में नियोजन
47. किसी हेयर कटिंग सेलून और ब्यूटी पार्लर में नियोजन
48. किसी उर्वरक और पेस्टीसाईड्स (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
49. किसी ड्रीलिंग प्रचालन और ट्युबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
50. किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
51. किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
52. मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
53. किसी सोने और चॉदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
54. किसी आटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
55. किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को–आपरेटिव्ह बैंक) में नियोजन
56. किसी होजयरी में नियोजन
57. किसी साबून निर्माण (जिसमें डिटर्जेन्ट भी सम्मिलित है) में नियोजन
58. किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
59. किसी खिलोना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलोने भी सम्मिलित है, में नियोजन
60. किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
61. किसी कोरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
62. किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
63. किसी अचार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
64. दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यो में नियोजन
65. किसी सफाई कार्य में नियोजन
66. किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
67. किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
68. तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन
69. किसी अगरबत्ती उद्योग में नियोजन।

<u>भाग–दो</u>

1. कृषि में नियोजन

13.3. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड

यह बोर्ड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत गठित होता है। बोर्ड का पुनर्गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2014 के द्वारा किया गया है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जुलाई, 2014 को हुआ है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, ओर वह अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करता है। बोर्ड की अंतिम बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2016 को हुई है।

बोर्ड की अवधि दिनांक 01 जुलाई, 2016 को पूर्ण होने से बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट–5.2
(देखें पद 5.1)

न्यूनतम मजदूरी की दरें
परिशिष्ट– 5.1 में क्र. 1 से 69 तक उल्लेखित नियोजन
(1.10.2017 से 31.3.2018 तक के लिए)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल न्यूनतम मजदूरी	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल (1 जून, 2015 से प्रभावशील)	6500	250.00	625.00	24.07	7125.00	274.07
अर्धकुशल	7057.00	271.00	925.00	35.58	7982.00	307.00
कुशल	8435.00	324.00	925.00	35.58	9360.00	360.00
उच्च कुशल	9735.00	374.00	925.00	35.58	10660.00	410.00

नोटः–मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, उपर्युक्तानुसार 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई है।

कृषि में नियोजन
(1.10.2017 से 31.3.2018 तक के लिए)

अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	648.00	21.60	5998.00	199.93

बीडी निर्माण में नियोजन
(1.04.2017 से 31.03.2018 तक के लिए)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल मजदूरी	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल न्यूनतम मजदूरी
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	रूपये 74.00	9.63	83.63

नोट– एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रूपये 83.63 के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (7.31) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (4.18) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (8.38) इस प्रकार कुल रूपये 103.50 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 16.76 की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1/4/2017 से 31/3/2018 की अवधि में श्रमिकों को कुल रूपये 8.38 एवं भविष्य निधि कटौती उपरांत शुद्ध राशि 86.74 प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती निर्माण में नियोजन
(1.10.2017 से 31.3.2018 तक के लिए)

कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम मूल मजदूरी	पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती के लिए)			

क. साधारण अगरबत्ती ख. सुगंधित अगरबत्ती	रू. 21.40 रू. 22.00	9.25 9.25	30.65 31.25

***

परिशिष्ठ– 7.1

बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिलेवार संख्या

क.	संभाग	जिले का नाम		पंजीकृत संस्थानों की संख्या	बीड़ी सिगार कर्मकार अधिनियम के तहत संधारित स्थापना पंजी के अनुसार कार्यरत श्रमिक			परिचयपत्र धारक बीड़ी श्रमिक **(दिसम्बर 2017 की स्थिति में)**
					परिसर	घरखाता	योग	
1–	**इन्दौर संभाग**	1	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	2	15	1500	1515	1515
		2	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	1	130	831	961	831
		3	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	4	8	43	51	247
		4	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	1	0	16	16	16
2–	**उज्जैन सम्भाग**	5	श्रम पदाधिकारी, देवास	6	6	346	352	352
		6	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	1	2	–	2	–
		7	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	1	3	19	22	22
3–	**ग्वालियर संभाग**	8	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	6	68	105	173	–
		9	श्रम पदाधिकारी, दतिया	9	28	241	269	269
		10	श्रम पदाधिकारी, गुना	4	91	1820	1911	1879
		11	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	9	122	1150	1272	1272
4–	**चम्बल संभाग,**	12	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	4	20	60	80	80
5–	**भोपाल संभाग**	13	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	8	41	1032	1073	–
		14	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	15	205	224	429	–
		15	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	5	22	58	80	–
6–	**सागर संभाग**	16	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	3 (2 बंद)	7	140	147	1528
		17	श्रम पदाधिकारी, दमोह	40	663	15311	15974	156874
		18	सहायक श्रमायुक्त, सागर	75	1700	17200	18900	18900
		19	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	1	5	–	5	1920
7–	**जबलपुर संभाग**	20	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	6	101	1299	1400	1400
		21	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	15	454	3321	3775	3775
		22	श्रम पदाधिकारी, कटनी	5	153	1265	1418	1418
		23	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	11	130	360	501	501
8–	**रीवा संभाग**	24	श्रम पदाधिकारी, रीवा	2	17	68	85	–
		25	सहायक श्रमायुक्त, सतना	20	922	3342	4264	4264

बीड़ी श्रमिकों हेतु वर्ष 2006–07 से स्वीकृत/कियान्वित आवास योजना

क्र.	संभाग	जिला		आवास निर्माण की स्वीकृति का वर्ष	आवास संख्या				केन्द्रांश (लाख रूपये में)		स्वीकृत एवं विमुक्त राज्यांश (लाख रूपये में)
					कुल स्वीकृत	निर्मित	निर्माणाधीन	निर्माण आरंभ होना शेष	स्वीकृत	विमुक्त	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1–	ग्वालियर संभाग	1	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	2007	225	105	–	120	78.00	33.00	33.75 लाख
		2	श्रम पदाधिकारी, दतिया	2007	255	80	20	155	102 लाख	51 लाख	–
2–	सागर संभाग	3	श्रम पदाधिकारी, दमोह	2008	25	–	–	–	5 लाख	–	5 लाख
		4	सहायक श्रमायुक्त, सागर	2007	500	180	144	176	1 करोड़	1 करोड़	–
3–	जबलपुर संभाग	5	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	2007	1000	–	–	–	2 करोड़	–	–
		6	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	2007	375	–	–	375	75 लाख	–	–
4–	रीवा संभाग	7	श्रम पदाधिकारी, रीवा	2012–2013	961	–	–	961	38440000	–	38440000
		8	सहायक श्रमायुक्त, सतना	2007–2008	500	153	347	–	1 करोड़	–	–

परिपत्र दिनांक 5–10–2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिलेवार निर्धारित वाजिब मात्रा

क	संभाग	जिले का नाम		निर्धारित मात्रा 1000 बीड़ी निर्माण हेतु		
				तेंदूपत्ता (ग्राम) प्रति हजार	तम्बाकू (जर्दा) (ग्राम) प्रति हजार	धागा प्रति हजार लच्छी
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1–	**इन्दौर**	1	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	900 700	280 220	1 1
		2	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	850	260	7000 प्रति हजार लढी
		3	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	650	200	10,000 बीड़ी पर 20 ग्राम 60 काउट वाला
		4	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	1000	280	6000 बीड़ी पर एक लटी धागा
2–	**उज्जैन**	5	श्रम पदाधिकारी, देवास	800	250	पर्याप्त
		6	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	–	–	–
		7	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	2768 किलो 395 ग्राम	815 किलो 948 ग्राम	36 फालके 4 लट्टी
3–	**ग्वालियर**	8	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	850	250	1 रील (लच्छी)
		9	श्रम पदाधिकारी, दतिया	750	250	एक लच्छी फ्री
		10	श्रम पदाधिकारी, गुना	800	230	20 ग्राम
		11	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	800	250	एक लच्छी
4–	**चम्बल**	12	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	700	200	1 लच्छी
5–	**भोपाल**	13	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	800–900	280–300	एक गिट्टी
		14	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	750	240	जरूरत अनुसार
		15	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	800 700	2. 80 2. 20	5000 बीड़ी पर एक लत्ती 5000 बीड़ी पर एक लत्ती
6–	**सागर**	16	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	600	250	1 लट्टी
		17	श्रम पदाधिकारी, दमोह	750	270	1 पुंजा
		18	सहायक श्रमायुक्त, सागर	750 650	270 250	4 लतिया 4 लतिया
		19	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	889	269	6 ग्राम
7–	**जबलपुर**	20	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	700	270	250
		21	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	600	270	एक ग्राम
		22	श्रम पदाधिकारी, कटनी	0.700	0.260	0.01
		23	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	900	300	फ्री
8–	**रीवा**	24	श्रम पदाधिकारी, रीवा	650	230	1
		25	सहायक श्रमायुक्त, सतना	700	270	100

परिशिष्ठ– 7.4

बीड़ी श्रमिकों को वेतनपर्ची वितरण की जानकारी

कमांक	संभाग	बीड़ी श्रमिक बहुल जिले के नाम		बीड़ी श्रमिकों को प्राप्त वेतन पर्चियों की संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)
1–	**इन्दौर**	1	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	1515
		2	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	831
		3	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	51
		4	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	–
2–	**उज्जैन**	5	श्रम पदाधिकारी, देवास	लॉगबुक दी जाती है
		6	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	–
		7	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	22
3–	**ग्वालियर**	8	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	173
		9	श्रम पदाधिकारी, दतिया	269
		10	श्रम पदाधिकारी, गुना	–
		11	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	–
4–	**चम्बल**	12	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	–
5–	**भोपाल**	13	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	750
		14	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	224
		15	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	नियमानुसार सभी को दी जा रही है
6–	**सागर**	16	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	7
		17	श्रम पदाधिकारी, दमोह	8268
		18	सहायक श्रमायुक्त, सागर	18900
		19	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	–
7–	**जबलपुर**	20	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	1400
		21	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	454 परिसर में
		22	श्रम पदाधिकारी, कटनी	1418
		23	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	130
8–	**रीवा**	24	श्रम पदाधिकारी, रीवा	107
		25	सहायक श्रमायुक्त, सतना	4264

****

परिशिष्ट–8.1
(देखें पद 8.1)

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की कार्यालय–वार जानकारी

(दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में)

स.कं.	जिला/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या
01	इंदौर	751	25511
02	धार,	245	13167
03	पीथमपुर	244	2505
04	झाबुआ	55	910
05	अलीराजपुर	60	984
06	बुरहानपुर	26	5836
07	खण्डवा	113	16180
08	खरगोन	244	7564
09	बडवानी	16	1305
10	उज्जैन	142	6164
11	देवास	40	3582
12	शाजापुर	53	1331
13	आगर–मालवा	0	0
14	रतलाम	70	3212
15	मंदसौर	68	4675
16	नीमच	11	481
17	ग्वालियर	145	7130
18	शिवपुरी	7	295
18	गुना	26	664
19	अशोक नगर	6	880
20	दतिया	4	370
22	मुरैना	5	110
23	श्योपुर	2	20
24	भिंड	11	350
25	मालनपुर	37	720
26	भोपाल	187	3993
27	सीहोर	32	5335
28	मण्डीदीप	26	1905
29	राजगढ़	27	1294
30	विदिशा	49	1885
31	होशंगाबाद	105	2164
32	बैतूल	71	1159

33	हरदा	48	883
34	सागर	118	10515
35	टीकमगढ	46	1923
36	दमोह	107	4368
37	छतरपुर	85	3570
38	पन्ना	43	1293
39	जबलपुर	539	20030
40	नरसिंहपुर	42	848
41	कटनी	210	6026
42	बालाघाट	200	3708
43	मंडला	170	7845
44	छिंदवाड़ा	125	6165
45	सिवनी	108	5579
46	सतना	284	6804
47	रीवा	314	8271
48	सीधी	115	3899
49	सिंगरोली	457	78007
50	शहडोल	79	3451
51	डिण्डौरी	36	1091
52	अनूपपुर	125	1984
53	उमरिया	132	2264
	योग	6261	300205

नोट– (*) वाले आंकडे वर्ष 2017

*****

बंधक श्रमिकों का पुर्नवास

क्र.	जिले का नाम जहां बंधक श्रमिक विमुक्त कराए गए	विमुक्त कराने का माह एवं वर्ष	विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों की संख्या			विमुक्त कराए गए प्रदेश के श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रूपये 20,000 की दर से आवश्यक राशि (लाख रूपये में)	कलेक्टर को आवंटित राशि का विवरण			
			कुल	अन्य राज्योके	म.प्र. के		श्रमिकों के मूल ज़िले के कलेक्टर जिन्हें आबंटन दिया गया	श्रमिक संख्या जिनके लिए आबंटन दिया गया	आबंटन का दिनांक	आबंटित राशि (रूपये लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
01	विदिशा	दिसम्बर 2000	85	15	70	14.00	विदिशा	52	06.07.01	4.20
							विदिशा		24.11.01	1.40
							विदिशा		21.12.01	4.80
										10.40
							सागर	10	31.12.01	2.00
							रायसेन	01	31.12.01	0.20
							गुना	06	31.12.01	1.20
							भोपाल	01	11.01.02	0.20
		योग	**85**	**15**	**70**	**14.00**	**योग**	**70**		**14.00**
02	रायसेन	जून 2000	116	99	17	3.40	रायसेन	17	20.09.00	1.70
									23.03.01	0.93
									28.03.01	0.06
									20.12.01	0.71
									22.03.02	0.12
									18.04.02	0.12
		फरवरी मार्च 2002	12	0	24	4.80	सतना	24	22.03.02	—
			12						18.04.02	4.56
		मार्च 99	रु 42		42		रायसेन	42	—	—
		योग	**182**	**99**	**83**	**8.20**	**योग**	**83**		**8.20**
03	भिवानी (हरियाणा)	अगस्त 1999	7	0	7	1.40	रतलाम	7	23.03.01	0.70
									22.12.01	0.70
		योग	**7**	**0**	**7**	**1.40**	**योग**	**7**		**1.40**
04	शहडोल	दिसम्बर 2001	1	0	1	0.20	शहडोल	1	26.12.01	0.20
		योग	1	0	1	0.20	**योग**	1		**0.20**
05	इंदौर	2/2000	46	46	0	निरंक		—	—	—
		योग	46	46	0	निरंक	योग	—		**0**
06	भोपाल	मार्च 2002	14	0	14	2.80	विदिशा	14	18.04.02	0.14
									17.04.02	2.66
							रायसेन		18.4.02	0.99
		योग	**14**	**0**	**14**		**योग**	**14**	**—**	**3.79**

क्र.	जिले का नाम जहां बंधक श्रमिक विमुक्त कराए गए	विमुक्त कराने का माह एवं वर्ष	विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों की संख्या			विमुक्त कराए गए प्रदेश के श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रूपये 20,000 की दर से आवश्यक राशि (लाख रूपये में)	कलेक्टर को आवंटित राशि का विवरण			
			कुल	अन्य राज्योके	म.प्र. के		श्रमिकों के मूल ज़िले के कलेक्टर जिन्हें आबंटन दिया गया	श्रमिक संख्या जिनके लिए आबंटन दिया गया	आबंटन का दिनांक	आबंटित राशि (रूपये लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
07	ग्वालियर	9.7.02	40	0	40	8.00		40	18.07.02	0.40
							गुना	9	18.07.02	1.71
							शिवपुरी	7	18.07.02	1.33
							शिवपुरी	22	12.06.03	4.18
							शिवपुरी	02	03.12.03	0.38
		योग	**40**	**0**	**40**	**8.00**	**योग**	**40**	**योग**	**8.00**
08	हरदा	30.04.03 01.08.03	02	—	02	0.40	हरदा	02	06.10.03	0.40
		योग	**02**	**—**	**02**	**0.40**	**योग**	**02**	**—**	**0.40**
09	धार	23.12.03	01	—	01	0.20	धार	01	20.01.04	**0.**20
		योग	**01**	**—**	**01**	**0.20**	**योग**	**01**	**—**	**0.20**
10	हरदा	29.05.03	01	—	01	0.20	पूर्व नि. (खंडवा)	01	12.04.04	0.20
		योग	**01**	**—**	**01**	**0.20**	**योग**	**01**		**0.20**
11	रायसेन	10.2.04	28	28	0	—	रायसेन	—	28.8.04	0.27
			28	**28**	**0**		**योग**	**—**	**—**	**0.27**
12	शिवपुरी	29.7.04	04	—	04		शिवपुरी	04	9.11.04	0.80
		योग	**04**	**—**	**04**		**योग**	**04**		**0.80**
	2005—06									
			167	**—**	**147**	**5.24**		**—**		**5.24**
12	भिण्ड	4.4.05	49	49	—	0.49	भिण्ड	—	—	—
		2.5.05	52	52	—	0.52		—	—	—
		10.5.05	26	26	—	0.26		—	—	—
		योग	**127**	**127**	**—**	**1.27**		—	**23.12.05**	**1.24**
13	सागर	14.9.05	20	20	—	0.20	सागर	—	—	—
		योग	**20**	**20**	—	**0.20**		—	**12.12.05**	**0.20**
14	फतेहपुर (उत्तरप्रदेश)	5.8.05	20	—	20	3.80	छतरपुर	20	29.11.05	3.80
		योग	**20**	**—**	**20**	**3.80**		**—**	**29.11.05**	**3.80**
	2006—07									
15	छतरपुर	7.10.06	27	—	27	5.40	छतरपुर	04	25.11.06	0.76 0.27
							दमोह	23	25.11.06	4.37
	फतेहपुर (उत्तरप्रदेश)	24.2.06	01	—	01	0.19	छतरपुर	01	13.3.,07	0.19
		योग	**28**	**—**	**28**	**5.59**		**28**	**—**	**5.59**

क्र.	जिले का नाम जहां बंधक श्रमिक विमुक्त कराए गए	विमुक्त कराने का माह एवं वर्ष	विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों की संख्या			विमुक्त कराए गए प्रदेश के श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रूपये 20,000 की दर से आवश्यक राशि (लाख रूपये में)	कलेक्टर को आवंटित राशि का विवरण			
			कुल	अन्य राज्योके	म.प्र. के		श्रमिकों के मूल ज़िले के कलेक्टर जिन्हें आबंटन दिया गया	श्रमिक संख्या जिनके लिए आबंटन दिया गया	आबंटन का दिनांक	आबंटित राशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2007–08									
16	हरदा	24.5.07	06	–	06	1.20	हरदा	–	28.5.07	0.06
							खंडवा	06	28.5.07	1.14
		योग	06	–	06	1.20		06	–	1.20
	2008–09									
17	भिण्ड	21.2.08	09	09	–	0.09	भिण्ड	–	2.6.08	0.09
	भोपाल	19.9.08	18	–	18	3.60	भोपाल	18	22.9.08	3.60
		योग	27	09	18	3.69		–	–	3.69
	2009–10									
18.	रायसेन	10.4.07	21	–	21	4.20	रायसेन	20	28.4.09	4.00
19.	श्योपुर	13.1.10	07	07	–	0.07	श्योपुर	07		0.07
		योग	28	07	21					4.07
	2010–11									
20	मुरैना	11.5.10	08	08	–	0.08	मुरैना	08	29.6.10	0.08
21.	मुरैना	16.2.11	48	48	–	0.48	मुरैना	48	29.3.11	0.48
		योग	56	56	–	0.56				0.56
	2011–12									
22.	मुरैना	4.9.2011	01	01	–	0.01	मुरैना	01	21.12.11	0.01
		योग	01	01		0.01		–		0.01
	2012–13									
23	मुरैना	22.2.13	13	13 (छ.ग)	–	0.13	मुरैना	13	19.03.13	0.13
24	मुरैना	23.2.13	17	17 (छ.ग)	–	0.17	मुरैना	17	19.3.13	0.17
		योग	30	30	–	0.30				0.30
	2013–14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014–15									
25	दिल्ली	11.02.14	02	–	02	0.38	छतरपुर	02	09.04.14	0.38

क्र.	जिले का नाम जहां बंधक श्रमिक विमुक्त कराए गए	विमुक्त कराने का माह एवं वर्ष	विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों की संख्या			विमुक्त कराए गए प्रदेश के श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रूपये 20,000 की दर से आवश्यक राशि (लाख रूपये में)	कलेक्टर को आवंटित राशि का विवरण			
			कुल	अन्य राज्योके	म.प्र. के		श्रमिकों के मूल ज़िले के कलेक्टर जिन्हें आबंटन दिया गया	श्रमिक संख्या जिनके लिए आबंटन दिया गया	आबंटन का दिनांक	आबंटित राशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	दिल्ली	21.12.11	01	—	01	0.19	मुरैना	01	10.12.14	0.19
		योग	03	—	03	0.57				0.57
27	ग्वालियर	22.05.12	01	—	01	0.20	ग्वालियर	01	19.9.14	0.20
28	ग्वालियर	05.02.13	02	—	02	0.40	ग्वालियर	02	19.9.14	0.40
29	नामक्कल (तमिलनाडू)	12.10.14	09	—	09	1.71	मंडला	09	27.10.14 10.12.14	58,000/— 1,12,500/— कुल(1.71,000)
30	नौयडा, गौतमबुध्द नगर,उप्र	14.10.14	03	—	03	0.57	छतरपुर	03	12.01.15	0.57
31	नौयडा, गौतमबुध्द नगर,उप्र	14.10.14	02	—	02	0.38	टीकमगढ	02	10.12.14 12.01.15 22.04.15	0.22 0.13 0.03 ———— कुल (38,000)
32	नौयडा, गौतमबुध्द नगर,उप्र	14.10.14	05	—	05	0.95	सागर	05	12.01.15	0.95
		योग	25	—	25	2.61	—	—	—	4.78
	2015—16									
33	मुरैना	01.05.15	18 (उ.प्र.)	18	—	0.18	मुरैना	18	19.05.15	0.18
34	मुरैना	06.05.15	27 (उ.प्र.)	27	—	0.27	मुरैना	27	27.05.15	0.27
35	मुरैना	07.05.15	12 (उ.प्र.)	12	—	0.12	मुरैना	12	27.05.15	0.12
36	दिल्ली	20.01.12	01	—	01	0.19	दमोह	01	09.07.15	0.19
37	हरदा	27.05.15	01	—	01	0.20	हरदा	01	13.08.15	0.20
38	पन्ना	08.10.15	06 (छ.ग.)	06	—	0.06	पन्ना	0.6	12.10.15	0.06
39	जिला बीड (महाराष्ट्र)	11.06.15	04	—	04	0.76	श्योपुर	04	18.11.15	0.76

क्र.	जिले का नाम जहां बंधक श्रमिक विमुक्त कराए गए	विमुक्त कराने का माह एवं वर्ष	विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों की संख्या			विमुक्त कराए गए प्रदेश के श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रूपये 20,000 की दर से आवश्यक राशि (लाख रूपये में)	कलेक्टर को आवंटित राशि का विवरण			
			कुल	अन्य राज्योके	म.प्र. के		श्रमिकों के मूल ज़िले के कलेक्टर जिन्हें आबंटन दिया गया	श्रमिक संख्या जिनके लिए आबंटन दिया गया	आबंटन का दिनांक	आबंटित राशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	जिला बगलकोट (कर्नाटक)	18.01.16	09	—	09	1.71	खरगोन	09	26.02.16 07.04.16	1.53 0.18 ——— 1.71
		योग	78	63	15	3.49	—	78	—	3.49
	2016—17									
41	नेायडा,गोतमबुध्द नगर (उ. प्र.)	01.08.16	07 (उ.प्र.)	—	07	0.18	छतरपुर (म.प्र.)	06	23.08.17	1.08
42	नरसिंहपुर	15.07.16	40	40	-	—	मुजपफर नगर (उ.प्र.)	40	—	—
43	छबडा, जिला बारां (राज.)	12.08.16	02 (राज.)		02	0.40	गुना (म.प्र.)	02	07.03.17	0.40
44	नेायडा,गोतमबुध्द नगर (उ. प्र.)	02.08.16	07 (उ.प्र.)	—	07	0.20	दमोह (म.प्र.)	07	23.08.2017	1.40
45	गुना (म.प्र.)	26.09.16	01	—	01	0.20	अशोक नगर (म.प्र.)	01	07.03.17	0.20
46	जीरापुर जिला राजगढ (म.प्र.)	22.02.17	01	—	01	0 .20	राजगढ (म.प्र.)	01	23.03.17	0.20
47	किशनगढ, जिला बारां (राज.)	29.10.17	18	—	18	3.60	गुना (म.प्र.)	18	11.01.8	3.60
		योग	76	40	36	6.88	-	75	-	6.88 लाख
	कुल योग		933	541	392	73.37 लाख	-	391	-	73.37 लाख
							मुरैना	अतिक्ति आवंटन	23.3.13	0.70
कुल योग										74.07

टीप— श्रम विभाग यह विषय फरवरी 2000 से देख रहा है।

कं.	वित्तीय वर्ष	पाये गये बंधक श्रमिक	सौंपा गया आवंटन (रू.)
1	2000–2001	201	03.39 लाख
2	2001–2002	39	15.73 लाख
3	2002–2003	40	11.91 लाख
4	2003–2004	32	05.16 लाख
5	2004–2005	04	01.27 लाख
6	2005–2006	167	05.24 लाख
7	2006–2007	28	05.59 लाख
8	2007–2008	06	01.20 लाख
9	2008–2009	27	03.69 लाख
10	2009–2010	28	04.07 लाख
11.	2010–2011	56	00.56 लाख
12.	2011–2012	01	00.01 लाख
13.	2012–2013	30	00.30 लाख
14	2012–2013	मुरेना को अतिरिक्त बजट दिया।	00.70 लाख मुरेना को अतिरिक्त बजट दिया।
15	2013–14	–	–
16	2014–15	25	04.78 लाख
19	2015–16	78	03.49 लाख
20	2016–17	76	06.88 लाख
	योग	933	74.07 लाख

***

परिशिष्ट–10.1
(देखें पद 10.1)

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय–वार जानकारी

(दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में)

स.क.	जिला/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या
01	इंदौर	439	884
02	धार,	294	1985
03	पीथमपुर	1	2
04	झाबुआ	117	2584
05	अलीराजपुर	34	81
06	बुरहानपुर	139	872
07	खण्डवा	130	273
08	खरगोन	155	2052
09	बडवानी	75	440
10	उज्जैन	70	835
11	देवास	63	444
12	शाजापुर	13	396
13	आगर–मालवा	3	10
14	रतलाम	106	776
15	मंदसौर	183	978
16	नीमच	70	329
17	ग्वालियर	115	1471
18	शिवपुरी	0	0
19	गुना	60	570
20	अशोक नगर	10	25
21	दतिया	0	0
22	मुरैना	0	0
23	श्योपुर	0	0
24	भिंड	7	19
25	मालनपुर	20	80
26	भोपाल	64	1841
27	सीहोर	0	0
28	मण्डीदीप	36	76
29	राजगढ़	21	295
30	विदिशा	13	401
31	होशंगाबाद	93	551
32	बैतूल	51	346
33	हरदा	134	920
34	सागर	228	1071
35	टीकमगढ	90	392
36	दमोह	42	405
37	छतरपुर	25	127
38	पन्ना	7	53

39	जबलपुर	365	4546
40	नरसिंहपुर	46	153
41	कटनी	2178	504
42	बालाघाट	93	294
43	मंडला	161	715
44	छिंदवाड़ा	3	16
45	सिवनी	139	188
46	सतना	38	134
47	रीवा	294	1226
48	सीधी	66	447
49	सिंगरोली	28	270
50	शहडोल	51	270
51	डिण्डौरी	26	117
52	अनूपपुर	17	30
53	उमरिया	0	0
	योग	6413	30494

* * *

नगर/कस्बे जहां म.प्र दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है

क.	संभाग		जिला		नगर / कस्बा
1.	इन्दौर	1.	इन्दौर	1.	इन्दौर
				2.	महू
				3.	देपालपुर
				4.	सांवेर
				5.	गौतमपुरा
				6.	बेटमा
				7.	राऊ
				8.	हातौद
				9.	मानपुर
				10.	महूॅगांव
		2.	खंडवा	11.	खंडवा
				12.	मूॅदी
				13.	पंधाना
				14.	ओंकारेश्वर
				15.	छनैरा
		3.	बुरहानपुर	16.	बुरहानपुर
				17.	नेपा नगर
				18.	शाहपुर
		4.	धार	19.	धार
				20.	पीथमपुर
				21.	कुक्षी
				22.	मनावर
				23.	राजगढ़
				24.	बदनावर
				25.	धामनोद
				26.	धरमपुरी
				27.	सरदारपुर
				28.	माण्डव
				29.	डही
		5	झाबुआ	30.	झाबुआ
				31.	थांदला
				32.	पेटलावद
				33.	राणापुर
		6.	अलीराजपुर	34.	अलीराजपुर
				35.	जोबट
				36.	भाबरा
		7.	खरगोन	37.	खरगोन

				38.	बड़वाह
				39.	मंडलेश्वर
				40.	सनावद
				41.	भीकनगांव
				42.	कसरावद
				43.	महेश्वर
		8.	बड़वानी	44.	बड़वानी
				45.	अंजड़
				46.	सेंधवा
				47.	राजपुर
				48.	खेतिया
				49.	पानसेमल
				50.	पलसूद
2.	भोपाल	9.	भोपाल	51.	भोपाल
				52.	बेरसिया
				53.	बैरागढ़
		10.	रायसेन	54.	रायसेन
				55.	मण्डीदीप
				56.	बरेली
				57.	बेगमगंज
				58.	ओबेदुल्लागंज
				59.	सुल्तानपुर
				60.	बाडी
				61.	सांची
				62.	उदयपुरा
				63.	सिलवानी
				64.	गैरतगंज
		11.	सीहोर	65.	सीहोर
				66.	आष्टा
				67.	इच्छावर
				68.	बुधनी
				69.	जावर
				70.	नसरूल्लागंज
				71.	रहेटी
				72.	कोठरी
				73.	शाहगंज
		12.	विदिशा	74.	विदिशा
				75.	गंजबासौदा
				76.	सिरोंज
				77.	कुरवाई
				78.	लटेरी
				79.	शमशाबाद
		13.	राजगढ़	80.	राजगढ़

				81.	ब्यावरा
				82.	सारंगपुर
				83.	नरसिंहगढ़
				84.	जीरापुर
				85.	खिलचीपुर
				86.	तलैन
				87.	बौडा
				88.	खुजनेर
				89.	पचौर
				90.	सुठालिया
				91.	माचलपुर
				92.	छापीहेडा
3.	होशंगाबाद	14.	होशंगाबाद	93.	होशंगाबाद
				94.	पिपरिया
				95.	इटारसी
				96.	सिवनी बनापुरा
				97.	बाबई
				98.	सोहागपुर
		15.	हरदा	99.	हरदा
				100.	खिरकिया
				101.	टिमरनी
		16.	बैतूल	102.	बैतूल
				103.	आमला
				104.	मुलताई
				105.	सारणी
				106.	भैंसदेही
				107.	बैतूल बाजार
				108.	आठनेर
				109.	चिचौली
4.	ग्वालियर	17.	ग्वालियर	110.	ग्वालियर
				111.	डबरा
				112.	पिछोर
				113.	बिलौआ
				114.	आंतरी
				115.	भितरवार
		18.	शिवपुरी	116.	शिवपुरी
				117.	केलारस
				118.	करेरा
				119.	खनियाधाना
				120.	पिछोर
				121.	बदरवास
				122.	नरवर
		19.	गुना	123.	गुना

				124.	राघौगढ़
				125.	चाचौडाबीनागंज
				126.	आरोन
				127.	कुंभराज
		20.	अशोकनगर	128.	अशोकनगर
				129.	चंदेरी
				130.	मुगावली
				131.	ईसागढ
		21.	दतिया	132.	दतिया
				133.	भाण्डेर
				134.	इंदरगढ़
				135.	सेवडा
				136.	बडोनी
5.	चंबल	22.	श्योपुर	137.	श्योपुर कलां
				138.	विजयपुर
				139.	बडोदा
		23.	मुरैना	140.	मुरैना
				141.	अम्बाह
				142.	जौरा
				143.	सबलगढ़
				144.	पोरसा
				145.	कैलारस
				146.	झुण्डपुरा
				147.	बामौर
		24.	भिंड	148.	भिण्ड
				149.	मालनपुर
				150.	गोहद
				151.	मेंहगांव
				152.	लहार
				153.	गोरमी
				154.	अकोडा
				155.	मिहोना
				156.	आलमपुर
				157.	दबोह
				158.	मौ
				159.	फूफकलां
6.	उज्जैन	25.	उज्जैन	160.	उज्जैन
				161.	बड़नगर
				162.	खाचरोद
				163.	महिंदपुर
				164.	नागदा
				165.	तराना
				166.	उन्हेल

				167.	माकडोन
		26.	रतलाम	168.	रतलाम
				169.	आलोट
				170.	जावरा
				171.	ताल
				172.	सैलाना
				173.	नामली
				174.	बडावदा
				175.	पिपलौदा
				176.	धामनोद
		27.	देवास	177.	देवास
				178.	सोनकच्छ
				179.	कन्नोद
				180.	खातेगांव
				181.	हाटपिपल्या
				182.	बागली
				183.	भौरांसा
				184.	करनावद
				185.	काटाफोड
				186.	लोहारदा
				187.	सतवास
				188.	टोंकखुर्द
				189.	पिपलरंवा
		28.	शाजापुर	190.	शाजापुर
				191.	शुजालपुर
				192.	आगर
				193.	नलखेडा
				194.	मक्सी
				195.	बडौद
				196.	कानड़
				197.	अकोदिया
				198.	सुसनेर
				199.	सोयतकलां
				200.	बडागांव
				201.	पोलायकला
		29.	मन्दसौर	202.	मन्दसौर
				203.	श्यामगढ़
				204.	सीतामऊ
				205.	पिपल्यामंडी
				206.	नारायणगढ़
				207.	मल्हारगढ़
				208.	भानपुर
				209.	नगरी

				210.	गरोठ
				211.	सुवासरा
		30.	नीमच	212.	नीमच
				213.	मनासा
				214.	रामपुरा
				215.	जावद
				216.	जीरन
				217.	रतनगढ़
				218.	सिंगोली
				219.	डिकेन
				220.	कुकडेश्वर
7.	सागर	31	सागर	221.	सागर
				222.	बीना
				223.	गढ़ाकोटा
				224.	खुरई
				225.	देवरी
				226.	रेहली
				227.	राहतगढ़
				228.	बंडा
				229.	शाहपुर
				230.	शाहगढ़
		32.	दमोह	231.	दमोह
				232.	हटा
				233.	तेंदुखेडा
				234.	पथरिया
				235.	हिन्डोरिया
		33.	पन्ना	236.	पन्ना
				237.	अमानगंज
				238.	देवेन्द्र नगर
				239.	अजयगढ़
				240.	ककरहटी
				241.	पवई
		34.	छतरपुर	242.	छतरपुर
				243.	नौगांव
				244.	खजुराहों
				245.	लौडी
				246.	हरपालपुर
				247.	महाराजपुर
				248.	बिजावर
				249.	बड़ामल्हरा
				250.	धुवारा
				251.	सटई
				252.	बारीगढ़

				253.	गढ़ीमल्हरा
				254.	बक्सवाहा
				255.	चन्दला
				256.	राजनगर
		35.	टीकमगढ़	257.	टीकमगढ
				258.	निवाडी
				259.	पृथ्वीपुर
				260.	देवगढ़
				261.	खरगापुर
				262.	पलेरा
				263.	जैरोनखालसा
				264.	तरीचरकलां
				265.	जतारा
				266.	लिधोराखास
				267.	बडागांव
				268.	कारी
				269.	ओरछा
8.	जबलपुर	36.	जबलपुर	270.	जबलपुर
				271.	सिहोरा
				272.	पनागर
				273.	बरेला
				274.	भेडाघाट
				275.	शाहपुरा
				276.	पाटन
				277.	मझौली
				278.	कटंगी
		37.	कटनी	279.	कटनी
				280.	कैमोर
				281.	बरही
				282.	विजयराघवगढ़
		38.	नरसिंहपुर	283.	नरसिंहपुर
				284.	गोटेगांव
				285.	करेली
				286.	गाडरवाड़ा
				287.	तेंदुखेडा
		39.	छिन्दवाड़ा	288.	छिन्दवाड़ा
				289.	परासिया
				290.	सौंसर
				291.	पांढुर्ना
				292.	जुन्नारदेव
				293.	दमुआ
				294.	चौरई
				295.	अमरवाडा

				296.	हर्रई
				297.	लोधीखेडा
				298.	न्यूटन चिखली
				299.	चांदामेटा बुटारिया
				300.	मोहगांव
				301.	बडकुही
				302.	पपलानारायणवार
		40.	सिवनी	303.	सिवनी
				304.	लखनादौन
				305.	बरघाट
		41	मण्डला	306.	मण्डला
				307.	नैनपुर
				308.	बम्हनीबंजर
				309.	निवास
				310.	बिछिया
		42.	डिण्डोरी	311.	डिण्डोरी
				312.	शाहपुरा
		43.	बालाघाट	313.	बालाघाट
				314.	वारासिवनी
				315.	मलाजखंड
				316.	कटंगी
				317.	बैहर
				318.	लांजी
9.	रीवा	44.	रीवा	319.	रीवा
				320.	मउगंज
				321.	त्योथर
				322.	बैकुंठपुर
				323.	हनुमना
				324.	चाकघाट
				325.	गोविन्दगढ़
				326.	नईगढ़ी
				327.	सिरमौर
				328.	मनगवां
				329.	सेमरिया
				330.	गुढ़
		45.	सीधी	331.	सीधी
				332.	चुरहट
				333.	रामपुरनेकिन
				334.	मझौली
		46.	सिंगरौली	335.	सिंगरौली
		47.	सतना	336.	सतना
				337.	नागोद
				338.	मैहर

				339.	जैतवारा
				340.	उचेहरा
				341.	अमरपाटन
				342.	नागौद
				343.	चित्रकूट
				344.	बिरसिंहपुर
				345.	कोटर
				346.	कोठी
				347.	रामपुर–बघेलान
10	शहडोल	48.	शहडोल	348.	शहडोल
				349.	बुढ़ार
				350.	धनपुरी
				351.	कोतमा
				352.	ब्यौहारी
				353.	जयसिंहनगर
				354.	खाण्ड
		49.	अनूपपुर	355.	अनूपपुर
				356.	पसान
				357.	बिजूरी
				358.	जैतहरी
				359.	अमरकंटक
		50.	उमरिया	360.	उमरिया
				361.	चंदिया
				362.	नौरोजाबाद
				363.	पाली

परिशिष्ट–10.3

(दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में)

संभाग	जिला/क्षेत्रीय कार्यालय	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	श्रमिकों/ कर्मचारियों की संख्या (यथा पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज़)
1. इन्दौर संभाग	01. इंदौर	146534	172542
	02. धार,	10649	2851
	03. पीथमपुर (जिला धार)	4701	4354
	04. झाबुआ	2681	1228
	05. अलीराजपुर	1759	639
	06. बुरहानपुर	19317	5537
	07. खण्डवा	10305	5856
	08. खरगोन	9322	3945
	09. बडवानी	4964	3764
2. उज्जैन संभाग	10. उज्जैन	73309	18366
	11. देवास	19321	9467
	12. शाजापुर	5086	1525
	13. आगर–मालवा	1420	600
	14. रतलाम	51718	11921
	15. मंदसौर	19250	7360
	16. नीमच	16686	4687
3. ग्वालियर संभाग	17. ग्वालियर	146394	144688
	18. दतिया	8439	3254
	19. गुना	11344	5035
	20. अशोक नगर	4939	3990
	21. शिवपुरी	7177	3224
4. चम्बल संभाग	22. मुरैना	9491	4228
	23. श्योपुर	3288	1406
	24. भिंड	8401	1268
	25. मालनपुर (जिला भिण्ड)	1629	648
5. भोपाल संभाग	26. भोपाल	216165	88564
	27. सीहोर	20874	5660
	28. रायसेन (मण्डीदीप)	11320	15674
	29. राजगढ़	4865	1088
	30. विदिशा	21746	4931
6. होशंगाबाद संभाग	31. होशंगाबाद	17693	9275
	32. हरदा	9884	3363
	33. बैतूल	10764	3231
7. सागर संभाग	34. सागर	27402	9863
	35. दमोह	6427	2024
	36. छतरपुर	8920	3141
	37. टीकमगढ	5239	2156
	38. पन्ना	2978	565

8. जबलपुर संभाग	39. जबलपुर	77282	25473
	40. नरसिंहपुर	9500	2804
	41. कटनी	16054	4157
	42. बालाघाट	5852	4115
	43. छिंदवाड़ा	10841	3957
	44. सिवनी	7772	3381
	45. मंडला	6359	2518
	46. डिण्डौरी	3819	841
9. रीवा संभाग	47. सतना	24574	4189
	48. रीवा	8531	7349
	49. सीधी	4917	1696
	50. सिंगरौली	5000	1416
10. शहडोल संभाग	51. शहडोल	4394	2736
	52. अनूपपुर	648	598
	53. उमरिया	1182	779
	योग	1149126	637927

परिशिष्ट–10.4
(देखें पद 10.4)

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय–वार जानकारी

(दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में)

स.क.	जिला/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय	पंजीकृत स्थापनाओ की संख्या	अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारो की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या
01	इंदौर	689	984	691853
02	धार,	58	219	19168
03	पीथमपुर	55	1050	63375
04	झाबुआ	35	169	5968
05	अलीराजपुर	26	36	1238
06	बुरहानपुर	26	47	2360
07	खण्डवा	53	285	26201
08	खरगोन	87	165	8322
09	बडवानी	14	50	2641
10	उज्जैन	105	465	23208
11	देवास	162	501	22966
12	शाजापुर	51	69	2940
13	आगर–मालवा	19	18	1060
14	रतलाम	27	157	11794
15	मंदसौर	51	142	9407
16	नीमच	15	65	3963
17	ग्वालियर	87	428	36590
18	दतिया	3	41	2064
19	गुना	27	315	10353
20	अशोक नगर	20	32	1396
21	शिवपुरी	2	18	800
22	मुरैना	6	56	4130
23	श्योपुर	8	14	580
24	भिंड	13	15	1340
25	मालनपुर	49	169	12431
26	भोपाल	285	617	20727
27	सीहोर	12	86	6153
28	मण्डीदीप	103	879	44251
29	राजगढ़	13	66	6523
30	विदिशा	24	48	3071
31	होशंगाबाद	48	167	8069
32	हरदा	9	52	1910
33	बैतूल	43	297	13242
34	सागर	46	165	9465
35	दमोह	18	58	1436
36	छतरपुर	36	77	4883

37	टीकमगढ	13	29	2240
38	पन्ना	6	27	1339
39	जबलपुर	149	452	14088
40	नरसिंहपुर	37	96	5085
41	कटनी	50	258	11657
42	बालाघाट	17	109	3389
43	छिंदवाड़ा	45	276	8565
44	सिवनी	324	324	14212
45	मंडला	44	245	10550
46	डिण्डौरी	29	45	1265
47	सतना	38	104	7684
48	रीवा	48	195	5386
49	सीधी	21	34	1775
50	सिंगरोली	36	694	72619
51	शहडोल	82	121	2820
52	अनूपपुर	0	73	4342
53	उमरिया	2	156	7000
	योग	3266	11260	1259894

परिशिष्ट–10.5
(देखें पद 10.5)

10.5. अंतराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय–वार जानकारी

(दिनांक 31.12. 2017 की स्थिति में)

स.क.	जिला/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय	पंजीकृत स्थापनाओ की संख्या	अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारो की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या
01	इंदौर	0	1	100
02	धार,	0	2	120
03	पीथमपुर	0	0	0
04	झाबुआ	2	7	349
05	अलीराजपुर	0	0	0
06	बुरहानपुर	0	0	0
07	खण्डवा	1	19	1015
08	खरगोन	0	1	50
09	बडवानी	5	11	325
10	उज्जैन	2	8	315
11	देवास	0	28	653
12	शाजापुर	0	2	60
13	आगर–मालवा	0	0	0
14	रतलाम	0	1	20
15	मंदसौर	0	0	0
16	नीमच	0	0	0
17	ग्वालियर	0	7	225
18	दतिया	1	1	25
19	गुना	0	0	0
20	अशोक नगर	0	0	0
21	शिवपुरी	0	1	50
22	मुरैना	0	0	0
23	श्योपुर	1	2	100
24	भिंड	20	14	1130
25	मालनपुर	0	1	28
26	भोपाल	2	2	430
27	सीहोर	1	1	100
28	मण्डीदीप	3	4	290
29	राजगढ़	0	0	0
30	विदिशा	0	0	0
31	होशंगाबाद	1	1	150
32	हरदा	8	7	160
33	बैतूल	0	6	305
34	सागर	0	0	0
35	दमोह	0	0	0
36	छतरपुर	0	0	0

37	टीकमगढ	0	0	0
38	पन्ना	0	0	0
39	जबलपुर	1	1	200
40	नरसिंहपुर	18	18	1330
41	कटनी	1	18	606
42	बालाघाट	0	4	152
43	छिंदवाड़ा	3	4	110
44	सिवनी	0	0	0
45	मंडला	3	8	193
46	डिण्डौरी	0	0	0
47	सतना	1	3	100
48	रीवा	4	9	320
49	सीधी	0	12	461
50	सिंगरोली	6	32	4109
51	शहडोल	0	0	0
52	अनूपपुर	35	0	2200
53	उमरिया	0	8	172
	योग	**119**	**236**	**15953**

***

परिशिष्ट–11.1
(देखें पद 11.4)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में उपचारित मरीज

क्र.	वर्ष	चिकित्सालय						औषधालय	
		भर्ती मरीजों की संख्या		कुल भर्ती दिवस		भरे हुए पंलगों का प्रतिशत		उपचारित मरीजों की संख्या	
		सामान्य	क्षय	सामान्य	क्षय	सामान्य	क्षय	बीमित व्यक्ति	परिवार के सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2015–2016	9586	418	41545	11056	30	40	820983	954611
2.	2016–2017	12497	415	44605	11291	33	41	849526	968870
3.	2017–2018 (31 दिसम्बर 2017 तक)	8001	322	32863	8712	32	42	623942	714792

परिशिष्ट 11.2
(देखें पद 11.5)

परिवार कल्याण कार्यक्रम

क्र.	*विवरण*	*वर्ष 2015–16*	*वर्ष 2016–17*	*वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)*
1	कुल नसबन्दी	640	750	403
	(क) पुरूष नसबन्दी	35	21	3
	(ख) महिला नसबन्दी	605	729	400
2	कॉपर टी	361	277	163
3	निरोध वितरण	43031	42556	43713
4	गर्भ निरोधक गोलियॉ (वितरण स्ट्रिप)	5849	6428	3011

परिशिष्ट 11.3
(देखें पद 11.5)

टीकाकरण

क्र.	*विवरण*	*वर्ष 2015–16*	*वर्ष 2016–17*	*वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)*
1	बी0सी0जी0	779	573	265
2	पोलियों	3995	880	1033
3	डी0पी0टी0	4136	6813	853
4	खसरा	1062	377	352
5	डी0टी0	311	3125	169
6	टिटनेस टाक्साईड			
	1. एन्टीनेटल कैसेस	2506	2568	728
	2. बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार सदस्य	2029	5512	2941
	3. अन्य	653	1859	781
7	हेपेटाईटिस–बी	77	1027	149
8	एम एम आर	–––	357	–––

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें मध्य प्रदेश के विभिन्न केन्द्र/चिकित्सालयों में शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिविरों का विवरण

क्र.	*विवरण*	*वर्ष 2015–16*		*वर्ष 2016–17*		*वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)*	
		शिविरों की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या	शिविरों की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या	शिविरों की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या
1	शैक्षणिक गतिविधियॉ	1198	44596	1240	46514	756	32159
2	स्वास्थ्य संबंधी शिविर	241	30683	232	44524	123	7855

परिशिष्ट–11.4
(देखें पद 11.5)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण
(दिनांक 1.4.2017 से 31.12.2017 तक)

क्र.	चिकि0 का नाम	स्त्री रोग		अस्थि रोग		नेत्र रोग		सर्जरी		कान,नाक,गला रोग		डेंटल सर्जरी	
		मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	ऐक्स ट्रेक्शन ऑफ टुथ	फिलिंग एण्ड अदर सर्जरी
1	भोपाल	02	10	02	45	—	06	15	118	—	12	—	—
2	ग्वालियर	07	03	05	112	—	12	16	211	—	34	—	—
3	देवास	02	06	02	55	—	01	08	98	—	10	—	—
4	उज्जैन	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—
5	नागदा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

टीप

मेजर ऑपरेशन से तात्पर्य ऐसी शल्य क्रिया जो प्रमुख रूप से ऑपरेशन थियेटर्स में जनरल/स्पाईनल एनेस्थेसिया दे कर शरीर के प्रमुख एवं संवेदनशील भागों पर सम्पन्न की जाती हो एवं जिनमें अधिक समय व जोखिम निहित हो यथा– हार्नियां, ऐपेन्डिक्स निष्कासन, उदरीय शल्य क्रियांए, तंत्रिक तंत्र (न्यूरों सर्जरी) की शल्य क्रिया, थायराईड शल्य क्रिया गर्भाशय विच्छेदन,नेलिगं–प्लेटिंग अस्थि शल्य क्रिया आदि ।

मायनर ऑपरेशन कम जोखिम पूर्ण, कम समयावधि एवं स्थानिक/अल्पकालिक एनेस्थीसिया में सम्पन्न होने वाले ऑपरेशन है यथा – एम.टी.पी./एब्सेस,इनसिजन व ड्रेनेज/फ्रेक्चर रिडक्शन एवं प्लास्टर लगाना आदि ।

***

परिशिष्ट 12.1
(देखें पद 12.2)

वर्ष 2017 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण

अ.क्र.	कार्यालय का नाम	वर्ष 2016 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण	वर्ष में दायर प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निर्णित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष रहे प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7
01.	अध्यक्ष, औ.न्यायालय,म.प्र.इन्दौर	198	242	440	180	260
02.	सदस्य, औ.न्यायालय,म.प्र.इन्दौर	176	58	234	117	117
03.	सदस्य, खण्डपीठ जबलपुर	34	31	65	47	18
04.	सदस्य, खण्डपीठ ग्वालियर	105	84	189	52	137
05.	सदस्य, खण्डपीठ भोपाल	84	42	126	24	102
06.	सदस्य, खण्डपीठ रीवा	150	286	436	349	87
	योगः–	**747**	**743**	**1490**	**769**	**721**

परिशिष्ट 12.2
(देखें पद 12.2)

विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2017 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण

क्रमांक / संभाग	श्रम न्यायालय	वर्ष 2017 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण		वर्ष में दायर प्रकरण		योग		वर्ष में निराकृत प्रकरणों की संख्या		वर्ष 2017 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या	
		सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फोजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 इन्दौर	1 इन्दौर	2117	733	1075	0	3192	733	213	14	2979	719
	2 इन्दौर (अतिरिक्त)	425	0	110	0	535	0	535	0	0	0
	3 धार	849	86	641	20	1490	106	488	3	1002	103
	4 खंडवा	543	0	242	0	785	0	160	0	625	0
2 उज्जैन	1 उज्जैन	1214	29	777	3	1991	32	551	0	1440	32
	2 देवास	610	93	358	4	968	97	438	12	530	85
	3 रतलाम	237	28	62	0	299	28	127	0	172	28
	4 मन्दसौर	139	37	123	3	262	40	134	2	128	38
3 भोपाल	1 भोपाल क1	1564	296	635	19	2199	315	281	93	1918	222
	2 भोपाल क2	673	292	259	0	932	292	320	32	612	260
	3 बैतुल	191	7	49	0	240	7	81	0	159	7
4 सागर	1 सागर	398	5	432	0	830	5	161	0	669	5
5 जबलपुर	1 जबलपुर	1182	881	378	0	1560	881	275	291	1285	590
	2 छिन्दवाड़ा	192	11	87	0	279	11	116	0	163	11
	3 बालाघाट	86	0	38	0	124	0	38	0	86	0
	4 नरसिंहपुर	185	16	179	0	364	16	64	0	300	16
6 रीवा	1 रीवा	645	66	479	0	1124	66	389	0	735	66
	2 सतना	429	1	281	0	710	1	114	0	596	1
	3 शहडोल	215	2	34	0	249	2	44	0	205	2
	4 सीधी	461	236	182	3	643	239	381	91	262	148
7 ग्वालियर	1 क.1 ग्वा	235	11	595	4	830	15	482	5	348	10
	2 क. 2 ग्वा	280	2	227	1	507	3	152	1	355	2
	3 क 3 ग्वा	97	4	43	0	140	4	25	0	115	4
8 होशंगाबाद	1 होशंगाबाद	399	2	208	0	607	2	161	2	446	0

	योग	13366	2838	7494	57	20860	2895	5730	546	15130	2349

***